राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] पंचम विधान सभा के प्रथम सत्र का 40 वां दिवस [संख्या 13

शुक्रवार,

दिनांक 28 अप्रेल, 1972

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-03 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[जन-स्वास्थ्य, अपील सहायता, शिक्षा, जन सम्पर्क, भू-संरक्षण, उद्योग, स्वायत्त शासन, वन, कृषि, वित्त, नगर आयोजना सहकारिता, भू-जल मंडल, पशुपालन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

दौसा शहर की जल प्रदाय योजना

57. श्री मीठालाल (लालसोट) :

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले के दौसा शहर के लिये जल प्रदाय योजना स्वीकार की जा चुकी है ?

(2) यदि हां, तो कब और कितनी धनराशि उसके लिये गत वर्ष व चालू वित्तीय वर्ष में नियत की गई है ?

(3) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने जनता को यह आश्वासन दिया था कि 1972 के ग्रीष्मकाल तक यह योजना पूर्ण कर दी जावेगी ? यदि हां तो अब क्या स्थिति है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल बैद): (1) जी हां ।

(2) निम्न प्रकार राशि नियत की गई है:-

वर्ष	राज्य सरकार का अंश	निगम का ऋण
1970-71	1,00,000	2,00,000 कुल 3.00 लाख
1971-72	2,17,000	निगम से राशि मांगी गई थी लेकिन यह राशि नहीं मिल सकी कुल 2.17 लाख
1972-73	प्रस्तावित प्रावधान 6.70 रुपये	

(3) जी नहीं योजना का कार्य प्रगति में है ।

Page No 2

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा में प्रति वर्ष ग्रीष्म काल में पानी की अत्यन्त कमी रहती है। उसके लिये वहां के लोग आन्दोलन करते हैं–केवल पीने के पानी के लिये आन्दोलन करते हैं और हमेशा सरकार का यह जवाब होता है कि कार्य प्रगति पर है जब कि लास्ट ईयर भी भीखा भाई ने यह आश्वासन दिया था कि 72 के अन्त तक निश्चित रूप से यह कार्य कर दिया जायगा। आज तक भी दौसा के लोगों को पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं हो सका। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में इस प्रकार के झूंठे आश्वासन देकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि भीखा भाई ने कोई आश्वासन नहीं दिया जब कि यह आश्वासन दिया गया था। अध्यक्ष महोदय दौसा में पीने के लिये पानी नहीं है। इसके लिये आप क्या कार्यवाही करेंगे और दूसरा क्या इस वर्ष····

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय एक एक प्रश्न पूछें तो जवाब दे सकता हूं 5–7 प्रश्नों का एक साथ जवाब कैसे दे सकता हूं।

श्री मूलचन्द सामरिया : असलियत में इसके लिये तत्काल क्या कार्यवाही की जा रही है जिससे लोगों को इस वर्ष ही पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

श्री चन्दनमल वैद : दौसा को पीने का पानी उपलब्ध कराने की एक बड़ी योजना है। इस योजना को तीन बार तय किया जा चुका है और अलग-अलग बार तय किया जा चुका है। अब जो योजनायें चल रही हैं उनको शामिल किया जायगा। एक बार तो 59–60 में 80 हजार खर्च किये थे। 67 में पुन: संगठित करके 75 हजार खर्च किये गये और अब 71–72 में भूरे राम का कुआ, बकानो का कुआ आदि को इस योजना में शामिल करके खर्च किया गया है। यह सारा करने के बावजूद भी हमेशा पानी की कमी रहती है। आज जो सूचना मिली है वह यह है कि दौसा को एक लाख 10 हजार गैलन पानी दे पा रहे हैं। इसके लिये अब हमने एक 22 लाख की योजना बनाई है और 8 मील दूर से पानी लाकर दौसा को सप्लाई किया जायगा। पानी की समस्या का निदान चालू है और तत्काल पानी की कमी को दूर करने के लिये अगर म्यूनिसिपेलिटी हमें और कुये दे सके तो हम उनमें तत्काल पम्पिग सेट लगा कर पानी की कुछ कमी को दूर कर सकते हैं।

श्री मीठालाल (लालसोट) : आप म्यूनिसिपेलिटी से अस्थायी तौर पर कुए लेंगे या स्थायी तौर पर और क्या इस वृहत् योजना में से उस खर्चे को कम किया जायगा या अलग से देने को तैयार हैं?

श्री चन्दनमल वैद : आप इस बात से क्यों परेशान हो रहे हैं? वृहत् योजना तो चलती रहेगी। इससे आप परेशान न होइये। अगर म्यूनिसिपेलिटी कुये दे देती है तो हम तत्काल पम्पिग सेट लगा कर पानी की व्यवस्था करेंगे।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप इसका जवाब दे सकते हैं कि गत वर्ष सरकार ने

(श्री मूलचन्द सामरिया)
कोई आश्वासन नहीं दिया? लिखित में आश्वासन दिया गया है। वह पर्चा भी सामने पेश किया जा सकेगा। इतनी बड़ी झूठ को आसानी से नहीं कहा जा सकता है। कृपया दुबारा जवाब दें कि आश्वासन दिया गया था या नहीं।

श्री चन्दनमल बैद : आश्वासन दिया गया है या नहीं दिया गया है यह बात मैंने नहीं कही है। वस्तु स्थिति यह है दो साल से पीने के पानी की समस्या का निदान किया जा रहा है लेकिन इसका कोई ठीक से हिसाब नहीं बैठ सका, जो जो प्रयत्न किये गये हैं वह सब आपके सामने हैं। अब इस समय 22 लाख की योजना चल रही है। पाईप लाईन का काम चल रहा है बिजली का काम हो चुका है। 8 मील दूर से पानी ला रहे हैं। इसके बावजूद भी अब अगर माननीय सदस्य यह समझते हैं तो मेरी विवशता है और मैं समझता हूं यह मेरे साथ अन्याय हो रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : चार साल से पांच साल से आप बराबर यह कह रहे हैं कि कार्य प्रगति पर है, लेकिन पानी की समस्या दौसा के लिए अभी बराबर बन रही है।

श्री मीठालाल : आधे शहर को पानी नहीं दिया जा रहा है। आप निश्चित रूप से यह बतायें कि····

श्री चन्दनमल बैद : आप निश्चित तारीख जानना चाहें तो मुश्किल है। 22 लाख का काम है। मैं समझता हूं अगले साल तक हो जायेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रस्तावित योजना चल रही है उसको शीघ्र कार्यान्वित करायें। टेम्परेरी रीलिफ जो ग्रीष्मकाल में मुसीबत है उसके लिए भी आप निजी तौर से प्रयास करें तो ठीक रहेगा। वास्तव में दौसा शहर के लिए पानी गम्भीर समस्या है।

श्री चन्दनमल बैद : माननीय सदस्य मेरा सहयोग करेंगे तो मैं जरूर कोशिश करूंगा नगरपालिका अगर और कुए दे दे तो हम पम्पिग सेट लगा कर जो वर्तमान में पानी की समस्या है उसका थोड़ा हल किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, हमें कोई सोर्स आफ वाटर बतायें तो तत्काल योजना में कुछ किया जा सकता है ताकि लोगों को इसी ग्रीष्मकाल में पीने के लिए पानी उपलब्ध हो सके।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने निवेदन किया अध्यक्ष महोदय, इन छोटी योजनाओं पर खर्च कर दिया जाय तो क्या वह वृहत् योजना की राशि में से ही खर्च किया जायेगा? क्योंकि यह वृहत् योजना 8 मील से आ रही है और कहीं आप बीच में ही कह दें कि अब हमारे पास पैसा नहीं रहा और यह वृहत् योजना का कार्य अधूरा ही रह जाय।इसलिये रुपयों के बारे में चिन्तित हैं। आप निश्चित रूप से आश्वासन दें कि टेम्परेरी रीलीफ पर जो खर्चा होगा वह इस वृहत योजना के अलावा खर्च होगा। यह खर्चा सरकार अलग से वहन करेगी। आप इसका इन्तजाम करें।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय मैं कितनी बार कह चुका हूं। आप इसके

Page No 4

(श्री चन्दनमल वैद)
लिये क्यों परेशान हो रहे हैं। जो वृहत् योजना चल रही है उससे यह खर्चा अलग है। टेम्परेरी रीलिफ है वह प्रश्न अलग है। जो बड़ी योजना है क्या उसको एक मील लाकर छोड़ देंगे और पानी की समस्या हल नहीं करेंगे तो फिर उसका क्या अर्थ रहेगा। बीच में पाईप लाईन लाकर किस लिये छोड़ देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है माननीय प्रश्न कर्ताओं की व्यग्रता के साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है यदि मंत्री महोदय ने मौलिक आश्वासन दिया है अथवा लिखित आश्वासन दिया हैं, सरकार के आश्वासनों का कुछ मूल्य होता है. क्या सरकार अपने आश्वासनों की कुछ कद्र करती है ? दौसा एक महत्वपूर्ण स्थान है, क्या इन सब बातों को मद्दे नजर रखते हुए मंत्री महोदय उचित नही समझेंगे कि इस योजना को प्राथमिकता दिया जाना उनका कर्तव्य है ?

श्री चन्दनमल वैद : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आया कि बहस किस बात पर हो रही है। मैं तो अर्ज कर रहा हूं कि 22 लाख रुपये की योजना पर काम चालू है और कैसे प्राथमिकता दी ? योजना स्वीकृत की जा चुकी है और उस पर आधा काम पूरा हो चुका है, फिर परेशानी किस बात की है ?

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं नहीं जानना चाहूंगा कि आप टेम्परेरी रिलीफ देना चाहते है या स्थाई रूप से कोई परमानेन्ट चीज आप देना चाहते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री अध्यक्ष : श्री किशनसिंह।

आसींद क्षेत्र के अभावग्रस्त ग्राम

58. **श्री किशनसिंह** (आसीन्द) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आसीन्द जिला भीलवाड़ा के 84 ग्राम अकालग्रस्त घोषित किये गये हैं ? यदि हां तो अकाल सहायता के कार्य शुरू क्यों नहीं किये गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि आसीन्द क्षेत्र में अकाल की भयंकर स्थिति और पेय जल की गंभीर समस्या है ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

अकाल सहायता मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : (1) जी हां, तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा के 83 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं। फसल रबी की स्थिति सामान्य होने की सूचना होने के कारण तथा क्षेत्र में 16 कार्य क्रेश योजना के अन्तर्गत चल रहे होने के कारण, कोई सहायता कार्य शुरू नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं, अकाल की भयंकर स्थिति होने की कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं है। पेयजल की व्यवस्था के लिये यदि जिला स्तर से कोई प्रस्ताव आये तो उन पर विचार किया जा सकेगा।

Page No 5

श्री किशनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आसीन्द क्षेत्र में लगातार 7–8 सालों से वर्षा की कमी के कारण वहां की जनता को बहुत बड़ी कठिनाई है और इस वर्ष भी राज्य सरकार की तरफ से 80 गांव अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां पर जो फेमिन के कार्य चल रहे हैं उनके ऊपर बहुत ही कम मजदूर लगे हुए हैं अतः रिलीफ वर्क्स को खोलकर जनता को राहत पहुंचाई जाये।

श्री परसराम मदेरणा : जिला स्तर से प्रस्ताव आने पर राज्य सरकार विचार करेगी।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सरकार के पास क्या मापदण्ड है अकाल की भयंकरता को नापने का ?

श्री परसराम मदेरणा : भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के 1536 गांव हैं और 1536 गांवों में से आसीन्द के 157 गांव हैं और 157 में से 8 गांव अकालग्रस्त हैं। पिछले वर्ष आसीन्द तहसील में एक भी गांव अकालग्रस्त नहीं था। पहले आसीन्द के गांव कुछ सालों तक अभावग्रस्त रहे थे लेकिन सम्वत् 27 में अच्छी फसल होने के फलस्वरूप कोई भी गांव भीलवाड़ा में अभावग्रस्त नहीं था। राज्य सरकार के सामने क्राइटेरिया यह रहता है कि जहां लगातार अकाल है या स्केयरसिटी हुई है उसके खराबा 50 से 100 परसेन्ट के बीच में कितना वेरी करते हैं उससे पता लगाया जा सकता है कि फेमिन की पोजीशन क्या है। रबी की फसल की स्थिति सामान्य होने के कारण भी कोई सहायता कार्य शुरू नहीं किये गये। अभी तक हमारे पास सहायता कार्य प्रारम्भ करने के जिलाधीश से प्रस्ताव नहीं आये हैं. जब वह मंगायेंगे तो राज्य सरकार उस पर विचार करके निर्णय लेगी।

श्री भीमसेन : जिन जिलों में अभाव की स्थिति है जैसे बीकानेर और जैसलमेर है उनके ऊपर सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री परसराम मदेरणा : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : कलेक्टर को प्रस्ताव भेजने की तारीख कब तक दी गयी है ?

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश भीलवाड़ा का एक पत्र सहायता विभाग को कल ही आया है उसमें पानी के कुओं को गहरा कराने के लिए प्रस्ताव भेजा है लेकिन सहायता कार्यों के लिये कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

श्री रोशनलाल शर्मा : मैंने पूछा है कि आपने कौनसी तारीख दी है कि इस तारीख तक वे प्रस्ताव को भेज दें ?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सरकार ने इस प्रकार के आदेश दिये थे कि 11 अप्रेल से लेकर 16 अप्रेल के बीच में डिस्ट्रिक्ट रिलीफ एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाकर जिलाधीश प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजें। उसी अनुपालन में जिलाधीश ने जहां पानी की कमी है सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने का प्रस्ताव जरूर

Page No 6

(श्री परसराम मदेरणा)
भेजा है और जिलाधीश ने जो यह लिखा है इसका मतलब यही निकलता है कि वहां पर रिलीफ कार्य खोलने की आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगानी (फलोदी) : जहां जहां अकाल के बारे में मीटिंग हुई है और प्रस्ताव भेजे है वहां क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री किशनसिंह : मैं जिलाधीश से मिला तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे प्रपोजल्स जयपुर भेज दिये हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जिलाधीश से और जानकारी प्राप्त कर ली जायेगी कि उन्होंने अपना प्रस्ताव सहायता कार्य प्रारम्भ करने के लिए तो नहीं भेजे हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भानुकुमार शास्त्री।

पुस्तकों की खरीद

59. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(क) शिक्षा विभाग द्वारा श्री गणेशचन्द जोशी द्वारा लिखित 'जनकजा' एवं 'अशोक वासिनी' नामक पुस्तकों को पुस्तक स्वीकृति सूची में कर लिया गया, और किस के आदेश से ? कृपया उस आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) इस आदेश के अनुसार अब तक कितनी कितनी पुस्तकें खरीदी गई हैं और इनका कितना मूल्य चुकाया गया ?

(ग) स्वीकृति पुस्तक सूची में पुस्तकों को शामिल करने की क्या प्रक्रिया है ?

(घ) उपरोक्त पुस्तकों के सम्बन्ध में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था या नहीं ?

(ङ) क्या ये पुस्तकें जब्त की गई हैं ? यदि हां, तो किस के आदेश से और कब ? कृपया उस आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझार सिंह): (क) इन पुस्तकों को स्वीकृत ग्रन्थ सूची में नहीं लिया गया है।

(ख) इन पुस्तकों की 200–200 प्रतियां खरीदी गयीं जिनका मूल्य क्रमशः 1275 रु. व 1500 रु. था।

(ग) स्वीकृति पुस्तक सूची में लेने के लिये पुस्तकों की पहले समीक्षा करवाई जाती है।

(घ) उपर्युक्त पुस्तकों को सूची में लिया ही नहीं गया था अतः इनके सम्बन्ध में प्रक्रिया अपनाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी हां। पुस्तकें जब्त करने के सम्बन्ध में गृह विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश की एक प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री भानुकुमार शास्त्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह मैं पूछ सकता हूं कि उन्होंने यह कहा कि सरकार ने स्वीकृत

Page No 7

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
सूची में उनको नहीं लिया है, मेरे पास भूतपूर्व माननीय शिक्षा मंत्री का पत्र है। उन्होंने लिखा है कि सरकार ने इन पुस्तकों को पुस्तक स्वीकृत सूची से अब निरस्त कर दिया है। इसका मतलब यह है कि पहले से लिया गया और अब निरस्त कर दिया है। क्या यह बात गलत है जो आप अभी सदन के अन्दर कह रहे हैं ?

श्री जुझारसिंह : जो अप्रूव्ड लिस्ट में ली जाती है उसकी एक प्रक्रिया होती है....

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं प्रक्रिया नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी सूची में ली गयी है या नहीं ? शिक्षा मंत्री जी ने पत्र लिखकर लिखा है कि सूची में से यह वापिस ले ली गयी है, निरस्त कर दी गयी है। इसका मतलब यह है कि उनको स्वीकृत किया गया है तो जिस सूची में उनको स्वीकृत किया गया है वह कौनसी सूची है ?

श्री जुझारसिंह : एक सूची जिसको शिक्षा मन्त्री जी ने दी थी लेकिन वह एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं थी इसलिए एप्रूव्ड लिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से बनती है और उसमें इस पुस्तक का नाम नहीं था।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरा सीधा सवाल यह है कि आपने कहा कि एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है। मैं समझता हूं यह मिसलीडिंग स्टेटमेन्ट है। शिक्षा मन्त्री जी का उल्लेख है कि निरस्त कर दिया गया है, इसका मतलब ले लिया गया है।

श्री जुझारसिंह : यह तो जबाब में भी दे दिया गया है। उसकी प्रतियां वापिस करवाई गई हैं और पुलिस की कार्यवाही हो रही है....

श्री निरन्जननाथ आचार्य (मावली) : वह सूची जिसके अन्तर्गत इस पुस्तक को लिया है वह कौन सी सूची है और उस सूची को कौन तैयार करता है और उस सूची की समीक्षा होती है या नहीं पुस्तकों की ?

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : यह जो निरस्त की गई है, किताब हटाई गई है वह आर.एस.एस. के रिप्रेजेन्टेशन पर किया गया काम है।

एक माननीय सदस्य : मेन्टल हास्पीटल जाओ।

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो एप्रूव्ड सूची होती है उसकी सोशियल वेल-फेयर के डिप्टी डाइरेक्टर और एक्सपर्ट्स कमेटी होती है वह एक्जामिन करने के बाद में सूची तैयार करती है जिसको एप्रूव्ड सूची कहते हैं इसलिए प्रापर एग्जामिनेशन के बाद वह सूची बनाई जाती हैं तो इस तरह की सूची इन पुस्तकों के बारे में नहीं बनाई और इस कारण यह जवाब दिया गया कि एप्रूव्ड लिस्ट में नहीं लिया गया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं फिर से आपको भूतपूर्व शिक्षा मंत्री का पत्र पढ़कर सुनाता हूं, सरकार ने इन पुस्तकों को पुस्तक स्वीकृत सूची से निरस्त कर दिया है' वह कौन सी सूची हैं जिस सूची में

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
यह आया था और जिसमें से निरस्त किया गया है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : जो 200 पुस्तकें खरीदी गयीं यह किस के आदेश से खरीदी गयी ?

श्री जुझारसिंह : यह पुस्तकें आपत्तिजनक हैं इसको सरकार मानती है और यह खेद की बात है कि इस तरह की पुस्तकें किसी गलती की वजह से ....

श्री रोशनलाल शर्मा : वह गलती किस की है ? मैंने प्रश्न किया है कि 200 पुस्तकें किस के आदेश से खरीदी गई हैं ?

श्री भानुकुमार शास्त्री : ये पुस्तकें किन के आदेश से खरीदी गयी ?

श्री जुझारसिंह : 11-12-70 को बीकानेर में एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें उस समय के शिक्षा मंत्री भी वहां पर उपस्थित थे और इस समय ये पुस्तकें उस कमेटी के सामने आयीं जो कि रैगुलर स्क्रीन नहीं हुई थी लेकिन बहुत सी किताबों के साथ इनका भी नाम आया और उसमें खरीद की इजाजत दी गई लेकिन जिस प्रकार को प्रक्रिया अपनाई गयी ...

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जो स्वयं इसकी स्वीकृति देने में अपराधी हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के ऊपर लांछन लगाया गया है। मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि जिन अधिकारियों ने इस पुस्तक को स्वीकृति में दी और सरकार के खजाने से, पब्लिक एक्सचेकर के मनी में से उस पुस्तक को जिसे सरकार ने जप्त करना उचित समझा और जिसके लेखक के खिलाफ प्रासीक्यूशन का आर्डर दिया क्या उस कमेटी के सदस्यों के खिलाफ जिन्होंने इसकी स्वीकृति दी उनके खिलाफ राज्य की ओर से कोई कार्यवाही को गयी है और यदि नहीं की गई है तो क्या यह समझा जाय कि राज्य सरकार एक ओर लेखक के विरुद्ध मुकदमा चला कर और पुस्तक को जप्त करके जनता के सामने दिखावा करना चाहती है और वास्तव में जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, जो इसके लिए दोषी हैं, मंत्री महोदय हैं, जो अधिकारी महोदय हैं, जिन्होंने जनता के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने भोले भाले बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है और स्कूलों के अन्दर ऐसी किताब को भेज कर, इस राष्ट्रघाती किताब को भेज कर, जिन्होंने राष्ट्र के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, उन अपराधियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है ? मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन अपराधियों के नाम प्रस्तुत किए जायं।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह भाषण है या प्रश्न है।

(कई मा. सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(व्यवधान)

श्री गिरजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानकारी चाहता हूं कि पुस्तकों के चयन के लिए एक समिति बनाई जाती है, उस समिति में शिक्षा मंत्रीजी ने उस समिति की अध्यक्षता की, उस समिति के समक्ष समग्र किताबें रखी गई। किताबों के

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
सम्बन्ध में कोई मेमोरेंडम बनाया गया होगा, पुस्तकों की विशेषता और उसकी आलोचनात्मक दृष्टि से उसका विश्लेषण उसमें समाहृत किया गया होगा, उसके बाद वह सदस्यों के सामने सूची आई होगी। वह सूची दूसरे सदस्यों के पास भी आई होगी तो वह सूची और आलोचना आप हमको दिखा सकते हैं, सदन के पटल पर रख सकते हैं, जिससे हम अन्दाज लगा सकें कि इस पुस्तक के सम्बन्ध में सदस्यों की क्या राय थी और किस आधार पर खरीदी गई?

श्री जुझारसिंह : जैसा मैंने आपसे निवेदन किया जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, पुस्तकों के नोट्स भी दिए जाते है, पुस्तकों के बारे में जो एक्सपर्ट्स के द्वारा ओपिनियन दी जाती है वह भी समिति के सामने रखी जाती है लेकिन इस पुस्तक के बारे में जिस समय समिति की बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्रीजी ने की थी, इस तरह की कोई चीज नहीं रखी गई थी और लिस्ट जरूर पेश हुई। उस लिस्ट में पुस्तक होने और उसके बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं होने पर भी उसे एप्रूव कर लिया गया। राज्य सरकार भी इसको महसूस करती है और यह सारा मामला खेदजनक है और हम भी गलती महसूस करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिस अधिकारी ने इस प्रकार की सूची पेश की और इस तरह से पुस्तक को एप्रूव करा लिया, मेरा विश्वास है राज्य सरकार ने उसके विरुद्ध कदम उठा लिया होगा।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : खेद जाहिर कर दिया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह बहुत बड़ा प्रश्न है, आप बताइये कि उन पर क्या एक्शन लिया?

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री जुझारसिंह : उस समिति में डायरेक्टर आफ प्राइमरी एण्ड सेकेण्डरी एजूकेशन थे और डिप्टी सेक्रेट्री एजूकेशन थे। एक उप निदेशक, समाज शिक्षा थे। इनमें से उप निदेशक, समाज शिक्षा, रिटायर हो चुके हैं और डायरेक्टर आफ प्राइमरी एण्ड सेकेन्डरी एजूकेशन श्री सुधीन्द्र कुमार की डेथ हो गई है....

श्री भानुकुमार शास्त्री : आप तो जो जिन्दा है उनके नाम बताइये। मिनिस्टर महोदय, भी रिटायर हो गये हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : राजस्थान सेवा नियमों के अन्तर्गत जो अधिकारी रिटायर हो जाते हैं उनके विरुद्ध भी कार्यवाही करने का प्रावधान पिछले दिनों आपने कर दिया है। अतः अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार जान बूझ कर इन दोषी व्यक्तियों को बचाना चाहती है। जिन लोगों ने इस प्रकार की पुस्तक को स्वीकृति देकर जन जीवन को भ्रष्ट किया है....

श्री अध्यक्ष : कोई भाषण नहीं अब।

श्री गुमानमल लोढा : .....सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है, उनके

(श्री गुमानमल लोढा)
खिलाफ आज राज्य सरकार और मन्त्री महोदय क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या कार्यवाही करने का विचार रखते हैं ?...

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री जुझार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि जिस तरह से पुस्तक को प्रोपर्ली एक्सपर्ट्स के द्वारा एग्जामिन किया जाना चाहिए था उस तरह से एग्जामिन नहीं किया गया है और सरकार को भी इस बात के लिए खेद है और इसके लिए जो कुछ भी उचित कार्यवाही करनी होगी, की जाएगी। इसकी जांच करवा ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जिन समाचार पत्रों ने इस पुस्तक के बारे में समीक्षा लिखी है और इसका अनुमोदन किया है वे भी उतने ही जिम्मेदार है जितने लेखक, क्या उन समाचार पत्रों को भी जब्त किया जाएगा ?

श्री अध्यक्ष : वह कह चुके हैं कि उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री उम्मेदीलाल।

(शोरगुल) (अश्रव्य)

मंत्री महोदय जवाब दे चुके हैं कि उचित कार्यवाही करेंगे।

श्री भानुकुमार शास्त्री : एक साधारण सा सवाल और है।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। श्री उम्मेदीलाल।

श्री भानुकुमार शास्त्री : उचित कार्यवाही किन पर करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : जो भी कंसर्निंग परसन्स है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : लेखक महोदय ने अपनी भूमिका में लिखा है कि इस किताब को लिखने के लिए उन्हें श्री मथुरादास माथुर और द्वारकादास पुरोहित से प्रेरणा मिली है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जावेगी ?

श्री अध्यक्ष : जिस पर सम्भव है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

अब मैं आगे चलता हूं। अभी सवाल बहुत हैं। श्री उम्मेदीलाल।

(श्री गिरधारीलाल भार्गव एवं कई अन्य सदस्य एक साथ बोलते रहे)

(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्री भार्गव की ओर मुखापेक्ष) : मैं और आगे बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मेरा प्रश्न यह है कि जिस अधिकारी की वजह से .. (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जिन्होंने इस पुस्तक को भली प्रकार पढ़ा है और जिस प्रकार से पढ़ने के बाद · · ·

श्री अध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : +++

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बैठेंगे। अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : +++

(शोरगुल)

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिए ।

(व्यवस्था सूचक घण्टी)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया (बूंदी) : चेयर के आर्डर का पालन नहीं कर रहे हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : +++

श्री अध्यक्ष : मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि आप तशरीफ रखिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : +++

श्री अध्यक्ष : श्री भार्गव, प्लीज सिट डाउन ।

(व्यवधान)

आई शैल हेव टू नेम यू प्लीज ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : +++

श्री अध्यक्ष : नो टू बी रिकार्डेड

श्री गुमानमल लोढा : Please hear me also.

श्री अध्यक्ष : आज करीब 23-24 सवाल हैं और उसमें से केवल तीन सवाल हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि और सदस्यों को भी मौका मिले। एक ही सवाल पर सारा वक्त न जाय। अभी आधा घण्टा हो चुका है। माननीय मंत्री महोदय ने जवाब दिया है कि उचित कार्यवाही करेंगे, उसके बाद में अब क्या सवाल रह जाता है। फिर भी माननीय सदस्य बोलते जा रहे हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : माननीय सदस्य तो बोलते जा रहे हैं, स्पीकर की आज्ञा भी नहीं मानते हैं।

(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : (श्री गिरधारीलाल भार्गव की ओर मुखापेक्ष) प्लीज सिट डाउन ।

(शोरगुल) अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : + + +

कई अन्य माननीय सदस्य : + + +

श्री अध्यक्ष : नोट टू बी रिकार्डेड ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : + + +

श्री गुमानमल लोढा : आपकी इजाजत हो तो मैं एक सवाल और पूछ लूं ।

+++ माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : इस सवाल पर काफी वक्त दिया जा चुका है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकता।

श्री गुमानमल लोढा : मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कब तक कर देंगे, सदन को इस बारे में भी आश्वस्त कर दें।

श्री अध्यक्ष : नाऊ नो क्वश्चन इज् अलाउड।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 60

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है। क्या सरकार इस सम्बन्ध में निष्पक्ष जांच करायेगी ?

श्री अध्यक्ष : इस मामले पर मंत्री महोदय कह चुके हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : गाड़ी स्टेशन से गुजर चुकी है महारावल साहब ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर इस प्रकार के लांछन लगाये जायें और राज्य सरकार बराबर इस पर कुछ नहीं कहे। मेरा निवेदन है कि इस पर स्पष्टीकरण होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य धार्मिक भावनाओं को उभाड़ कर सदन का वातावरण खराब कर रहे हैं। किसी पुस्तक को पढ़ कर यहां पर साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा किया जा रहा हैं।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : यह तो इनकी पुरानी आदत है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में जिस तरह की बात इस पुस्तक में कही गयी है वह बेबुनियाद है।

(शोरगुल)

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : इस पुस्तक पर गंभीरता से क्या आपने सोचा है? इस महापुरुष के बारे में जिसने पुस्तक लिखी है उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं है। आचार्य तुलसी के मुकाबले कोई आदमी नहीं है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लक्ष्मण, राम और सीता के बारे में इस प्रकार की बात कहना अनुचित है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको शर्म के मारे डूब मरना चाहिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : आपको भी डूब मरना चाहिये। आचार्य तुलसी ने लोगों का चरित्र सुधारा है।

आप यहां पर साम्प्रदायिकता का सवाल खड़ा कर रहे हैं। अब हिन्दुस्तान में यह चलने वाला नहीं है।

आप जिस तरह से बोल रहे हैं वह व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं है। आपको जनता अब अच्छी तरह से जानती है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप गद्दार हैं, देश के प्रति, आपकी पार्टी गद्दार है। यह जो व्यक्ति है वह मर्यादा पुरुषोतम राम है। माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में कहना चाहिये।

(शोरगुल)

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, यहां जो बात हो रही है वह अच्छी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह जो सदस्यगण तालियां बजाते हैं यह गलत हैं। इसमें हनुमान जी के बारे में लिखा गया है। हम को धर्म के बारे में शुद्ध विचार रखना चाहिये। भगवान राम के बारे में इस प्रकार की बात की जाये यह गलत है। यह इस सरकार की धर्म निरपेक्षता नहीं है। केवल ताली बजाकर बात को नहीं टाला जा सकता है। यह कोई मजाक की बात नहीं है।

श्री बरकतुल्ला खां (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खेद है कि इस किताब को खरीदा गया मैं सरकार की ओर से और अपने दल की ओर से अफसोस जाहिर करता हूँ, रंज जाहिर करता हूं। इसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो किताब में लिखा गया है उसको ही इस सदन में हम रखते हैं तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। हर शख्स को अपने अपने धर्म की पालना करने का फर्ज होता है। मैं समझता हूं कि सीताजी या और किसी के ऊपर ऐसी गलत बात कही जाये और हम भी वही बात दोहरायें तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इसके बारे में जैसा कि मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया है, उसको हम पूरा करेंगे और इसके अन्दर जिन लोगों ने गलती की है उनकी देखभाल करेंगे, यह विश्वास दिलाना चाहता हूं। मुझे बहुत रंज है कि इस तरह की किताब राजस्थान के अन्दर लिखी गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री उम्मेदीलाल। प्रश्न संख्या 60

श्री उम्मेदीलाल : प्रश्न संख्या 60।

अनियमित प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र

60. श्री उम्मेदीलाल (हिन्डौन) : क्या जन सम्पर्क मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सच है कि हिण्डौन से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र ग्राम वाणी को सरकार ने विज्ञापनों के बी, क्लास मे स्वीकृत कर रखा है जबकि यह अनियमित प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस पत्र के वर्ष में केवल तीन चार अंक ही निकलते हैं तथा जन सम्पर्क अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा इस पत्र की अनियमितता के सम्बन्ध में निदेशक जन संपर्क विभाग, राजस्थान का ध्यान भी दिलाया था परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई ?

राज्य मंत्री, जन सम्पर्क विभाग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (1) जी नहीं, यह पत्र 'सी' श्रेणी में स्वीकृत है।

Page No 14

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) जी नहीं।

श्री **उम्मेदीलाल** (हिन्डौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पत्र को जो कागज का कोटा मिलता है वह क्यों दिया जाता है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने बताया है कि यह 'बी' श्रेणी में नहीं है 'सी' श्रेणी में है। बिना कागज के कोई पत्र नहीं निकल सकता है ।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट । श्री दिनेश डांगी ।

श्री **दिनेश डांगी** : प्रश्न संख्या 61.

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के शीघ्र-लिपिक

61. श्री दिनेश डांगी (देसूरी)
श्री शंकरलाल (पाली)
श्री बीरबल (सांगरिया)

श्री सुखलाल सेणचा (जैतारण): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य सचिवालय में कितने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के शीघ्रलिपिक (पी. ए.) कार्य कर रहे हैं ?

(2) क्या मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुसार 28 प्रतिशत शीघ्रलिपिक (पी. ए.) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कार्य कर रहे हैं ? यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ? प्रतिशत को पूरा करने में राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है और प्रतिशत को कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने 1968 में पदोन्नत पदों पर निर्धारित आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया था और उसे हरियाणा तथा पंजाब की राज्य सरकारों ने लागू कर दिया है ? यदि हां, तो राज्य सरकार भारत सरकार के इस निर्णय को कब तक लागू करने का विचार रखती है ? इसमें इतना समय लगने का क्या कारण है ?

राज्य मंत्री (श्रीमती कमला बेनीवाल):

(1) एक ।

(2) जी नहीं । क्योंकि 28 प्रतिशत आरक्षण पद रखे जाने के आदेश अप्रेल 70 को हुए थे और उसके पश्चात् शीघ्र लिपिकों की भर्ती शासन सचिवालय में नहीं हुई । अब लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा जाने वाला है जिसमें उक्त आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के व्यक्ति चयन किये जाने के लिये आदेश दिये गये हैं ।

(3) भारत सरकार ने 1968 मे पदोन्नति से भरे जाने वाले केन्द्रीय सेवाओं के पदों पर भी अनुसूचित जाति और जन जाति के कर्मचारियों के लिये आरक्षण किया था ? पंजाब सरकार ने भी ऐसा आरक्षण द्वितीय श्रेणी के पदों पर किया है । हरियाणा सरकार ने जहां तक इस राज्य सरकार को जानकारी उपलब्ध है, ऐसा आरक्षण नहीं किया है । भारत सरकार के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार

Page No 15

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
भी आरक्षण के प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री दिनेश डांगी (देसूरी) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जहां तक मेरी जानकारी है, भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया ने यह आश्वासन दिया था सन् 1968 में कि कुछ पदों पर आरक्षण किया जायेगा। पंजाब और हरियाणा के सम्बन्ध में ही मैंने प्रश्न में पूछा था किन्तु अब जहां तक मेरी जानकारी है गुजरात और महाराष्ट्र की सरकारों द्वारा यह आरक्षण लागू कर दिया गया है। अब यह कहा गया है कि राजस्थान सरकार इस पर विचार कर रही है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि यह विचार कब तक हो जायेगा और कब तक आदेश निकल जायेंगे ?

श्री बरकतुल्ला खां : दो महीने के अन्दर अन्दर आदेश निकाल दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री झाबरमल।

श्री झाबरमल : प्रश्न संख्या 62।

राज्य क्रीडा परिषद्

62. श्री झाबरमल (फतहपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य क्रीडा परिषद् की स्थापना किस तिथि को हुई ? क्या श्री बी. एन. काक को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से राज्य क्रीडा परिषद् का निर्माण किया गया था ? यदि नहीं तो वे किस योग्यता के आधार पर प्रारम्भ से इसके पदाधिकारी हैं ?

(2) क्रीड़ा परिषद् की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं तथा खेलकूद से विशेष सम्बन्धित खिलाड़ी इसके अध्यक्ष व उपाध्यक्ष क्यों नहीं बनाये जाते ?

(3) क्रीडा परिषद् के प्रयत्नों से अब तक किन किन खेलों में कौन कौन से राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर चमके हैं ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) क्रीड़ा परिषद् का वार्षिक बजट क्या है और खिलाड़ियों पर कितना मासिक व्यय होता है।

(5) श्री बी. एन. काक ने 1970–71 व 1971-72 के वर्षों में क्रीड़ा परिषद की ओर से कहां कहां की यात्रायें की तथा उनसे प्राप्त भत्ता तथा अन्य भत्ते जो इन्हें इन वर्षों में मिला है के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(6) श्री बी. एन. काक प्रतिदिन कितने घंटे इस संस्था के लिये देते हैं तथा संस्था से उन्हें किस प्रकार की सुविधायें प्राप्त हैं ?

श्री जुझारसिंह (राज्य मंत्री शिक्षा) : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब तैयार नहीं हो सका है इसलिये इसको पोस्टपोन किया जाये।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन किया गया है। नेक्स्ट। श्री विट्ठल।

श्री बिट्ठल : प्रश्न संख्या 63।

बांसवाडा जिले में मेंड बन्धी का कार्य

63. **श्री बिट्ठल** (पीपलखूंट) : क्या भू-संरक्षण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा में अकाल के समय भू-संरक्षण विभाग ने रिलीफ के नाम पर मेड़ बन्दी का कार्य चलाया था ? यदि हां तो जिले के कितने गांवों की कितनी बीघा जमीन में मेड़ बन्धी हुई ?

(2) क्या सही है कि जिले में मेंड़ बन्धी की वसूली की गई है ? यदि हां तो अब तक कितनी वसूली हुई है और कितनी बाकी है ? यह वसूली किस हिसाब से की गई है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले के काश्तकारों ने गलत वसूली के कारण सरकार को दुबारा जांच करने की प्रार्थना की है यदि हां तो अब तक सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यय महोदय, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो पाई है। अतः आज इसको पोस्टपोन किया जाये।

श्री अध्यक्ष: पोस्टपोन किया जाता है।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, हर प्रश्न की सूचना समय पर दी जाती है और इतना समय हो गया है तो इसका उत्तर आना चाहिये। सदन के सदस्यों को भी इससे सूचित किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय आइन्दा के लिये ध्यान रखें।

श्री बिट्ठल : अध्यक्ष महोदय इतने दिन हो गये परन्तु फिर भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरे क्षेत्र में डंडे के बल पर किसानों से वसूली हो रही है। अभी तक उनको कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस वसूली को रोका जाय।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय आपको जवाब देंगे।

श्री बिट्ठल : कब तक ?

श्री अध्यक्ष : अगली टर्न तक। श्री भीमाराम।

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : अध्यक्ष महोदय, किसानों के साथ सख्ती हो रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमाराम।

श्री नाथूराम : अध्यक्ष महोदय, वहां पर किसानों के साथ में ज्यादती हो रही है और लोगों के साथ में सख्ती हो रही है . . . .

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही उत्तर भेज देंगे।

श्री नाथूराम : जब तक जवाब नहीं आये और जांच न हो तब तक वसूली नहीं होनी चाहिये।

श्री बिट्ठल : कितने दिनों से प्रश्न रखा हुआ है।

Page No 17

श्री अध्यक्ष : जल्दी उत्तर भेज देंगे।

श्री नाथूराम : वहां पर लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, गरीबों के साथ में सख्ती की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : जब सवाल किया ही नहीं गया है तब आप बोल काहे पर रहे हैं ?

श्री नाथूराम : सरकार यह व्यवस्था करे कि जब तक इसकी जांच न हो तब तक वसूली रोक दी जाय।

श्री अध्यक्ष : भीमाराम।

श्री नाथूराम : जब तक जांच न हो..

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : वसूली कई दिनों से वहां पर चल रही हैं और माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि उनको कुछ पता नहीं है माननीय प्रश्नकर्ता का समर्थन कांग्रेस के माननीय सदस्य भी कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, यह जनता का सवाल है। क्या सरकार यह उचित नहीं समझती है कि इस बारे में शीघ्रातिशीघ्र कोई हल निकाले। मेरे ख्याल से यह सरकार के लिए बहुत लज्जास्पद स्थिति है। मैं माननीय मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या आप अपना यह फर्ज नहीं समझते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बारे में जानकारी प्राप्त करें। लोगों से वसूली करने में लोगों को वहां पर वहशियाने तरीके से पीटा जा रहा है। लोगों को वहां पर पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है और यहां पर प्रश्न पूछते हैं तो उसका यह जवाब दे रहे हैं। शेम, शेम। (सारे विपक्ष की ओर से शेम, शेम)

श्री विट्ठल : वहां पर लोगों को बुरी तरह से मारापीटा जा रहा है।

श्री नाथूराम : जब तक जांच न हो तब तक वसूली रोक दी जाय।

श्री विट्ठल : सरकार सोई हुई है और जवाब नहीं दे रही है।

श्री नाथूराम : जब तक मंत्री महोदय यह आश्वासन नहीं दे तब तक आगे का प्रश्न नहीं लिया जाय। गवर्नमेंट को जवाब देना चाहिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : लोगों को घरों से निकाला जा रहा है, लोगों के थाली लोटे सब कुछ नीलाम किये जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं। रोम इज बर्निंग एण्ड नीरोज आर फिडलिंग।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास में इस प्रश्न को पूर्ण सूचना प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए मैंने इस बात की प्रार्थना की थी कि इस क्वेश्चन को स्थगित कर दिया जाय। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि वहां पर कोई पीटा जाकर वसूली किसी से की जा रही है। यह तो जानकारी के बाद में कहा जा सकता है। आज ही यह प्रश्न आया है तो मैं आज ही सूचना प्राप्त करूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही क्यों की जा रही है जब कि नहीं की जानी चाहिए। जहां तक प्रश्न का सवाल है इस प्रश्न में आपने पूछा है कि कितने बीघा जमीन की मेड़बन्दी अकाल में की गई है और कितना मतालबा वसूल किया जा रहा है तो 25 पर्सेन्ट लोन का

(श्री परसराम मदेरणा)
बनता हैं। यह प्रश्न माननीय सदस्य ने पहले भी उठाया था तो मैंने तुरन्त आदेश दिया था कि जिन काश्तकारों के खेतों में मेडबन्दी नहीं की गई है उनसे क्यों ले रहे हैं? मुझे यह बताया जाय कि कितने खेतों में की गई है और कितने बीघे में की गई है और उसमें कितने लोग आते हैं। यह सूचना है ऐसी जो कि एकत्रित नहीं हो सकी है। इसलिए मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि अगली मेरी टर्न के ऊपर लेटेस्ट बाई ट्यूसडे सेकण्ड को जो मेरा प्रश्न का दिन है उस दिन में इसका उत्तर दे दूंगा।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा): लेकिन तब तक वसूली रोक दें।

श्री विट्ठल: कब तक जांच करवा रहे हैं?

श्री नाथूराम: जब तक जांच न हो तब तक गरीब किसानों के साथ सख्ती नहीं की जाय। सरकार वसूली को रोक दें। इस पर आपका क्या कहना है? हम चाहते हैं कि सरकार यह आश्वासन दे कि जब तक जांच न हो तब तक गरीबों के साथ में सख्ती नहीं की जाय। वसूली को रोक दें।

श्री मनोहर कोठारी: वसूली रोके तो ब्याज न लें, नहीं और मारे जायेंगे हम।

श्री परसराम मदेरणा: अध्यक्ष महोदय जब तक सरकार के सामने फैक्ट्स न हों कि यह वसूली लीगली हो रही है या नहीं हो रही है तो फैक्ट्स के अभाव में सरकार वसूली रोकने की पोजीशन में नहीं है।

दूसरी बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक विभाग यह डिमाण्ड बनाकर भेजता है और डिमाण्ड बनाने के बाद में डिमाण्ड में हेर फेर करें तो फेक्चुअल पोजीशन के आधार पर ही की जा सकती है। अभी मैं कैसे कह सकता हूं कि वसूली जो हो रही है वह ठीक हो रही है या वे ठीक हो रही है जानकारी के अभाव में। जनरल वसूली स्थगित करने के आदेश फैक्ट्स के अभाव में नहीं दे सकता हूं।

श्री नाथूराम: गवर्नर महोदय के अभिभाषण के समय मैंने सारी स्थिति बताई थी कि जो डिमाण्ड्स दी गई हैं वे बिल्कुल गलत दी गई हैं। जिनके खेतों में मेडबन्दी नहीं की गई है उनके साथ में सख्ती से वसूली की जा रही है। पहले अभिभाषण के समय में सारी स्थिति बताई गई थी तो गवर्नमेंट ने क्या व्यवस्था की? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि जब तक जांच न हो तब तक सख्ती नहीं की जाय और वसूली रोक दी जाय।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा): पूर्ण तथ्य मालूम होने के बाद में फाइनल डिसीजन हो सकता है जैसे कि एक्सपार्टी डिसीजन होते हैं और माननीय मंत्री महोदय खुद अपने हाथों से करते हैं। माननीय सदस्य जो हाउस में कह रहे हैं तो माननीय मंत्री महोदय को वसूली रोक देना चाहिए। उसके बाद में जब एन्क्वायरी से जाहिर हो कि वसूली लीगल हो रही है या इल्लीगल हो रही है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : मैं मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत होकर वसूली स्थगित करने की आज्ञा अभी दे रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमाराम।

डीडवाना शहर में पानी की व्यवस्था

64. **श्री भीमाराम** (डीडवाना) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या डीडवाना शहर को खुनखुना ट्यूबवैल सोर्स से पानी मिलना शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और अब कब तक डीडवाना शहर में नई बनी टंकी से पानी सप्लाई करना शुरू होगा ?

(2) डीडवाना नगरपालिका क्षेत्र के आडकावास, सीधीवास, हरनारायण वास, टीवा वास, भाटीबास, साढावास स्टेशन-वास व अमर पुरा बास को जनता को पीने का पानी क्यों नहीं दिया जाता ? इस क्षेत्र की जनता को कब तक पानी देने का विचार है ?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद): (1) डीडवाना शहर को खुनखुना से पानी मिलना अभी शुरू नहीं हुवा है। इस योजना में खुनखुना में अभी पावर कनेक्शन नहीं हुआ है तथा 200 मि. मी. को खुनखुना डीडवाना पाइप लाइन रेलवे लाइन के नीचे से जाती है उसे जोड़ना बाकी है जैसे ही दोनों कार्य पूर्ण होंगे डीडवाना शहर में नई टंकी से पानी मिलना शुरू हो जायगा।

(2) डीडवाना नगरपालिका क्षेत्र के आडकावास व स्टेशन बास में पाइप लाइन बिछा कर पानी खुनखुना से आते ही दिया जायगा। सीधीबास, हरनारायणवास, भाटी बास, अमरपुराबास में इस योजना से पानी पहुंचाने का प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

श्री भीमाराम : 5 लाख का क्या प्रावधान हो गया ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती भगवती देवी।

व्यावर में सीमेन्ट का कारखाना

65. **श्रीमती भगवती देवी** (भिनाय): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि व्यावर (अजमेर-जिले) में सीमेंट का कारखाना लगाने की सरकार की योजना है ?

यह कारखाना कब तक लग जायगा ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल): जी हां। इसकी निश्चित अवधि बताना संभव नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : यह लाइसेन्स कब दिया गया है और उस लाइसेन्स को रिन्यू कब किया गया है और यह कितने साल से पड़ा हुआ है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : 5-10-71 को मिला है उसके बाद में कार्यवाही की जा रही है और उसके बाद में तमाम व्यवस्था की जानी है और ऐसी उम्मीद है कि शीघ्र ही कदम आगे बढ़ायेंगे। कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है।

श्रीमती भगवती देवी : किस कारण से चालू नहीं किया जा रहा है यह तो बता दीजिये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैंने माननीय सदस्य को बताया है कि कम्पनी को जमीन चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और फाइनेन्स चाहिए। इन सब की व्यवस्था की जा रही है और यह व्यवस्था पूर्ण होते ही चालू हो जायगा। जब तक यह व्यवस्था पूर्ण नहीं होगी तब तक यह संभव नहीं है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : सरकार लोन दे चुकी है कम्पनी को।

श्री अध्यक्ष : श्री निरन्जननाथ आचार्य।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : यह आश्वासन दें मंत्री महोदया ''

श्री अध्यक्ष : गवर्नमेंट थोड़े ही खोल रही है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : फाइनेन्स का प्रबन्ध बैंक के साथ में कर लिया गया है और जो व्यवस्था होना चाहिए वह आगे की जा रही है।

विदेश से सहायता

66. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या भारत से बाहर किसी विदेशी सहायता संस्था विशेषतः फोड फाउण्डेशन ने राज्य के शिक्षा विभाग को गत विधान सभा काल में कोई सहायता दी ?

(2) क्या यह सहायता बैंक के द्वारा प्राप्त हुई थी ? यदि हां तो उन बैंकों के नम्बर क्या है और वे किस तारीख के हैं, और राज्य सरकार के खाते में कब कब जमा हुए हैं तथा बीच के समय में चैक कहां पड़े रहे और उन चैकों की रकम का ब्याज कहां जमा हुआ है ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : इस प्रश्न की सूचना, अध्यक्ष महोदय, एकत्रित नहीं की जा सकी है इसलिए इसको पोस्टपोन कर दिया जाय।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : प्रश्न तो है ना यथावत् सूचना आ रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मालाराम।

कारखाने का मलबा

67. **श्री मालाराम** (नीमकाथाना) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि नीम का थाना में पत्थर कटाई के कारखाने का मलबा सार्वजनिक जोहड़ में डाला जा रहा है ?

(2) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि एक सार्वजनिक पशुओं के पीने के पानी का जोहड़ नष्ट हो रहा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस जोहड़ से मलबा शीघ्र उठाकर खाली करायेगी यदि हां तो कब तक ?

Page No 21

राज्यमंत्री स्वायत्त शासन (श्री मूलचन्द):

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री मालाराम : नीम के थाने में एक जोहड़ है, उसमें मलवा पत्थर कटाई के कारखाने का गिराया जा रहा है। सरकार उसके बारे में कुछ सोचेगी ?

श्री अध्यक्ष : मना कर दिया है।

श्री मालाराम : मना नहीं कर दिया।

श्री परसराम मदेरणा (स्वायत्त शासन मंत्री) : उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मालाराम : मैं वहां से आया हूं।

श्री परसराम मदेरणा : यह सदन को पूर्ण जानकारी है कि माननीय सदस्य नीम के थाने से विधान सभा क्षेत्र से चुन कर आये हैं, लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा है कि जोहड़ में जो है कारखाना पत्थर कटाई का उसका मलवा उसमें नहीं डाला जा रहा है। यह सरकार की तरफ से प्रबन्ध हो चुका है।

श्री मालाराम : जोहड़ में डाला जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण।

मलसीसर जल योजना

68. **श्री रामनारायण चौधरी** (मण्डावा): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने मलसीसर जल योजना की वर्तमान स्थिति को अपर्याप्त समझ कर एक संशोधित (रिवाइज्ड) वाटर सप्लाई स्कीम बनाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो कब, इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) उक्त योजना में कितना व्यय होगा तथा उसकी स्वीकृति कब तक हो जावेगी ?

(3) क्या यह भी सही है कि मलसीसर कस्बे में इतनी तादाद में पानी के कनेक्शन्स हो चुके हैं जिसके कारण पानी उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में वर्तमान वाटर वर्क्स से नहीं मिल पाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु ही रिवाइज्ड स्कीम का बनाया जाना विभाग ने मुनासिब समझा था ?

(4) क्या यह सही है कि अक्टूबर 1970 के आस-पास श्री भीखाभाई तत्कालीन जन-स्वास्थ्य मंत्री मलसीसर गये थे और वहां पर जल योजना की आधार शिला रखी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वहां पर सभा में जन-स्वास्थ्य मन्त्री जी ने मलसीसर कस्बे के लिये रिवाइज्ड वाटर सप्लाई स्कीम शीघ्र स्वीकृत कर कार्य चालू करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो विलम्ब का क्या कारण है ? उक्त योजना स्वीकृत होकर कब तक पूर्ण कर दी जावेगी ?

जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दमल वैद): जी हां, गत वर्ष फरवरी 71 में, योजना की तकनीकी जांच की जा चुकी है। तथा तकनीकी जांच रिपोर्ट के अनुसार योजना में संशोधन किया जा रहा है।

(श्री चन्दनमलवैद)

(2) यह तो योजना के पूर्ण रूप से तैयार हो जाने के बाद ही बताया जा सकता है।

(3) जी हां,

(4) जी हां। योजना का अभी तक संशोधन किया जा रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : यह कब तक स्वीकृत हो जायेगी ?

श्री चन्दनमल वैद : संशोधन हो जाने के बाद ही बताया जा सकता है। एक दो महीने में आजायेगी।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या एक दो महीने में स्वीकार हो जायेगी।

श्री चन्दनमल वैद : उसकी टैकनीकली और फिजिकली जांच हो जायेगी तभी कुछ कहा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री प्रद्युम्नसिंह।

यूथ बोर्ड की स्थापना

69. श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–
क्या यह सही है कि कुछ वर्षों पूर्व सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि राजस्थान में यूथ बोर्ड की स्थापना की जावेगी ? यदि हां, तो अब तक यूथ बोर्ड का गठन किन कारणों से नहीं किया गया ? सरकार उसका गठन अब कब करने जा रही है ?

श्री राज्यमन्त्री शिक्षा (जुझारसिंह) : शीघ्र ही इसकी घोषणा कर देंगे।

श्री प्रद्युम्नसिंह : कितने दिनों में घोषणा कर देंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री बरकतुल्ला खां) : एक महीने में कर देंगे।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : क्या इस योजना के अन्तर्गत, जो और यूथ एक्टीविटीज चलने वाली हैं, उनको भी इसके अन्दर जोड़ा जायेगा ? क्या अध्यक्ष महोदय, जो और यूथ एक्टीविटी की संस्थाएं हैं, उन लोगों को भी इसके अन्दर लिया जायेगा ? यदि लिया जायेगा तो किस रूप में लिया जायेगा।

श्री बरकतुल्ला खां : इन सब बातों पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न सं. 70

श्री अध्यक्ष : श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 71

श्री रामप्रसाद जी।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अब्सेण्ट सर।

श्री अध्यक्ष : श्री जेठमल जी।

ग्राम बडू में पानी की व्यवस्था

72. **श्री जेठमल बरबड़** (परबतसर) : क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि परबतसर तहसील के अन्तर्गत ग्राम बडू को पेय जल उपलब्ध

(श्री जैठमल वरवड़)
कराने की योजना है ? अगर हां, तो अब तक कितना कार्य हो चुका है, और इसे कब तक पूरा कराया जाकर जल उपलब्ध कर दिया जावेगा ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी हां, इस योजना के अन्तर्गत अब तक टंकी, पाइप लाइन, पब्लिक टेप इत्यादि का कार्य हो चुका है। ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये कुवे की खुदाई पंचायत द्वारा करवाई जा रही है।

बाकी के कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात् इस योजना से इस वर्ष के अन्त तक जल उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री पी. के. चौधरी।

क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत रोजगार

73. श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

चालू वर्ष में क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कितने टेक्नीशियन्स को रोजगार दिलाया गया तथा भारत सरकार से इस कार्य के लिये जो 47 लाख रुपये प्राप्त हुए थे उसमें से कितना धन चालू वर्ष में काम में लिया गया तथा कितना रुपया लैप्स हुआ ?

राज्य मंत्री उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : ये योजनाएं तथा योजनाओं के सम्बन्ध में 47 लाख रुपये की स्वीकृति पिछले वर्ष के दिसम्बर माह में ही आई थी। राज्य सरकार ने तुरन्त इनके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी तथा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम को 5 लाख, राजस्थान लघु उद्योग निगम को 10 लाख, तथा राजस्थान खनिज व उद्योग निगम को 32 लाख रुपया दे दिया है। इन योजनाओं के अन्तर्गत एक भी पैसा लैप्स नहीं हुआ।

ऐसी आशा है कि अगले दो, तीन माहों में लगभग 220 शिक्षित बेरोजगार इन योजनाओं से सीधा लाभ उपलब्ध कर सकेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेशचन्द्र। प्रश्न संख्या–74

महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं

74. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार आगामी सत्र जुलाई, 1972 में किन किन महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर कक्षायें आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटपूतली का राजकीय महाविद्यालय राज्य के डिग्री कालेजों में सब से बड़ा है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार उक्त महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें इसी सत्र जुलाई, 1972 से आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

राज्य मंत्री शिक्षा (श्री जुझारसिंह) : (1) नये विषय खोलने के लिए या महा-

Page No 24

(श्री जुझार सिंह)
विद्यालय को क्रमोन्नत करने के लिए इस वर्ष कोई प्रावधान बजट में नहीं है।

(2) राजकीय महाविद्यालय, कोटपूतली की छात्र संख्या गत सत्र में 1142 थी जो कि डिग्री कालेजों में सबसे अधिक है। बजट के प्रावधान के अभाव में यह सम्भव नहीं है।

श्री सुरेशचन्द्र : आप कब खोलने का विचार कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा): इस बारे में पहले से ही जोर दिया जा रहा है।

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि पूरे क्षेत्र में कालेज नहीं है ? वहां अनेक ग्रामों से लड़के आते हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस साल तो नहीं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : क्या नया संशोधन है ?

श्री सुरेशचन्द्र : क्या यह सही है कि कुछ स्थानों में खोल दिये हैं।

श्री नारायणसिंह मसूदा : ऐसा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल बैरवा।

जिला बून्दी की कृषि उपज मण्डियां

75. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला बून्दी में कृषि उपज मण्डियां कहां कहां कार्य कर रही हैं और उनका क्षेत्र कितना कितना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बून्दी की तहसील केशवराय पाटन, में भी कापरेन, लवान, लाखेरी आदि मण्डियों का भी सर्वे करवा लिया गया है ? यदि हां, तो इनका क्या क्षेत्र होगा ? तथा कब तक यह मण्डियां अपना कार्य शुरू कर सकेंगी ?

कृषि मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : जिला बून्दी में एक कृषि उपज मण्डी समिति बून्दी नगर क्षेत्र में कार्य कर रही है व उसके अन्तर्गत ही एक गांव मण्डी केशोरायपाटन में स्थित है। इस मण्डी समिति का क्षेत्र पंचायत समिति तालेड़ा, नैनवा, हिण्डोली, केशोरायपाटन तथा नगर पालिका बून्दी का समस्त क्षेत्र है।

(2) केशवरायपाटन में तो पहले से ही कृषि उपज मण्डी समिति का नियंत्रण है। सर्वे केवल कापरेन का कराया गया है। प्राथमिक कार्यवाही पूरी होने पर यदि वहां आवश्यकता हुई तो राज-पत्र में घोषणा के उपरान्त वहां मण्डी का कार्य प्रारम्भ होगा।

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, बून्दी, केशोरायपाटन के अन्दर अनाज की उपज काफी बढ़ती है। वहां पर मण्डी काम कर सकेंगी तो यह समस्या पूरी हो सकेगी।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर चुका हूं। सर्वे कराने का प्रस्ताव है। स्थल कौन सा हो। यह चीफ टाउन प्लानर के पास प्रस्ताव भेजा गया है। उसके बाद ही वह प्रारम्भ हो सकेगा।

श्री नन्दलाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, कापरेन, लवान, लाखेरी के पास ऐसे क्षेत्र हैं। लाखेरी और कापरेन के मामले में मंत्री महोदय क्या विचार कर रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, दूसरी मण्डियों के बारे में सर्वे चल रहा है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही विचार होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

चैक पोस्ट पर वसूल की गई रकम और राजस्व मण्डल का आदेश

76. **श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता** (बानसूर) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मण्डल राजस्थान की बैंच ने बनारसीदास एण्ड ब्रदर्स बनाम राजस्थान सरकार में दिनांक 15-10-71 को स्पेशल अपील स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया कि चैक पोस्ट पर कर की वसूली न की जावे।

(2) क्या इसी अपील में राजस्व मण्डल ने यह भी आज्ञा दी कि जो इजाफा रकम वसूल फर्म से करली गई है वह एक माह में मय ब्याज के वापिस कर दी जावे ?

(3) यदि हां, तो सरकार इस फैसले की पाबन्दी में क्या कार्यवाही कर रही है और क्या इस फर्म की इजाफा वसूल की हुई रकम वापिस कर दी गई है। यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

(4) अब सरकार कब तक फैसले की पाबन्दी में फर्म की रकम वापिस कर देगी ?

वित्तमंत्री (श्री चन्दनमल वैद) : (1) जी हां, राजस्व मण्डल ने निर्देश दिया था कि चैक पोस्ट पर राजस्थान बिक्री कर अधिनियम की धारा 22 'ए' के खिलाफ व्यापारियों से कर की वसूली न की जावे।

(2) जी हां स्पेशल अपील में राजस्व मण्डल ने आदेश दिया था कि एक माह में असेसमेण्ट करके अगर प्रार्थी से कोई रकम इजाफा वसूल की गई हो तो कायदे के मुताबिक मय सूद के लौटा दें।

(3) स्पेशल अपील के फैसले दिनांक 15-10-71 से पहले ही इस केस में 'रिवीजन' के निर्णयानुसार सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा इस फर्म का असेसमेण्ट करके 15-10-71 से पहले ही अधिक वसूल की गई रकम के लिए रिफण्ड एडजस्टमेण्ट के आदेश हो चुके थे। इसलिए स्पेशल अपील के फैसले की पालना में कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष : श्री केसरीमल।

एडवर्ड मिल, ब्यावर

श्री **केसरीमल** (ब्यावर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि टैक्सटाइल लेबर यूनियन ब्यावर ने जून-जुलाई 1971 में एडवर्ड मिल, ब्यावर चालू कराने के लिये सत्याग्रह आन्दोलन किया था ?

(श्री केसरीमल)

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मन्त्री ने उस समय मिल को शीघ्र चालू कराने का आश्वासन दिया था ? क्या इस मिल को केन्द्रीय सरकार ने अपने अधीन लेकर चलाने का फैसला किया था ? यदि हां, तो फिर इस मिल को अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया ?

(3) सरकार अब कब से इस मिल को चालू कराने की व्यवस्था कर रही है ?

राज्यमंत्री उद्योग (श्रीमती कमला-बेनीवाल) : (1) जी हां ।

(2) जी हां । केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 10-2-72 को एडवर्ड मिल, ब्यावर को अपने नियन्त्रण में लेने हेतु आदेश जारी कर दिये हैं तथा नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को इसका अधिकृत नियन्त्रक नियुक्त कर दिया है । उक्त निगम द्वारा शीघ्र ही चालू की जावेगी ।

(3) इस मिल का हाईकोर्ट कलकत्ता में केस चल रहा है तथा वहां की अनुमति प्राप्त होने पर ही मिल को चालू किया जा सकता है । अनुमति प्राप्त करने हेतु नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन द्वारा कार्यवाही की जा रही है । अनुमति प्राप्त होते ही मिल चालू कर दी जावेगी ।

श्री **केसरीमल** : अध्यक्ष महोदय, जो पैसा वह मांग रहा है, वैसे तो वह छूटने वाली नहीं है अगर उसको पैसा देने की आवश्यकता हो तो पैसा देकर ही इसको चालू करवा दिया जाये ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य का प्रश्न स्पष्ट नहीं है । कौनसा पैसा, किसका पैसा ?

श्री **केसरीमल** : उसका जो मालिक है । मामला हाइकोर्ट में है । जो पैसा वह चाहता है, वह पैसा सरकार देकर उसको चालू कराये ।

श्रीमती कमला बेनीवाल : केस का फैसला जैसा होगा उसकी कार्यवाही होगी ।

श्री **गुमानमल लोढा** (जोधपुर) : केस का फैसला तो 10 साल तक नहीं होगा । ब्यावर के मजदूर इतने दिनों से बेरोजगार हैं । कलकत्ता हाईकोर्ट से इण्टीरियम आर्डर लिया जा सकता है । क्या आपने किसी विशेष अधिकारी को इण्टीरियम आर्डर लेने के लिये कलकत्ता भेजा है ? क्या यही हमारे मन्त्रियों और राज्य प्रशासन की जागरूकता है ? उसका फैसला तो 10 वर्ष में भी कलकत्ता हाईकोर्ट से नहीं होगा । ये टालमटोल की जा रही है । अन्यथा विशेष अधिकारी कलकत्ता हाईकोर्ट को भेज कर इण्टीरियम आर्डर लेकर मिल को चालू किया जा सकता था । क्या अब एडवर्ड मिल को अविलम्ब चालू करने के लिए यह कार्यवाही की जायेगी ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो कानून का दायरा

Page No 27

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

है उस कानून के दायरे के अन्तर्गत राज्य सरकार। इस मिल को जल्दी से जल्दी चालू कराने के लिए जो भी प्रयत्न कर सकती है, वह किये और आगे भी करेगी राज्य सरकार मजदूरों को अविलम्ब काम पर लाने को चिन्तित है इसलिए पूरा प्रयत्न कर रही है।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : कलकत्ता हाई कोर्ट में जो पिटीशन दी गई थी, उसका क्या हुआ ? आपने उसके सम्बन्ध में क्या कदम उठाये ? गवर्नमेन्ट यह कह कर कि कानून के दायरे के अन्तर्गत कार्यवाही करेगी, मजदूरों का पेट नहीं भर सकती है। मैं निवेदन करूंगा इसके लिए मंत्रालय को विशेष कार्यवाही करनी पड़ेगी, अन्यथा दस वर्ष तक भी कलकता हाई कोर्ट से जवाब नहीं आयेगा।

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : कानूनी कार्यवाही का इसलिए उल्लेख करना पड़ा, जब कानूनी कार्यवाही चल रही है तो राज्य सरकार गैर कानूनी कार्यवाही अपनी तरफ से नही कर सकती है। कानून के दायरे के अन्तर्गत कार्यवाही करके जितनी जल्दी इसको एक्सपीडाइट करा सकते हैं, वह कराने की कोशिश करेंगे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : (अलवर) : क्या राज्य सरकार ने इसका रिसीवर जो अपाइन्टेड है, उसे हटाने के लिए दरख्वास्त हाई कोर्ट कलकत्ता में दी है ?

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : कब दी है ?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : दी है क्या ?

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : रिसीवर को हटाने की अर्जी ही, कब दी—यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : यही बात मुख्य है। गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया ने अपनी तरफ से टेक ओवर करने का फैसला बहुत अर्से पहले ले लिया। क्या यह बात सही नहीं है कि उन श्रमिकों की इस बात का नोटिस सरकार ने लिया था, उसके बावजूद करीब चार महीने गुजर गये, सरकार ने कलकत्ता हाई कोर्ट से उसके रिसीवर को हटाने के लिए अभी तक कदम क्यों नहीं उठाया है ?

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : माननीय सदस्य ने जो ध्यान आकर्षित किया, उसके मुताबिक यदि नहीं हुआ है तो उसको करने की कार्यवाही की जायेगी ?

श्री **गुमानमल लोढा** : क्या यह समझा जाय कि प्रशासन और मिल मालिक षड्यन्त्र करके मजदूरों को इतने लम्बे अर्से तक बेरोजगार रख रहे हैं, कानून का जामा पहना कर कलकत्ता हाई कोर्ट का नाम लेकर और बिना इस प्रश्न का उत्तर दिये कि पिटीशन की गई है या नहीं, पैरवी का प्रबन्ध किया गया है या नहीं—इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया जा रहा है।

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट में इस मिल के सम्बन्ध में दरख्वास्त पेश की गई—उसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है, और वह इसलिए है कि गवर्नमेंट

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
ऑफ इण्डिया ने इसका जिम्मा टेक्सटाइल कार्पोरेशन को दिया हुआ है, और जो कार्यवाही की है वह टेक्सटाइल कार्पोरेशन के द्वारा कानून के दायरे के अन्तर्गत हो रही है, इसलिए राज्य सरकार कोई सीधी कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या कार्पोरेशन आफ इण्डिया से मालूम किया है, इस सम्बन्ध मे कार्पोरेशन ने कोई कदम उठाया है या नहीं ? क्या सरकार इस बात को उचित नहीं समझती कि अपना एक आफिसर नियुक्त करके टेक्सटाइल कोर्पोरेशन को इस सम्बन्ध में बाध्य करके कलकत्ता हाईकोर्ट से जल्दी से जल्दी इस रिसीवर को हटाने की कार्यवाही कराये ताकि उस मिल को अपने हाथ में लिया जा सके और उसका काम चालू हो सके।

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : कानूनन कार्पोरेशन का अधिकृत नियंत्रण स्थापित किया गया है, उसके बाद से कोशिश है कि रिसीवर को हटाया जाय। इस कानूनी मुद्दे पर जो हाई कोर्ट से फैसला होगा, वह होगा।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : ऐसा मालूम होता कि माननीय मंत्री जी ने, कानूनी मुद्दा क्या है, खुद उसकी जानकारी करने की कोशिश नहीं की है। केवल यह कहना कि जो भी कानूनी बात होगी वह की जायगी, काफी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत, मंत्री महोदय इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करें कि एक्चुअली क्या स्टम्बलिंग ब्लाक है, क्या कानूनी दिक्कत है जिससे कार्पोरेशन एक्टिव नहीं हुआ है ? ऐसी स्थिति में आपका फर्ज है कि आप उसको एक्टिवाइज करें और कानूनी कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : आप जानकारी करके कार्यवाही करें।

श्रीमती **कमला बेनीवाल** : मैं निवेदन करूं कि कार्पोरेशन का नियंत्रण कायम हुआ, उसके बाद से रिसीवर हटाने की कार्यवाही कर रहे हैं। इसके बीच में राज्य सरकार से कोई कार्यवाही अपेक्षित होगी तो वह करेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था!

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** (हवा महल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, क्या शेष प्रश्न कल लिये जायेंगे ?

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं!

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : क्या परम्परा है यहां ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप राम भजन करते रहे ?

श्री **अध्यक्ष** : मैंने निवेदन किया था कि समय कम था।

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** : राम भजन का सवाल नहीं है। आप राम भजन करते रहे होंगे। वैसे राम भजन बड़ी चीज हैं। लेकिन मेरा प्रश्न स्थगित किया गया, इसलिए मैंने कहा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

Page No 29

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बीदासर एवं राजलदेसर कस्बों में हायर सेकेण्डरी स्कूल

70. **श्री रावतराम (छापर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा बीदासर तथा राजलदेसर, जिला चूरू में हायर सेकेण्डरी स्तर की स्कूल चालू वर्ष में खोल दी जायगी?

(2) क्या यह भी सही है कि मकानों की व्यवस्था एवं छात्र संख्या तथा उपयोगिता की दृष्टि से उक्त कस्बों में हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलना भी उपयुक्त है ?

उत्तर

(1) इस वर्ष माध्यमिक शालाओं को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने हेतु बजट में प्रावधान नहीं है ।

(2) वित्तीय साधनों के अभाव में क्रमोन्नत करना सम्भव नहीं है।

मीलवा-धानोदा गांवों के जंगल की काबिल काश्त भूमि

71. **श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि तहसील झालरा पाटन में फोरेस्ट की काबिल काश्त भूमि मोलवा-धानोदा आदि गांवों में बेकार पड़ी हुई है ? यदि हां, तो यह भूमि राजस्व विभाग को भूमिहीनों को वितरित करने के लिए क्यों नहीं दी जा रही है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस जमीन में कोई वृक्ष आदि भी नहीं हैं ?

(3) क्या यह सही है कि ऐसी बीड़ जिनमें घास कटाई जाती अथवा मवेशी चराई जाती है ठेके पर फारेस्ट विभाग हर साल देता आ रहा है ? यदि हां, तो यह भूमि भूमिहीनों को क्यों नहीं दी जाती ?

उत्तर

(1) जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी हां । मवेशियों के लिए चारा तथा चारण की अन्य व्यवस्था नहीं होने से इन बीड़ों को कृषि हेतु देना संभव नहीं है, इनसे सूखे के सालों में घास कटा कर अकालग्रस्त क्षेत्रों को भिजवाया जाता है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अपराधों के अन्वेषण के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग

23. **श्री मोहरसिंह (चूरू)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रत्येक पुलिस स्टेशन के पास अपराधों के अन्वेषण के लिए क्या क्या वैज्ञानिक उपकरण उपलब्ध कराये जाते हैं ?

(2) क्या ये उपकरण आधुनिक अन्वेषण के लिए पर्याप्त हैं ? यदि नहीं,

(श्री मोहर सिंह)
तो इस कमी की पूर्ति के लिये आधुनिक उपकरण कब तक उपलब्ध कराये जावेंगे ?

(3) क्या यह सही है कि पुलिस अधिकारियों को आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण भी नहीं दिया जाता है इसके परिणामस्वरूप बहुत से अपराधी पकड़े भी जाने से वंचित रह जाते हैं ?

उत्तर

(1) अपराधों के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए बड़े बड़े और खास खास थानों में वैज्ञानिक अन्वेषण पेटियाँ दी गई हैं जिनमें फिंगरप्रिन्ट, फुट प्रिन्ट लेने का सामान दिया जाता है तथा नाप के लिए एक मेजरमेन्ट टेप और देखने के लिए एक मैगनीफाइंग ग्लास भी शामिल है।

(2) राजस्थान के आर्थिक साधनों के अनुसार उपरोक्त उपकरण पर्याप्त समझे जाते हैं। अधिक खर्चीले व वैज्ञानिक प्रसाधन जिला व राज्य मुख्यालय से उपलब्ध कराये जाते हैं।

(3) जी नहीं। पुलिस अधिकारियों को पुलिस मुख्यालय पर वैज्ञानिक अन्वेषण तथा उपकरणों को प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

मकराना शहर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करना

24. श्री जेठमल बरवड (परवतसर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना शहर मारबल उद्योग का प्रमुख केन्द्र है, फिर भी इस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने औद्योगिक कस्बों व शहरों में औद्योगिक बस्ती/क्षेत्रों का विकास किया है ? यदि हां, तो मकराना शहर में लगभग 150 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयों के होते हुए भी औद्योगिक बस्ती/क्षेत्र की विधिवत् घोषणा क्यों नहीं की गई ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अन्य स्थानों पर जमीनें खरीद कर नये उद्योगों के लिये आसान वार्षिक देय किश्तों पर 99 वर्षीय लीज से पट्टे दिये हैं ? यदि हां, तो मकराना में ये सुविधायें क्यों नहीं दी गईं ?

उत्तर

(1) यह सही है कि मकराना मारबल उद्योग का प्रमुख केन्द्र है। मकराना में 116 बीघा 12 बिस्वा भूमि का औद्योगिक क्षेत्र सन् 1961 में जिलाधीश नागौर द्वारा घोषित किया गया था।

(2) जी हां, मकराना शहर में भी औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

(3) जी हां।

मकराना में जो क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया था उसमें अधिकतर निजी व्यक्तियों की भूमि थी जिसे अवाप्त करना आवश्यक था। चूंकि इस भूमि के आवंटन के लिये इस विभाग के पास कोई प्रार्थना-

(मुख्यमंत्री)

पत्र सन् 1970 तक प्राप्त नहीं हुआ अतः अवाप्ति की कार्यवाही नहीं की गई। सन् 1971 में कुछ प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिनमें से 13 का विधिवत आवंटन कर दिया गया है और बाकी जिलाधीश कार्यालय में विचाराधीन हैं।

महुवा कस्बे की नल योजना

25. श्री विश्वम्भर दयाल बोहरा (महुवा) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि महुवा कस्बे में नल योजना का कार्य चालू हुए काफी समय हो गया है तथा वहां मीठे पानी की व्यवस्था हेतु नया बोरिंग कर पाइप लाइन भी डाल दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि मीठे पानी का वितरण वहां से न होकर पुराने नलकूप से ही हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस ओर अविलम्ब ध्यान देकर इसकी व्यवस्था शीघ्र करेगी?

उत्तर

(1) यह सही है कि महुवा कस्बे में नल योजना का कार्य चालू हुये काफी समय हो गया है तथा वहां मीठे पानी की व्यवस्था हेतु नया बोरिंग हो चुका है वह पाइप लाइन भी डाल दी गई है।

(2) यह सही है कि मीठे पानी का वितरण वहां से न हो करके पुराने नलकूप से ही हो रहा है पावर कनेक्शन मिलते ही वे पम्प का इन्तजाम होते ही शीघ्र मीठे पानी की व्यवस्था नये बोरिंग से करदी जावेगी।

चूरू में वाणिज्य कर अधिकारी का कार्यालय

26. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या आबकारी एवं कर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या चूरू जिले से वाणिज्य कर अधिकारी का कार्यालय हटाये जाने में कोई औचित्य था?

(2) क्या करदाताओं की कठिनाइयों और असुविधाओं को देखते हुए सरकार वाणिज्य कर अधिकारी का कार्यालय चूरू में पुनः स्थापित करेगी?

उत्तर

(1) सन् 1969-70 में मितव्ययिता के फलस्वरूप चूरू जिले से वाणिज्यिक कर अधिकारी का कार्यालय समाप्त कर दिया गया था।

(2) करदाताओं की सुविधा के लिये चूरू जिले के मुख्यालय पर तीन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के कार्यालय स्थिति हैं। यहां पर वाणिज्यिक कर अधिकारी का कार्यालय पुनः स्थापित करने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के अभी विचाराधीन नहीं है।

नागौर जिले की जल प्रदाय योजनाएं

27. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

नागौर जिले की जल प्रदाय योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि, व्यय की गई राशि

Page No 32

(श्री रामसिंह कुड़ी)
तथा इनमें से कौन-कौन सी जलप्रदाय योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, कौन-कौन सी योजनायें अधूरी हैं तथा वे कब तक पूर्ण होंगी ? ऐसी कौन-कौन सी स्वीकृत योजनायें हैं जहां पर कार्य शुरु नहीं हुआ है ? प्रत्येक योजना का पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

नागौर जिले को जल प्रदाय योजनाओं के लिये स्वीकृत राशि, व्यय की गई राशि तथा इनमें से जो 2 जलप्रदाय योजनायें पूर्ण हो चुकी हैं, जो योजनायें निर्माणाधीन है, तथा जो योजनायें नई स्वीकृत हुई हैं, पर कार्य शुरु नहीं हुआ है का पूर्ण विवरण संलग्न सूची के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

पाली तहसील के गांवों को पीने का पानी

28. श्री **शंकरलाल** (पाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली तहसील के गांवों में अकाल की स्थिति होने के कारण जवांई बांध से जोधपुर जाने वाली नहर से गांवो में पीने के पानी दिये जाने की मांग पाली जिलाधीश ने मुख्य अभियन्ता जन-स्वास्थ्य विभाग को भेजी और 15वी एम. सी. एफ. ही पानी दिये जाने का निर्णय लिया गया ?

(2) पाली जिलाधीश ने किन-किन गांवो में पानी दिये जाने की सूची प्रेषित की और किन-किन गांवों को अभी तक कितना पानी दिया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) शेष कौन-कौन से गांवों को कितना-कितना पानी कब तक दे दिया जायगा ?

उत्तर

(1) जी हां, जुलाई के अन्त तक 15 एम. सी. एफ.टी. पानी दिये जाने का निर्णय था ।

(2) पाली जिलाधीश ने निम्नलिखित गांवों को पानी दिये जाने के लिये अधिशासी अभियन्ता, जन-स्वास्थ्य पाली को आदेश दिये थे:—

1. आटन 2. लाल की 3. कलाली 4. सांवतकलां 5. भुरियसनी 6. भाड पुरिया 7. दुदीया 8. ढातेता 9. मडली खुर्द 10. पुनायता 11. रामतिया 12. कानेलाव 13. सन्देलाव 14. बागडिया 15. हेमवास 16. भीतडा 17. कान्दडा 18. साली 19. डिंगाई 20. बिखर (कूरण) 21. टोगावास 22. चाणोद 23. बीठूडा 24. अनोपपुरा 25. लानोद 26. भाचुन्द 27. बाला 28. मॅडीया 29. गुरडाई 30. गिरादडा 31. आवास 32. मूलियावास 33. दयालपुरा ।

निम्न लिखित गांवों को पानी दिया जा चुका है:—

1. कानेलाव 2. बाला 3. हेमावास 4. रामसिया 5. मंडली 6. भीतडा इन गांवों को जो पानी दिया गया है उसका नाप करने के लिये नहर पर कोई विशेष

(जन स्वास्थ्य मंत्री)
व्यवस्था नहीं होने के कारण सीधा नाप नहीं किया जा सकता। सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। माह मार्च में जवाई से छोड़े गए पानी व जोधपुर व पाली में पहुंचे पानी के हिसाब से लगभग 25 एम.सी.एफ.टी. पानी जवाई से इन गांवों के लिये अधिक मात्रा में छोड़ा गया।

(3) शेष गांवों में से नं. 1. कान्दडा 2. दूदिया 3. चाणोद 4. लालकी 5. गिरवर 6. सुदेलाव गांवों में पानी देने के लिये विशेष निर्देशन जिलाधीश, पाली से प्राप्त हुए हैं और उन्हें पानी देने का कार्य शुरू कर दिया गया है।

दुग्ध शालाओं के लिये सर्वेक्षण

29. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में दुग्ध-शालाओं (डेयरी) के विकास के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

(2) क्या सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया कि बीकानेर जिले में डेयरी उद्योग के विकास की अच्छी सम्भावना है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस क्षेत्र में डेयरी उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से राज्य के 15 जिलों का प्राथमिक सर्वेक्षण किया गया है।

(2) जी हां। बीकानेर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में डेयरी उद्योग के विकास की अच्छी संभावना पाई गई है। 'ऑपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अंतर्गत एक लाख लिटर दूध के कारखाने लगाने की व्यवस्था की जा रही है।

बेरोजगारों की संख्या

30. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में 1 मार्च, 1972 तक कुल कितने शिक्षित व अशिक्षित लोग बेरोजगार थे ?

(ख) राज्य सरकार की 1972-73 में कितने शिक्षित/अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना है ?

(3) इस सम्बन्ध में किस-किस जिले में क्या योजनायें कब तक चालू की जावेगी।

उत्तर

(1) राज्य के कुल बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या की गणना तो नहीं की गई है किन्तु राज्य के नियोजन कार्यालयों की सूचना के अनुसार चालू पंजिका पर 1-3-72 को कुल 137094 आशार्थी रोजगार की तलाश में उपलब्ध थे। इनमें से 54560 अशिक्षित व 82534 शिक्षित थे।

(2) इस सम्बन्ध में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(3) योजनायें जिलेवार नहीं बनाई जाती हैं।

चूरू में की-विलेज स्कीम

31. श्री मोहरसिंह (चूरू) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू में अब तक की-विलेज स्कीम क्यों नहीं लागू की गई है ?

(2) अब कब तक उपरोक्त योजना चालू कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) धनाभाव के कारण अभी चूरू जिले में Key Village Scheme चालू नहीं की गई, परन्तु कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, पशु चिकित्सालय, चूरू के साथ खोल दिया गया है।

(2) धनराशि उपलब्ध होने पर इस पर विचार किया जा सकेगा।

पाली नगरपालिका द्वारा कच्चे मकानों में रहने वालों से टैक्स की वसूली

32. श्री शंकरलाल (पाली):–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली नगरपालिका द्वारा कच्चे झोंपड़ों व खपरेल के नीचे में रहने वाले गरबी व्यक्तियों के मकानों पर से हाउस टैक्स वसूल करने के नोटिस जारी किये गये हैं ?

(2) पाली नगर पालिका द्वारा हाउस टैक्स वसूली के कितने नोटिस किस आधार पर 1 फरवरी, 72 के पश्चात जारी किये गये ? कारणों सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या सरकार द्वारा पाली नगरपालिका के हाउस टैक्स वसूली के मामलों की जांच की शिकायत की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) सूची संलग्न प्रेषित है।

(3) विवरण सहित शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यकतानुसार जांच की जावेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

पाली शहर की नालियों के ढक्कन

33. श्री शंकरलाल (पाली):–क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पाली नगरपालिका द्वारा दिनांक 10-3-1971 की रात्रि को पाली शहर की तमाम नालियों पर लगे ढक्कनों को हटा दिया गया जिससे तमाम वाहनों और तांगेवालों व पैदल चलने वालों को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा ? यदि हां, तो ये ढक्कन क्यों हटाये गये ?

उत्तर

जी नहीं। यह सत्य नहीं है। प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

Page No 35

जयपुर की कच्ची बस्तियों को सुविधायें

34. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल)—क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर स्थित किन-किन कच्ची बस्तियों में किस प्रकार की सुविधायें दी गई हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन कच्ची बस्तियों में राज्य सरकार द्वारा पानी एवं बिजली की सुविधा प्रदान की है वहां के निवासियों को निजी सुप्रयोग हेतु पानी अथवा बिजली का कनेक्शन स्वीकार नहीं किया जाता? यदि हां, तो कनेक्शन स्वीकार न करने का क्या कारण है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा जयपुर स्थित कच्ची बस्तियों में पानी, बिजली व सड़क की सुविधायें दी गई हैं। सूची 'अ' 'ब' 'स' व 'ड' संलग्न है।

(2) जी हां। प्रशासनिक दृष्टि से व व्यवस्थित रूप से बनाये जाने वाली कच्ची बस्ती में किसी प्रकार की नल व बिजली कनेक्शन देने से वैधानिक बाधा न हो अतः न्यास द्वारा अनापत्ति-पत्र जारी नहीं किये जाते।

मिडिल व हायर सेकेण्ड्री स्कूलों का विस्तार

35. श्री जगमोहनसिंह (छाबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में ऐसा कोई म्युनिसिपल टाउन है जहां अभी तक हायर सैकेन्ड्री स्तर का स्कूल नहीं खोला गया है? अगर हां, तो क्यों?

(2) राज्य में ऐसा कौनसा विधान सभा क्षेत्र है जहां पर सैकेण्ड्री स्कूलों की संख्या सबसे कम है? वह संख्या क्या है और इसका क्या कारण है?

(3) मिडिल स्तर तक सबसे कम स्कूल कौन से विधान सभा क्षेत्र में हैं और इसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। वित्तीय साधनों के अभाव में स्कूल खोलना संभव न हो सका।

(2) विभाग में विधान सभा क्षेत्र के अनुसार सूचना संकलित नहीं की जाती। सबसे कम माध्यमिक विद्यालयों की संख्या जैसलमेर जिले में है जिनकी संख्या 5 है।

(3) विभाग में विधान सभा क्षेत्र के अनुसार सूचना संकलित नहीं की जाती है। जिले के अनुसार राजस्थान में सबसे कम उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जैसलमेर में है जिनकी संख्या 14 है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

प्राइमरी व मिडिल स्कूलों की क्रमोन्नति

36. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) राज्य में ऐसे कितने मिडिल स्कूल हैं जो पिछले 20 वर्षों से मिडिल स्कूल के रूप में ही चल रहे हैं।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(ख) इन स्कूलों को अब तक उन्नत क्यों नहीं किया जा सका ?

(ग) ऐसे कितने प्राइमरी स्कूल हैं जिनको पिछले 20 वर्षों में क्रमोन्नत कर हाई स्कूल, हायर सेकण्ड्री अथवा कालेज बना दिया गया है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-4-72)

राजनैतिक पीड़ितों को सहायता

13. **श्री निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य (प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:–

राज्य सरकार द्वारा राजनैतिक पीड़ितों को दी गई सहायता की सूची सदन की मेज पर रखी जाय।

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वीकृत पेंशन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 7-4-72)

भरतपुर जिले में सुरक्षा कोष के लिए एकत्रित राशि

14. **श्रीमती ऊषा प्रकाश** (बैर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भरतपुर जिले में सुरक्षा कोष में कुल कितना धन एकत्रित हुआ है ?

(2) भरतपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा स्कूली बच्चों की मार्फत कितना धन एकत्रित किया गया है तथा अलग-अलग पंचायत समितियों द्वारा कुल कितना धन सुरक्षा कोष में अब तक जमा करवाया गया है ?

(3) क्या पंचायत समितियों द्वारा स्कूली बच्चों की मार्फत जमा किये जाने वाली राशि की रसीद दी गई है ?

उत्तर

(1) कुल रु. 9,69,939-82 एकत्रित हुए।

(2) भरतपुर जिले की विभिन्न पंचायत समितियों द्वारा स्कूली बच्चों की मारफत निम्न धन एकत्रित किया गया है तथा अलग-अलग पंचायत समितियों द्वारा उनके सामने अंकित धनराशि अब तक जमा कराई गई है:–

नाम पंचायत समिति	स्कूली बच्चों की मार्फत एकत्रित धन राशि	पंचायत समिति द्वारा जमा कराई गई कुल धन राशि
1. सेवर	–	1,8[illegible]9.00
2. कुम्हेर	–	1 878.76
3. नदबई	113.02	67,776.00
4. डीग	–	43,262.00
5. कामां	–	5,870.00
6. नगर	–	1,930.2[illegible]
7. बयाना	–	1,500.00
8. बैर	1,684.09	51,144.7[illegible]
9. रूपवास	–	2,27[illegible].00
10. धौलपुर	424.65	2,419.65
11. बाड़ी	–	830 00
12. बसेड़ी	–	1,485.00
13. राजाखेड़ा	–	2,07[illegible].00
योग:–	2,221.76	1,84,3[illegible]4.45

Page No 37

(मुख्य मंत्री)

(3) इस जिले में पंचायत समिति, नदबई, बैर तथा धौलपुर में स्कूली बच्चों की मारफत धनराशि वसूल की गई थी एवं सम्बन्धित स्कूल को पंचायत समितियों द्वारा रसीद दी गई ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास, सदस्य विधान सभा ने वियतनाम में अमरीकी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से नहीं है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दी है कि वियतनाम में अमरीकी सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विषय राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है । यह बात निश्चित रूप से···

श्री परसराम मदेरणा : चेअर इज आन इट्स लैग ।

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मैंने···

अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

वित्त मंत्री (श्री चन्दनमल बैद) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित अधिसूचनायें एवं लेखे आदि सदन की मेज पर रखता हूं ।

(क) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 78 (3) के अन्तर्गत वित्त (राजस्व एवं लेखा–1) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें···

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है···

श्री चन्दन मल बैद : (1) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (11) एफ. डी।एक्स।71, दिनांक 29 मार्च, 72 जिसके द्वारा मोहन मीकन ब्रीवरीज लि. गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा राजस्थान में रक्षा सेवा कार्मिकों को मुफ्त वितरण के लिये संदाय की गई 500 बोतल रम तथा 500 बोतल बीअर को, उक्त अधिनियम की धारा 28 के उपबन्धों के प्रवर्तन से सशर्त छूट दी गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप बीच में कहां से कूद पड़े ।

श्री चन्दनमल बैद : अधिसूचना संख्या एफ····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अमरीका बीच में कहां से टपक गया !

श्री चन्दनमल बैद : 4 (13) वित्त। आब।71–II एस. ओ. 119 दिनांक 30 मार्च, 1972 जिसके द्वारा····

श्री रामानन्द अग्रवाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री चन्दनमल बैद : दिनांक 1-4-1972 से···

Page No 38

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, साम्राज्यवादी अमरीका, पूंजीवादी अमरीका वियतनाम पर गोलाबारी कर रहा है···

श्री चन्दनमल वैद : राज्य सरकार के आबकारी विभाग को प्रदाय की गई···

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : जो जनवादी लोग हैं, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं···

श्री रामानन्द अग्रवाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर को प्रिसिडेंस मिलना चाहिए।

श्री चन्दनमल वैद : समस्त प्रकार की देशी मदिराओं को आबकारी शुल्क के संदाय से छूट दी गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आन ए पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : मेज पर रख रहे हैं पत्र, उसके बीच में नहीं। बाद में पेश कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप एडजोर्नमेंट मोशन पर अपनी व्यवस्था दे रहे थे और एक व्यवस्था दे दी, उसके बाद नियमों के अनुसार आपकी व्यवस्था समाप्त न हो जाय, तब तक माननीय मंत्री कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : वह समाप्त हो गई, उसके बाद उन्हें काल कर लिया। उसके बाद रखीं।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, आज····

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : एक एक बोलें।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था। मैं इस बात को मानता हूं कि वियतनाम के अन्दर युद्ध चल रहा है, उसका प्रत्यक्ष रूप से राज्य सरकार से या राजस्थान से संबंध नहीं है। लेकिन वियतनाम में अभी जो संघर्ष चल रहा है, वहां जो युद्ध चल रहा है, वह विश्व युद्ध का रूप ले सकता है। वहां पर आज आणविक युद्ध चल रहा है। साम्राज्यवादी अमेरिका, पूंजीवादी अमरीका, जनवादी राष्ट्र को, वियतनाम के लोगों, वियतनाम के निहत्थे लोगों, जो अपनी स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे हैं, पर नापाम बम गिरा रहा है, उनके ऊपर दूसरे बम गिरा रहा है, सातवें बेड़े, जो भारत-पाक युद्ध के समय भेजा गया था, से वियतनाम के ऊपर प्रहार किया जा रहा है। वियतनाम के शहर के शहर नष्ट हो रहे हैं और एशिया के अन्दर स्थिति गम्भीर होती जा रही है, एशिया की मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है····

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। नो स्पीच प्लीज!

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : यह स्पीच का मामला नहीं है। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे पूंजीवादी राष्ट्रों ने भी इसकी जोरों से भर्त्सना की है, निन्दा की है और इसका विरोध किया है। इसका अमरीका में भी विरोध हो रहा। यत्र-तत्र-सर्वत्र····

Page No 39

श्री अध्यक्ष : आप सही फर्माते हैं, लेकिन यह नियमों में नहीं आता है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : मैं निवेदन करना चाहता हूं ···

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव के ऊपर यह परम्परा नहीं रही है कि ऐसे मसलों पर विचार किया जाय।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हिन्दुस्तान की जो इमेज क्रियेट हुई है, एशिया के छोटे छोटे राष्ट्रों के मामलों में बड़े बड़े राष्ट्र हस्तक्षेप करते हैं, साम्राज्यवादी अमरीका, पूंजीवादी अमरीका, हस्तक्षेप कर रहा है, उसकी हमें निन्दा करनो चाहिए। दिल्ली में प्रदर्शन किये गये हैं, वहां पर स्टूडेण्ट ने प्रदर्शन किये हैं, जो राजस्थान की ढाई करोड़ जनता, जो वियतनाम में गोलाबारी हो रही है···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करने की कृपा करें। कृपा करके समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। मेरा यह निवेदन है····

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मानवता समाप्त हो रही है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, यह साम्राज्यवादी पूंजीवादी राष्ट्रों की चुनौती है। इसके सम्बन्ध में हम इस सदन में नहीं बोलेंगे और उसकी भर्त्सना नहीं करेंगे तो यह हमारी कमजोरी रहेगी। एशिया के छोटे छोटे राष्ट्र पर अमरीका हमला कर रहा है····

श्री अध्यक्ष : उनको पूरा करने दीजिये, कृपा कर।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी·····

श्री अध्यक्ष : मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिला दूं। आज बजट पर वाद-विवाद हैं·····

श्री सुरेन्द्र प्रसाद : बजट का ताल्लुक नहीं हैं। यह अमरीकी नीति की निंदा करने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : आप निंदा ही करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : वियतनाम के सम्बन्ध में पंजाब विधान सभा में चर्चा हुई है और उन्होंने एक प्रस्ताव भी पारित किया है इस उद्देश्य से कि वियतनाम की प्रोवीजनल सरकार को मान्यता दे दी जाए। मैं समझता हूं, यह इनसानियत की मान्यता का प्रश्न है, इस सदन को अधिकार है कि व्यवस्था के अन्तर्गत कि कुछ एक ऐसी असाधारण परिस्थिति विश्व के अन्दर पैदा हो जिसका संबंध भारतवर्ष से भी हो, जिसका संबंध इनसानियत से हो, उस विषय को चर्चा का विषय सदन बना सकता है।

श्री निरंजन नाथ आचार्य (मावली) : यह परम्परा का प्रश्न हैं। यदि पंजाब विधान सभा में चर्चा हुई है तो मैं चाहता हूं कि इस पर जो निर्णय दिया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए। पंजाब विधान सभा का कोई निर्णय है तो उस संदर्भ में इस निर्णय पर पुनः विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं उसकी जानकारी करूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस सम्बन्ध में यदि सरकार इस बात को पसंद करे तो अपना कामन रेजोल्यूशन इस बात पर मूव किया जा सकता है जिसमें सरकार व आपोजीशन मिलकर भाग लें और वह चेयर की तरफ से आ जाए, जिससे माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल जाएगा। इसमें संदेह नहीं है कि यह प्रश्न वर्ल्ड वार से ताल्लुक रखता है। इस संदर्भ में पिछली बार भारत-पाक युद्ध हुआ। अमरीकन इम्पीरियलिज्म ने जिस तरह की घटनायें की हैं, वह केवल वियतनाम का प्रश्न नहीं यह तमाम एशिया व विश्व शांति के लिए खतरा है। इसलिए यह विधान सभा अपने विचार व्यक्त करे, यह जरूरी है। तो मैं ट्रेजरी बेंचेज से कहूंगा कि वे इस बात के लिए एग्री करें इस पर और समय निर्धारित करें। प्रस्ताव आ जाए और सदन उसको मंजूर कर ले।

श्री अध्यक्ष : यह स्थगन प्रस्ताव का विषय नहीं बन सकता है लेकिन फिर भी सदन की इच्छा है कि इस पर विचार व्यक्त करें तो इसके लिए क्या मार्ग हो सकता है, कल आपके सामने रखूंगा।

श्री मालाराम (नीम का थाना) : जो नीम के थाने में घटना हुई····

श्री अध्यक्ष : समय नहीं है।

श्री मालाराम : समय है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री गुमानमल लोढा : नीम का थाना में रामकुमार नामक व्यक्ति की हत्या····

श्री अध्यक्ष : आज के लिए था ?

श्री गुमानमल लोढा : आपने आश्वासन दिया था कि सरकार से जानकारी चाही गई है। हत्याकांड के मुल्जिम आज पुलिस अधिकारियों के साथ घूम रहे हैं। वहां का प्रशासन कांग्रेस सरकार नहीं चला रही है। गुंडों को पाल रखा है और इस हत्याकांड के सिलसिले में वहां 25 हजार लोग इकट्ठा हो रहे हैं जो जानना चाहते है कि प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही चल रही है ? यदि जानकारी नहीं आई हो तो सदन को आश्वस्त किया जाए और कल इसको लिया जाए।

श्री अध्यक्ष : अभी अभी जानकारी आई हैं। इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिलाया जाएगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलोदी) : रामबाग होटल वाली जमीन की बिक्री के बारे में आज बहस होने वाली थी।

श्री अध्यक्ष : वह रिजेक्ट हो चुका।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : वह रिजेक्ट नहीं हुआ है जहां तक मुझे जानकारी है वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जरूर है, राजस्थान सरकार की उस जमीन की मालिक है। उस भूमि के संबंध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया था और उस पर बहस करने का मौका दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगन प्रस्ताव की बात कह रहा हूं।

Page No 41

श्री श्रीराम गोटेवाला : श्री मोहनलाल छंगाणी ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए निवेदन किया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अलवर में 22 अप्रेल को अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने वाला था, अतिरिक्त जिलाधीश ने जान बूझकर . . .

श्री अध्यक्ष : कभी तो बैठा करें। आपने तो कसम खाली है। मजबूर हैं आदत से।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्प्रिंग लगा हुआ है नीचे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपके पीछे और भारतीया के पीछे लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जिन स्थगन प्रस्तावों पर हम जानकारी चाहते हैं, उनका जिक्र पहले ही हुआ है। अब तय किया है कि उनका जिक्र तभी करेंगे जब सूचना आ जाए और एक्सेप्ट कर लें या रिजेक्ट कर लें। जब तक जानकारी न आ जाए तब तक सदन में नहीं आएगा। जिन माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव दिए हों जो जानकारी के लिए गए हैं, उनका जवाब आने पर ही सदन में रखा जाएगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अलवर के बारे में मैंने 3 दिन पूर्व . . .

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही गई है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : लेखाकार समिति और माननीय सदस्य हांडा द्वारा राज्य-कर्मचारियों . . . .

श्री रामानन्द अग्रवाल : गलत है। कान्ट्रेडिक्शन आ गया है।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या जानकारी करके सदन . . .

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों के बारे में जानकारी सरकार से चाही है। उसके बाद ही सदन में रखी जाएगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): आपने जो व्यवस्था दी है उस संबंध में निवेदन करना है कि यह व्यवस्था, जो सदन की परम्परा रही है पिछले 4 विधान सभाओं में, उससे बिल्कुल भिन्न है और इससे माननीय सदस्यों को जो अधिकार है, अपनी बात कहने का, उसका हनन होता है। अभी तक कम से कम यह होता आया है कि जो भी स्थगन प्रस्ताव दिये जायं वह कम से कम एक घंटा पहले दिया जाना चाहिए, उनका रेफरेंस इस सदन में प्राप्त हो चुका है। चेयर द्वारा व्यवस्था दी जाती थी। अगर उसी समय रिजेक्ट कर दें तो कर दें। अगर जानकारी लेनी है तो वह कह दें या उस बारे में जो कुछ बात कहनी है वह कहें, इस प्रकार की व्यवस्था रही है। उससे माननीय सदस्यों को यह पता लगेगा कि उनके प्रस्ताव पहुंच गये हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं उनका जनता को पता लगेगा कि वे सदन के नोटिस में लाए गए हैं। इसलिए यह व्यवस्था जो आपने दी है उस पर आप पुनः विचार करें और जैसे पहले परम्परा रही है डिफरेंट डीलर्स आफ डिफरेंट ग्रुप्स और पार्टीज को बुला कर उसी समय आप बातचीत करके किसी निर्णय पर पहुंचें तो संतोष-

(श्री रामानंद अग्रवाल)

जनक होगा। वरना अननेसेसरिली इस सदन में यह असंतोष का कारण बनेगा।

श्री **गुमानमल लोढा** (जोधपुर) : मैं एक व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है और आने वाले 5 वर्षों के लिए सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों पर इसकी प्रतिक्रिया होगी। मेरा निवेदन है कि स्थगन प्रस्ताव असाधारण स्थिति में रखा जाता है और अध्यक्ष महोदय से निवेदन किया जाता है कि राज्य के अन्दर ऐसी गंभीर स्थिति पैदा हो गई है जिससे सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाए। यदि स्थगन प्रस्ताव को ही स्थगित कर दिया जाएगा तो, क्षमा करेंगे, मैं नहीं कहना चाहता कि आप उसे कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहें, लेकिन इसका असर यह होगा कि माननीय सदस्य जो स्थगन प्रस्ताव को रखेंगे उनको पता नहीं लगेगा कि उनके स्थगन प्रस्तावों का क्या हुआ? क्या आपने सरकार से उनकी जानकारी चाही है, क्या सरकार से वक्तव्य देने के लिए कहा गया है, क्या नियम अनुकूल हैं अथवा प्रतिकूल हैं? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी व्यवस्था की जाए स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो पिछले 20 सालों से एस्टेब्लिस्ड प्रैक्टिस है, क्या अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि उससे डाईवर्ट करें या बदल लें? अन्यथा माननीय सदस्यों की ओर से और मेरी ओर से प्रार्थना करूंगा कि सदस्यों का बहुमूल्य अधिकार है और सदन के सामने राज्य में किसी स्थिति को लेकर अविलंब रखने का एक मात्र यह साधन है। इस साधन को किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष यदि समाप्त किया जाता है और आघात किया जाता है या रुकावट होती है तो वह सदस्यों के अधिकार के लिए आघात होगा और जैसे श्री रामानंदजी ने कहा है मैं उसका समर्थन करूंगा। कम से कम यह मसला ऐसा है जिसे आप यहां पर मेन्शन कर दें और निर्णय बता दें ताकि जो जानकारी चाही है उससे सदस्यों को जानकारी होती रहेगी।

श्री **केदारनाथ** (गंगानगर) : लोकसभा का आपने हवाला दिया है। लोक सभा में वर्किंग डेज ज्यादा होते हैं। यहां की परंपरा को देखते हुए रूल्स साइलेंट हैं। स्थगन प्रस्ताव को रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, आपका अधिकार है उस बारे में मैं चैलेंज नहीं करता। मगर इतना सबमिट करूं कि आप रीड आउट करने के बारे में आप व्यवस्था दें।

श्री **अध्यक्ष** : मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं....

श्री **झावरमल** (फतहपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपने जो व्यवस्था दी है वह बहुत ही सोच विचार कर दी है। लेकिन इस व्यवस्था से यह एक प्रश्न मात्र बन कर रह जावेगा। सलाह करके इस बात को लिया जाय तो ज्यादा बढ़िया रहेगा।

श्री **अध्यक्ष** : माननीय सदस्यों की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जो अधिकार आपको नियमों के अन्तर्गत दिये गये हैं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपके उन अधिकारों में किसी प्रकार की कोई कमी आये। मैं आपके साथ हूं कि आपके

Page No 43

(श्री अध्यक्ष)
अधिकारों में कोई भी कमी न आये। लिबरल इन्टरप्रिटेशन लेकर भी मैं आपके अधिकारों की सुरक्षा करना चाहूंगा।

कोशिश हमारी यह रही है कि जो परम्परा और नियम पार्लियामेंट में बने हुए हैं उन्हीं के अनुसार हमारे यहां भी नियम आदि बने हुए हैं। उनके यहां की परम्परा और नियम जो वहां चलते हैं करीब करीब वे ही यहां पर चलते रहे हैं। पार्लियामेन्ट से यह बात जाननी चाही थी कि उनके यहां पर एडजोर्नमेंट मोशन के बारे में क्या तरीका है और क्या नियम हैं। जवाब यह मिला है कि यदि सरकार से सूचना चाही गई हो तो माननीय सदस्य को मौखिक रूप से सूचना दे दी जाय। आपके स्थगन प्रस्ताव सरकार के पास भेजे जाते हैं। क्या कार्यवाही हुई है वह तो वह हमें सूचना देंगे और जिन माननीय सदस्यों ने एडजोर्नमेन्ट मोशन भेजा है उनको वह जानकारी भेज दी जाती है जहां तक हो सकता उसी दिन दी जाती है जिस दिन भेजा हैं।

ऐसे स्थगन प्रस्ताव हाउस के सामने दो दफा आते हैं। एक तो पहली दफा जब जानकारी चाही गई है। दूसरी दफा जब उसको स्वीकार किया जाय अथवा अस्वीकार किया जाय। हाउस में लाना जरूरी होता है तो उस वक्त माननीय सदस्य उस पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जानकारी चाही गई है और जिसमें जानकारी अपूर्ण रहती है, सरकार से जो भी जानकारी आ जाती है वह सब माननीय सदस्यों के सामने आ जाती है और उसको स्वीकार किया जाय या अस्वीकार किया जाय यह तथ्यों पर रहता है। पार्लियामेन्ट में भी यही तरीका और परम्परा है। हमने भी यह किया है कि माननीय सदस्यों को जानकारी की सूचना दी जावेगी कि उसको जानकारी के लिये सरकार के पास भेजा गया और जवाब उसका सरकार से आने पर माननीय सदस्यों के सामने हाउस में रख दिया जावेगा। इसलिये जहां तक आपके अधिकारों का ताल्लुक है मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूं और आपसे सहमत हूं उसमें कोई गलतफहमी नहीं रहनी चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में स्थगन प्रस्ताव को पढ़ेंगे, उसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आया और विधान सभा के सामने उसको रखा कि सदन की कार्यवाही स्थगित करके पहले उस पर विचार किया जाय, इस दृष्टि से इस बात से तो एडजोर्नमेन्ट मोशन को रखने का कोई लाभ नहीं होगा। जब लाभ नहीं हुआ तो स्थगन प्रस्ताव का मतलब ही नहीं रहेगा। आपके जो नियम हैं इस समय तक स्थगन प्रस्ताव के विषय में उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्ष : यह नेचर ऑफ एडजोर्नमेन्ट मोशन पर डिपेन्ड करता है। ऐसे एडजोर्नमेन्ट मोशन हो सकते हैं जिनमें गवर्नमेन्ट से कहा जा सकता है कि इसका जवाब कल ही सदन में आये। बहरहाल जवाब तो उनको देना पड़ेगा। बगैर जानकारी के तो कहना मुश्किल है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपने लोक सभा की मिसाल दी है। लोक सभा में डेली जीरो आवर होता है और कोई भी सदस्य प्रश्न उठा सकता है, कोई एडजोर्नमेन्ट मोशन उठा सकता है, सवाल उठा सकता है। उस बात की पूर्ति हो जाती है जो यहां एडजोर्नमेन्ट मोशन के द्वारा होती है। तृतीय विधान सभा में तीन बार एडजोर्नमेंट मोशन आया और चतुर्थ विधान सभा में उसको कम कर दिया गया उससे माननीय सदस्यों में असंतोष है। इसलिये इस असंतोष को दूर करने के लिए एक रूल्स कमेटी बना दीजिये कि उसमें सदन के माननीय सदस्य इस प्रश्न को उठायें। लोक सभा के आधार पर रूल्स चेन्ज करना चाहेंगे तो कमेटी बना कर उसके अनुरूप कर दें तो हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। नियमों को पार्शियली लागू करें और माननीय सदस्यों के अधिकार छीनें उससे दिक्कत पैदा होती है और लोक सभा में जो अधिकार हैं उनको माननीय सदस्यों को यहां न दें तो उचित नहीं होगा। आपको भी यह नहीं करना चाहिये। इसलिये आप एक रूल्स कमेटी नियुक्त कर दें और जो अब तक व्यवस्था है वह तब तक रहे जब तक कि रूल्स कमेटी अपना निर्णय नहीं ले लेती है इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। वहां यह असंतोष बढ़ेगा जहां कि बड़ी अहमियत का प्रश्न है, जिसको हाउस के सामने लाना चाहेंगे और उस स्थिति में नहीं ला सकेंगे और सही परम्परा जो आप डालना चाहते हैं उसको अनावश्यक रूप से तोड़ेंगे। आप इस पर पुनर्विचार करके इस पर रूल्स कमेटी बना दीजिये।

श्री निरंजन नाथआचार्य : एक प्रश्न मैं अर्ज करना चाहता हूं। रूल्स में प्रावधान है या नहीं यह प्रश्न अब नहीं रहता है। है। परम्परा बराबर चलती आयी है। फोर्स ऑफ रूल्स उसमें हो गया। स्थगन प्रस्ताव पर जानकारी देने के प्रश्न का यह अर्थ लिया जाता रहा है कि एक माननीय सदस्य का स्थगन प्रस्ताव आये तो सारे सदन को सूचना मिल जाती है इसलिये व्यक्तिगत रूप से उसको सूचना देना यह एक अलग बात बन जाती है। इसलिये जो परम्परा बन चुकी है उसके अनुसार उसमें नियम का फोर्स अपने आप आ जाता है।

श्री गुमानमल लोढा : आपकी बात से तो ऐसा लगा कि आप माननीय सदस्यों की बात को स्वीकार करते हैं लेकिन अन्तिम रूप में आपने यह कहा कि पंचों का हुक्म सर माथे है लेकिन परनाल तो वहीं गिरेगा। सदस्य इस बात से आतुर है कि स्थगन प्रस्ताव को स्थगित न किया जाय और आज की योजना के अनुसार यह स्थगन प्रस्ताव को स्थगित करने की परम्परा है। लोक सभा में भी स्थगन प्रस्ताव लिये जाते हैं। अब तो प्रचण्ड बहुमत है। समय की कोई कमी नहीं रहेगी। माननीय सदस्यों की ओर से जवाब तलब करने के लिये स्थगन प्रस्ताव रखे जावेंगे, मंत्री महोदय की ओर से जिस दिन जवाब आ जाय उसको सदन के सामने सूचित कर देंगे क्या यह सदन की गरिमा, आसन की गरिमा और परम्परा चल रही है उसके अनुरूप होगा? आप हमारे अधिकारों के रक्षक हैं। आप द्रुत गति से उनको आगे बढ़ायेंगे। जो अधिकार प्राप्त हैं, 20 साल का इतिहास है उसके सन्दर्भ में मैं पुरजोर प्रार्थना करूंगा कि इस प्रश्न को, जैसा कि दूसरे माननीय सदस्य ने कहा है, रूल्स कमेटी के

(श्री गुमान मल लोढा)

सामने रखें, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने रखें और इस पर पुनर्विचार करें लेकिन हमारे अधिकारों को कुंठित न करें और नहीं तो यह माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होगा, मुझे आप क्षमा करेंगे कि इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। स्थगन प्रस्ताव आपके पास आयगा, उसको आप मंत्री महोदय के पास भेज देंगे। मंत्री महोदय की इच्छा होगी जब उसका उत्तर प्रस्तुत करेंगे। इससे तो स्थगन प्रस्ताव का जो इम्पॉर्टेंस है वही समाप्त हो जावेगा। यह एक गंभीर प्रश्न है। यह आज का प्रश्न नहीं है। पांच वर्षों का प्रश्न है। सब माननीय सदस्यों का अधिकार है कि यहां पर प्रश्न उठायें। कृपया हमारे अधिकारों की आप रक्षा कीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं विशेष समय सदन का नहीं लूंगा। दो ही शब्द निवेदन करना चाहूंगा। जो परम्परा लोकसभा में है इस सम्बन्ध में आपने प्रकाश डाला। उससे मैं सहमत हूं। लेकिन इस सदन की परम्परा को ध्यान में रखते हुए सदन की सुचारु रूप से कार्यवाही चले इस महत्वपूर्ण प्रश्न को ध्यान में रखते हुए मेरा कुछ निवेदन करना है कि लोकसभा की परम्परा की हम इज्जत करते हैं। लेकिन इस सदन के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि हरेक लोकसभा की परम्परा को आंख मींचकर हम मान लें।

इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष महोदय, यहां पर एक परम्परा 20 साल से बनी हुई है। अब यह अलग प्रश्न है कि वह परम्परा अच्छी है या बुरी है, पर है। पर आज उस परम्परा को चुनौती देने के फलस्वरूप सदन के माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं मिला है। व्यक्तिगत रूप से तो मैं चाहे निवेदन कर दूं कि माननीय सदस्यों की तरफ से जो स्थगन प्रस्ताव आते हैं उनको दूसरी सुन्दर प्रक्रिया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में लाया जा सकता है, परन्तु यहां सदन की परम्परा के अनुसार यह नहीं किया गया इस मामले में। अब अगर कई माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में ही अपने प्रस्ताव रखते हैं तो हमारी यहां की परम्परा को निभाते हुए मेरा यह निवेदन है कि एक कन्वेन्शन जो बना हुआ है उसके विपरीत आज जाने के लिए कोई खास कारण नहीं है।

विशेष निवेदन नहीं करते हुए इतना ही इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में और भी चर्चा करनी हो तो विपक्षी दल के नेताओं को आपके कक्ष में बुलाकर इस बारे में चर्चा कर ली जावे जिससे कि भविष्य में हमारे सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से चलती रहे।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : एक निवेदन, अध्यक्ष महोदय, मेरा भी है। सब अधिकार आसन में निहित हैं और आसन अपने अधिकारों के द्वारा सदन के माननीय सदस्यों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो आसन को प्रतिबन्धित करना, मर्यादित करना, सीमित करना और सदस्यों के अधिकारों को मन्त्रियों की दया अथवा कृपा पर छोड़ना जनहित में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार सुरक्षित रहें

(श्री अध्यक्ष)
इस ओर प्रयत्न करना और जागरूक रहना मेरा कर्तव्य है। इनमें कमी न आवे यह भी देखना मेरा फर्ज है। सिर्फ इतनी बात थी कि अपनी जो पार्लियामेन्ट की परम्पराएं हैं उनके अनुकूल भी अपने को ढालना अच्छा है। यह समझ कर इस बात का जिक्र किया था।

इसके अलावा एक बात और हो सकती है। अपने यहां की परम्परा रही है और इसका हवाला अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है और धारा सभाओं में जो परम्परायें हैं, इस सम्बन्ध में वह भी जानकारी का विषय हो सकता है, फिर भी मेरा बहुत आग्रह नहीं है कि माननीय सदस्य अपनी कोई स्वयं की परम्परा न बनाएं। न मैं माननीय सदस्यों के अधिकारों को छीनना चाहता हूं। मैं समझता हूं आपकी इच्छा बोलने की है तो नियमों के अन्दर ही रहते हुए जो कहना चाहें कहें।

साथ ही विपक्ष के नेता महारावल साहब ने भी कहा कि जो हमारे विरोधी दल के अलग-अलग नेता गण हैं उनसे बातचीत करने के बाद इस पर कोई अन्तिम निर्णय लिया जाय। मैं समझता हूं यह भी उचित ही है। और इस तरह से मिल कर बातचीत करके जो अन्तिम निर्णय होगा, वह कर लेंगे।

आय व्ययक पर विचार

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री **चन्दनमल बैद** (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ पत्र सदन की मेज पर रखने हैं।

सन् 1970-71 के विनियोग वित्त लेखे एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री **गुमानमल लोढा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष : आज ही 11 बज कर दो मिनिट पर आपका वह आया है। उसे कल ले लिया जावेगा।

श्री गुमानमल लोढा : बजट के लीकेज का प्रश्न है।

श्री **अध्यक्ष** : बजट की बहस के दौरान कह लीजिये। या फिर कल ले लें।

श्री **गुमानमल लोढा** : बजट 26 तारीख को प्रस्तुत किया जाने वाला था और 25 को ब्यावर में मुख्यमंत्री महोदय ने इसका लीकेज किया।

श्री **अध्यक्ष** : मैंने वैसे इसे कल पर रखा है। या तो कल फर्मा दें या आज जब आप बहस करें तो बोल लें इस पर।

श्री **गुमानमल लोढा** : कल रख लीजिये लीकेज के प्रश्न को।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री **अध्यक्ष** : आय व्ययक पर सामान्य-विवाद। श्री महारावल साहब।

श्री **लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं सोमवार को बोलने का विचार रखता हूं। अभी मेरे गुमानमलजी लोढा ही अर्ज करेंगे।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : आपकी तरफ से बोल रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : विपक्ष की ओर से।

श्री रामानन्द अग्रवाल : महारावल आपको अपने पावर डेलीगेट कर रहे हैं ?

श्री गुमानमल लोढा : यह तो आपके सोचने समझने का तरीका है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय का भी निर्धारण किया गया है। इसकी जानकारी मेरे चेम्बर में आकर चाहें तो कर लें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : आप सदन में ही अनाउन्स कर दें।

श्री अध्यक्ष : कुल 22 घण्टे हैं। जिसमें से 16 घण्टे कांग्रेस को और 6 घण्टे अपोजीशन को। 6 घण्टे में से डेढ घण्टा स्वतन्त्र पार्टी को, सवा घण्टा जनसंघ को, 45 मिनिट एस. एस. पी. को, पौन घण्टा कम्युनिस्ट पार्टी को, 15 मिनिट ओल्ड कांग्रेस को, और डेढ घण्टा इण्डिपेण्डेण्ट्स को।

श्री केदारनाथ : यह काफी कम है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह बहुत कम है। हम मानते हैं कि कांग्रेस का आज प्रचण्ड बहुमत है और वे अधिक समय नहीं देंगे बोलने का।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : आप समय खाते ही जाते हैं। इस पर पुनः विचार करना पड़ेगा। बराबर-बराबर करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बराबर का तो सवाल ही नहीं होता।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सरकार की ओर से तो बजट प्रस्तुत ही किया गया है। उनको क्या बोलना है, बोलना तो हमें ही है। उनको तो समर्थन करना है।

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये, देख लेंगे।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं निकला। जनता इस बात की प्रतीक्षा कर रही थी कि नये चुनावों के बाद और मंत्रि मण्डल बनने के बाद ही कोई नया बजट आवेगा, पर उस समय यह कह दिया गया कि बजट तैयार करने के लिये समय कम मिला है इसलिये पक्का बजट बाद में रखेंगे। अभी तो सोचने, समझने, मनन और चिन्तन करने के लिये समय चाहिये। जनता चुप रही और प्रतीक्षा करने लगी कि राजस्थान की प्रगति और विकास की ओर बढ़ते हुए चरणों को तीव्र गति देने वाला बजट आवेगा और इसका कोई सुन्दर चित्र हमारे सामने आवेगा।

लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जनता की यह मनोकामना पूरी नहीं हुई इस बजट को और बजट स्पीच को देख सुन कर। राजस्थान का कृषक, मजदूर, सामान्य कर्मचारी और साधारण जनता इस बजट की रूपरेखा देखकर भौंचक्का रह गई।

बजट में प्रगति के बढते चरण रुकते दिखाई दे रहे हैं। विकास न होकर प्रगति

(श्री गुमानमल लोढा)

की गति मन्द होने वाली है। जिस गांव की समृद्धि का स्वप्न लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने सारे भारत में अलख जगाया उसी के अनुयायियों की इस तथा कथित प्रगतिशील सरकार ने गांव के ही छोटे से छोटे व्यापारी पर, व्यक्ति पर, टैक्स का बोझा डाला है। धान और अनाज जिस पर सारा देश पलता है उस पर भी वित्तमन्त्री का कुठाराघात हुआ है। और चाय! चाय का कप पीने वाला गरीब मजदूर, किसान और सामान्य छोटा कर्मचारी काफी श्रम और परिश्रम करके थका हारा जब एक कप चाय से अपना सन्तोष करने के लिये होटल में बैठकर पीने को आता है तो आपने उस गरीब की ही जेब पर डाका डाला है। लेकिन वित्त मंत्री महोदय और उनकी कोप दृष्टि पिसते हुये मजदूर पर भी टैक्स लगाने से न बच सकी। होटल में नमकीन पर भी दो आने की सेव पर टैक्स लगा दिया। दो आने की सेव यदि मजदूर, कर्मचारी, किसान या विद्यार्थी लेने को आगे हाथ बढ़ायेगा तो माननीय चन्दनमल जी की तस्वीर उसके सामने भी आयेगी। नमकीन पर टैक्स, मिठाई की तो बात ही छोड़ दीजिये। जब मैंने बजट भाषण को पढ़ा तो मुझे दुःख हुआ किसान पर भी टैक्स। जिस किसान के कारण से सारे देश के अन्दर, सारे देश के रहने वालों को भोजन मिलता है, उस किसान के ट्रैक्टर पर भी टैक्स लगा दिया। यदि ट्रैक्टर से वह धान उपजाता है तो उस किसान के उद्धार पर भी टैक्स लगा दिया। उस किसान को हर चीज पर टैक्स और इन टैक्सों की भरमार के कारण मुझे ऐसा लगा कि लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्ष इन तीन नामों की माला जपने वाला सत्तारूढ़ दल केवल नामों का ढिंढोरा पीटता है न आज देश में समाजवाद है, न सही मायने में लोकतन्त्र है और न धर्मनिरपेक्षता ही रहा है। हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कहा पिछले इतिहास को देख चुके हैं। अब हम भूगोल बदल रहे हैं। लोकतन्त्र, समाजवाद और धर्म-निरपेक्षता की नींवों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं लोग अब अधिक समय तक ठहर नहीं सकते हैं। उस समय के वित्त मंत्री श्री मथुरा दास माथुर के बजट को पढ़ा तो मुझे हैरानी हुई, परेशानी हुई। उन्होंने क्या कसूर किया था आज के बजट में भी वही भाषा है, वही शब्द है। अन्तर केवल एक है उस समय के वित्त मंत्री महोदय श्री माथुर ने जो भाषण दिया था उसमें उर्दू के शब्द थे और आज उन उर्दू के शब्दों के स्थान पर हिन्दी के शब्द हैं। उन्होंने कहा था उर्दू में माननीय सदस्यों की इच्छा जरूर पूरी करता, मगर मजबूरी है मेरी कि गुलों को खार से कैसे जुदा किया जावे। कोशिश जरूर रही है कि दर्दे खार अवाम को महसूस न हो। फिर आगे उन्होंने कहा है "हमारा मकसद गरीबी, सामाजिक अन्याय और शोषण को मिटा कर एक नये समाज की रचना करना है। इस मकसद को हासिल करने के लिये हमें अपने नजरिये और तौर तरीके में इन्कलाबी तब्दीली लानी होगी। सदियों से मुफलिसि के दामन में पलने वाला, दबा इन्सान अब निजात चाहता है। उसकी सब्र का जाम लबरेज हो चुका है। वह तेजी से मंजिल की तरफ बढ़ने के लिये बेताब है। मंजिल दूर है। और रास्ता कठिन

(श्री गुमानमल लोढा)

है।" श्रीमान् माथुर साहब के ये शब्द और आज के वित्त मंत्री महोदय श्री चन्दनमल बैद के बजट स्पीच में कोई फर्क नहीं है। वही वाक्य है, वही शब्द हैं। हर बजट में शराब और सिगरेट पीने वालों पर कुछ मुसीबत जरूर आती है इसलिये शराब को अछूता छोड़ना ठीक नहीं होगा—It is an old wine in a new bottle. लेकिन क्या जनता इस प्रकार की शब्दावली से और इस प्रकार के लच्छेदार शब्दों के चक्कर में आने वाली है। आंकड़ों को घुमाकर कह दिया गया है। मैं उनसे कहना चाहूंगा उन्होंने भूगोल का परिवर्तन नहीं किया, इतिहास का परिवर्तन नहीं किया लेकिन अंकगणित के आंकड़ों का जरूर परिवर्तन किया है। जिस प्रकार आंकड़ों को तोड़ मरोड़कर विकास के स्वरूप को बताने का प्रयास किया गया है वह बेकार है, और जनता के साथ धोखा है। जिस समय माननीय माथुर साहब ने सदन के अन्दर अपनी बजट स्पीच पढ़ी थी तब भी सदन के अन्दर तालियों की गड़गड़ाहट हुई थी और मेजे थपथपाई गई थी इसलिये यह कोई खास बात नहीं है कि बजट स्पीच के अन्दर तालियों की गड़गड़ाहट हो और मेजे थपथपाई जायं। आज राजस्थान की दो करोड़ जनता जानना चाहती है क्या यह सही है कि सन् 71-72 में जो आंकड़े सरकार ने प्रस्तुत किये हैं, मैं वित्त मंत्री महोदय से कहूंगा वह शब्द जाल से अलग हट कर, अपनी दृष्टि को पैनी करके, उस गरीब मजदूर की तरफ देखें, उस गरीब इन्सान की तरफ देखे, जो कन्धों पर बोझा उठाता है, जिसके बदन से सारे दिन पसीना बहता रहता है, जिसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं रहता, जिसको खाने को दाना नहीं मिलता है और आज समाजवाद का ढोल पीटने वाले इस सदन के अन्दर उसको क्या मिलता है, मैं बताना चाहूंगा। ये सरकारी आंकड़े हैं, सरकार के द्वारा प्रकाशित किये गये हैं, जिसमें बताया गया है कि उस गरीब मजदूर को जो बोझा ढोता है और सारी जिन्दगी कंधे पर बोझा ढोकर पूरी करता है उसको 73 पैसे मिलते हैं। यह है राजस्थान का समाजवाद। आज किस चेहरे को लेकर और बेनकाब होकर आप सदन में आये हैं। वित्त मंत्री जी इसकी जांच कर लें। ये सरकारी आंकड़े हैं और सरकार द्वारा प्रकाशित हैं। 272 और 273 पृष्ठ पर आप इनको पढ लें। भार वाहक मजदूर और भार वाहक मजदूर के अन्दर बताया गया है कि उस भार वाहक गरीब मजदूर को मजदूरी के 73 पैसे मिलते हैं। आप एक गरीब मजदूर पर विचार करें। हम बात करते हैं, असमानता को दूर करने की, गरीबी और अमीरी की जो खाई है, उसको मिटाने की और कहते हैं कि हरित क्रान्ति लायेंगे, श्वेत क्रान्ति लायेंगे गरीबी और अमीरी की खाई को मिटायेंगे, हर इन्सान को आगे बढ़ायेंगे, लेकिन 73 पैसे में मजदूरी करके मजदूर क्या अपना और अपने परिवार का खर्चा वहन कर सकता है? मैं इस बात का जवाब वित्त मंत्री जी के उत्तर में जानना चाहूंगा सरकारी आंकड़े हैं। 73 पैसे में एक गरीब मजदूर किस प्रकार अपने परिवार का खर्च वहन कर सकता है? मैं यह कहना चाहूंगा, गत वर्ष से लेकर इस वर्ष तक सरकार समाजवाद की रट लगाती रही है लेकिन

(श्री गुमानमल लोढा)
मैं जानना चाहूँगा कई मंत्रियों को हटाया गया, कई नये मंत्रियों को बनाया गया, मंत्री मण्डल में रद्दो बदल किया गया और यह कह कर नहीं किया गया कि पहले वाले मंत्री बेदाग नहीं हैं, पहले वाले मंत्री समाजवाद में आस्था नहीं रखते थे, पहले वाले मंत्री सिन्डीकेट के सदस्य हैं। ये आंकड़े इस बात के साक्षी हैं–इन आंकड़ों में बताया गया है सन् 69–70 में बोने वालों को 3.29 पैसे मिलते थे। और नये समाजवाद और नये प्रगतिवाद में, नई दिशा में बोने वाले को हमारे मुख्य मंत्री के मंत्री मण्डल में 3.15 पैसे कर दिये। यही है आपकी प्रगति के आंकड़े। इस प्रकार एक नहीं अनेक आंकड़े साक्षी हैं।

मजदूर पिछले एक साल के अन्दर और ज्यादा गरीब हुआ। मजदूर को और अधिक पीसा गया है, उनकी प्रगति अवरुद्ध हुई हैं, उनके रास्ते में रुकावट डाली गई है, उनको बढने से रोका गया है और यह कहा गया है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं और वास्तव में आपका जो समाजवाद है और जो राज्यपाल महोदय के भाषण में भी कहा गया है, राज्यपाल महोदय के समाजवाद का बिगुल बजाने के बाद सायंकाल का भोज किया गया और उसमें माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। सायंकाल पोद्दार पार्क में भोज धन्ना सेठों द्वारा दिया गया है, उसको हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने मंजूर किया। धन्ना सेठों के द्वारा भोज का आयोजन किया गया, किसी मजदूर और गरीब के द्वारा नहीं किया गया। बम्बई में बैठे धन्ना सेठों ने भोज का निमन्त्रण दिया क्योंकि उन धन्ना सेठों ने चुनावों में चन्दा दिया था। इस कारण से आज कांग्रेस के लोग यहां बैठे हैं। मुख्य मंत्री दिल्ली के अन्दर अशोक होटल के अन्दर टिकट का बंटवारा करके मुख्यमंत्री जी धन्ना सेठों के यहां जाकर बम्बई में जाकर ताजमहल होटल में पहुंच गये। जब पोद्दार पार्क का निमन्त्रण आया और मैंने उसको देखा कि क्या किसी कर्मचारी संघ का निमंत्रण आया है, किसी पटवार संघ का निमन्त्रण आया है, क्या किसी मजदूर संघ का निमन्त्रण आया है, क्या किसी महिला संघ का निमन्त्रण आया है लेकिन उसको पढ़ा तो पता लगा पोद्दार पार्क का इन्वीटेशन है। पोद्दार पार्क में गजाधर सोमानी ने स्वागत किया। बड़े बड़े धन्ना सेठ स्वागत करते है, बांगड, टाटा, बिड़ला, सिंघानिया जो आज तक जनता का शोषण करते हैं और जनता का शोषण किया है उनके साथ हमारे वित्त मंत्री महोदय समाजवादी चेहरे को लेकर पोद्दार पार्क में पधारें। उस समय यह सारा चेहरा बेनकाब हो जाता है। अगर इनकी कथनी और करनी का विश्लेषण किया जाय तो इस राजस्थान की धरती पर भूकम्प आ जायगा....

(कई माननीय सदस्यों द्वारा व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय और मुख्य मंत्री के द्वारा पोद्दार पार्क के अन्दर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, जब मैं धन्ना सेठों की बात करता हूं तो उनके नुमाइन्दे खड़े हो जाते है। चाहे वे राजा महाराजा हों, चाहे बूंदी के महाराजा हों और चाहे कहीं के महाराजा हों....

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह : आप तो बिलकुल जोधपुर महाराजा की तरफ से यहां आये हैं ।

श्री गुमानमल लोढा : जोधपुर हो, जयपुर हो चाहे कोई हो, समाजवाद का ढोल पीटने वाले अपने आपको····

(व्यवधान)

गरीब किसान को वहां पर देख कर··

श्री लक्ष्मणसिंह : कोई राजा महाराजा नहीं है राजा महाराजा तो नाम मात्र के हैं लेकिन धन्ना सेठ तो वास्तविक हैं और उनका खजाना बढ़ता ही जा रहा है, घटता नहीं जा रहा है, इसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गुमानमल लोढा : पोद्दार पार्क के अन्दर श्रीनिवास मिल के धन्ना सेठ सोमानी द्वारा हमारे मुख्य मंत्री महोदय का स्वागत किया गया गरीबी को मिटाने वाले मुख्य मंत्री जी, राजस्थान के मसीहा, इन्दिरा गांधी के पास गये और वहां पर गरीबी मिटा रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का आरोप लगाना चाहता हूं कि वे अशोका होटल से बम्बई पैरासूट से उतरे···

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : पाइन्ट आफ आर्डर सर। सदन के लीडर के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि वे पैरासूट से बम्बई गये...

(अश्रव्य–शोरगुल के कारण)

श्री मनोहरलाल (कांमा) : (अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार (भारतीय) : अश्रव्य

श्री अध्यक्ष : श्री लोढा।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : (अश्रव्य)

श्री मनोहरलाल : सेठों की दावत खाते है, बैठ जाओ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : गलत तरीके से सदन में भाषण देने से सच्चाई को नहीं छुपाया जा सकता, यह पब्लिक प्लेटफार्म नहीं है ।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था के आधार पर 16 में से 6 घन्टे विरोधी दल को दिये है। उसमें से सवा घन्टा जनसंघ को दिया है मुझे खेद है कि हमारे दल के माननीय श्री गुमानमल जी लोढा भाषण दे रहे हैं तो कांग्रेस के लोग उनके भाषण में विघ्न डाल रहे हैं जिससे कि उनका समय पूरा का पूरा जाया कर दिया जाये····

श्री अध्यक्ष : आप भी ध्यान रखें इस बात का।

श्री मुन्शीलाल महावर (बस्सी): शायद माननीय सदस्य को पता नहीं है····

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन। बैठिये।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय मुख्य मंत्रीजी उत्तर दें कि अशोका होटल के बाद

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

वे बम्बई में जाकर धन्ना सेठों से नहीं मिले और उन्होंने उनको नहीं कहा कि आप आइये। यह बात उन्होंने चुनावों के ठीक पहले कही कि आप राजस्थान में आइये, मेरे द्वार खुले हुए हैं। उद्योग पतियों को कोटा, लाइसेंस और परमिट का आश्वासन देकर उनसे स्वागत कराते हैं और उनको यहां आने का निमंत्रण देकर आते हैं। मैं आरोप लगाता हूँ कि चांदी के खनखनाते सिक्कों को लेकर वे राजस्थान की जनता का ईमान खरीदने के लिए यहां राजस्थान में आयें–इससे ज्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : गलत।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : समझने की कोशिश करें, माननीय सदस्य गलत बातें सदन में न कहें····

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बजट पर भाषण हो रहा है या क्या हो रहा है। क्यों माननीय सदस्य समय वेस्ट कर रहे हैं।

श्री मनोहरलाल : आपको क्या हो रहा है, हम तो वेस्ट कर रहे हैं समय को।

श्री गुमानमल लोढा : आपने समाजवाद का ढोल पीटा है। मैं आपके समाजवाद के छिछोरपन को बता रहा हूं। एक तो साहू जैन के साथ थे और आप सोमानीजी के साथ हैं। दोनों शोषण करते हैं। कोई जयपुर उद्योग बनाये और कोई श्री निवास काटन मिल बनाये-इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ता। गरीबों की आह और चीत्कार आज समाप्त नहीं हो रही है···

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : आप वकालत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं ?

श्री मनोहरलाल : आपको क्यों तकलीफ हो रही है बार बार।

श्री गुमानमल लोढा : मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूं कि मैं इस प्रकार से अपनी वाणी अवरूद्ध नहीं होने दूंगा और मैं अपने विचार प्रकट करूंगा।

12–57 म.प.

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

आपमें सुनने का साहस होना चाहिए। आप मेरे विचारों से घृणा करें लेकिन भगवान के लिए जनतंत्र का ढोंग पीटने वाले सत्तारूढ दल के सदस्यों से कहूंगा कि आप लोकतंत्र की बातें करते हैं और विधानसभा के पटलपर यह भी सुनना नहीं चाहते हैं कि पोद्दार पार्क में मुख्यमंत्री जी का स्वागत होता है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है और यह भी सुनने के लिए तैयार नहीं है कि उनका नाम बिड़ला के साथ, साहू जैन के साथ और सोमानी के साथ लगा दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, जीवन मूल्यों का प्रश्न है। समाजवादी सरकार बनने वाली और पिछले मंत्री मंडलको हटाया यह कहकर कि वे समाजवादी नहीं थे और असली समाज वादी हम हैं और अब उन्होंने अपने जीवन से बताया कि समाजवाद क्या है लेकिन हमारे मुख्यमंत्री और उनके मंत्री मण्डल के सदस्यों में यह होड़ लगी हुई है कि समाजवाद की सबसे अधिक रट कौन लगाता है। मैं यह जानना चाहुंगा कि कोटा के महाराजा ने यदि कांग्रेस का समर्थन प्रारम्भ कर दिया तो वे

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
समाजवादी बन गये और कोटा के महाराजा जब जनसंघ में थे तो वे प्रतिक्रियावादी थे और कोटा के महाराजा के साथ बूंदी के महाराजा कांग्रेस के साथ हो गये तो जंगलात काटकर गरीब आदिवासियों को हटाने का वहां उनको लाइसेन्स मिल गया तो वे समाजवादी बन गये आंकडे इस बात के साक्षी हैं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर गलत तरीके से सदन के समक्ष बातें रखी जाती हैं।

श्री मनोहरलाल : (अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : उपाध्यक्ष महोदय इनकी कुर्सी में कोई कील लगी हुई है इसलिए इनको इस कुर्सी से हटकर दूसरी जगह बैठा दिया जाए।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष), मैं यह निवेदन कर रहा था कि मुझे दुःख है, यदि मैं बूंदी महाराजा की बात करता हूं तो मेरा यह कोई व्यक्तिगत वैमनस्य उनके साथ नहीं है लेकिन····

(व्यवधान)

श्री मोहरसिंह : पोइन्ट आफ आर्डर।

(व्यवधान–अश्रव्य)

पोइन्ट आफ आर्डर।

श्री गुमानमल लोढा : जब कोई बात यहां पर कही जाती है तो जनता के हित में कही जाती है···

श्री मोहरसिंह : पोइन्ट आफ आर्डर, उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

सदन का यह नियम है कि कोई भी व्यक्तिगत आरोप लगाने से पहले नियमों का पालन किया जाएगा और कुछ दिन पहले इन्हीं सदस्यों ने यहां आरोप लगाये थे तो सदन ने यह निर्णय लिया था कि आगे इसकी परम्परा का पालन किया जाएगा. इस तरह से नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। आज फिर उसी प्रकार से ब्लाइन्ड एलीगेशन्स व्यक्तिगत रूप से लगा रहे हैं तो नियमों का पालन होना चाहिए।

श्री गुमानमल लोढा : यह कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं है। बजट पर जब आलोचना करेंगे तो इस तरह की बातें रखनी ही पड़ेगी। आप थोड़ा विरोधी दल को मौका दीजिये, अपने को थोड़ा कण्ट्रोल कीजिए। अपने में थोड़ा सुनने का माद्दा पैदा कीजिए।

(व्यवधान–अश्रव्य)

मैंने कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया है।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : अध्यक्ष (उपाध्यक्ष) महोदय, पहले तो विरोधी दल··· (अश्रव्य) (शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि बजट में ही सीमित रख कर सुव्यवस्थित रूप से भाषण करें।

श्री मनोहरलाल : बजट में तो खाना पीना भी होता है।

श्री गुमानमल लोढा : मैं तो समाजवाद का पर्दाफाश कर रहा हूं।

श्री मोहरसिंह : वह तो अवश्य करें लेकिन नियमों के अनुसार कीजिए।

श्री गुमानमल लोढा : मैं मदारी और जमूरे की तरह से तालियां नहीं पीट सकता जिस तरह से कि माननीय सदस्य कर रहे हैं, इस तरह मैं नहीं कर सकता हूं, मैं आपके नकली समाजवाद का पर्दाफाश कर रहा हूं और सदन के अन्दर इस नकली समाजवाद को नंगा करके रखूंगा। मैं यह बता कर रहूंगा इस सदन में कि...

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : पोइन्ट आफ आर्डर।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(अश्रव्य)

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाहूंगा कि कोई माननीय सदस्य इस सदन के अन्दर किसी को यहां पर नंगा कर सकता है क्या ?

श्री गुमानमल लोढा : सदस्य को नहीं नकली समाजवाद को नंगा कर रहा हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : माननीय सदस्य की भाषा पर गौर करें।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय मैंने कांग्रेस के नकली समाजवाद को नंगा करने की बात कही है और मैं फिर सदन के समक्ष निवेदन करूंगा कि मैंने इस नकली समाजवाद को बेनकाब करने का संकल्प किया है, किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को नहीं। और मैं समझता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्रीजी अपने साथियों को इस बात से आगाह करेंगे कि यदि हमें वास्तव में प्रगति करनी है तो विरोधी पक्ष की वाणी को सुनने का कम से कम अवसर देना चाहिए। माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बात को स्वीकार करेंगे कि धन्ना सेठों से व्यक्तिगत रूप से पैसा लेने का या मुख्य मंत्रीजी ने व्यक्तिगत रूप से पैसा लिया हो इस प्रकार का मेरा आरोप नहीं है। यदि इस प्रकार का भ्रम हो गया हो तो उसको हटा दें...

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : यदि आप यह भी कहें तो क्या होता है आपके कहने से।

श्री गुमानमल लोढा : जो पैसा चुनाव फण्ड के लिए लिया गया है...

श्री प्रद्युम्नसिंह : उपाध्यक्ष महोदय मेरा आरोप है कि इन्होंने सी.आई.ए. से पैसा लिया है।

(शोरगुल-अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : आपने जो आरोप लगाया है तो मैं समझता हूं कि कम से कम आरोप लगाने की हिम्मत आ जाएगी तो सुनने की हिम्मत भी आ जाएगी। मैं इस बात का स्वागत करूंगा। आप अपने हृदयों को टटोलें कि यह चुनाव के लिए चन्दा कहां से आया ?

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, यह समाजवाद का आदर्श रखने वाले वित्त मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि और यह पूछना चाहूंगा कि क्या धन्ना सेठों के अलावा राजस्थान के अन्दर वित्त मंत्रीजी का बजट प्रस्तुत करने के बाद स्वागत करने के लिए दो करोड़ में से और कोई एक व्यक्ति भी नहीं मिला ? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, कर्मचारी हैं, मजदूर और किसान हैं, वे अगर स्वागत करते तो मानता कि यह प्रगतिशील बजट है लेकिन उनमें से कोई एक आदमी भी इनका स्वागत करने वाला नहीं मिला तो यह इस बात का सबूत है कि यह जनता का बजट नहीं है, यह प्रगतिशील बजट नहीं है। बजट प्रगतिशीलता का दिखावा मात्र है। यह बजट राजस्थान को पीछे ले जाता है। टैक्सों की भरमार धन्ना सेठों पर नहीं है । क्यों नहीं उन पर टैक्स लगाया गया ? क्यों नहीं ऐशो-आराम की चीजों पर टैक्स लगाया गया ? ट्रैक्टरों पर टैक्स लगाया गया, साबुन पर टैक्स लगाया गया, दालों पर काल पटका गया, धान पर टैक्स लगाया गया, अल्पाहार-गृहों की राख पर कालिख पोती गई, अल्पाहार-गृहों पर टैक्स लगाया गया, टैम्पों वालों पर टैक्स लगाया गया। दुहाई देते हैं कि हमने रिक्शा चालकों को आगे बढ़ाया है, टैम्पों वालों को प्रगति की राह पर बढ़ाया है, लेकिन उन्हीं पर टैक्स लगाया गया है। आपकी कथनी और करनी में कितना फर्क है ? मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं उपाध्यक्ष महोदय कि अगर महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अवकाश में से इस बात की चीत्कार करेंगे कि समाजवाद के नाम पर हिन्दुस्तान की जनता को धोखा दिया जा रहा है । मैं आप से निवेदन करता हूं कि सुभाषचन्द्र बोस और भगतसिंह को पता लग जाय तो वे भी यही कहेंगे कि हमारे समाजवाद के नाम को लेकर जनता का शोषण कर रहे हैं। धन्ना सेठों, महाराजाओं और बड़ी बड़ी कम्पनियों के साथ मिल कर जिस प्रकार के नकली समाजवाद की बातें की जा रही हैं तो वे इसके लिए निश्चित रूप से आप देंगे कि राजस्थान में ही नहीं भारत की धरती पर से इस नकली समाजवाद को दफना दो, इस नकली समाजवाद को समाप्त कर दो जिससे असली समाजवाद सामने आ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, आज लोकतन्त्र की बात कही जाती है और बजट भाषण में वित्त मन्त्री जी ने तीन उसूल गिनाये हैं, समाजवाद, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता । और इन्हीं की हत्या अपने बजट में की है··

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने किन की हत्या की है ? आपका क्या काम है ?

श्री गुमानमल लोढा : आपका काम है राजोरिया हत्याकाण्ड, आपका काम है हिंसा करना, पुलिस के द्वारा लोगों को मरवाना··

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपका काम है जोधपुर के मुसलमानों की दुकानें लुटवाना ।

(शोरगुल–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : आप लोगों पर··

Page No 56

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपका काम है गांधीजी को मरवाना। आपका काम है अधिनायकवाद पैदा करना।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : आपका काम है अपनी मातृभूमि पर दंगे करवाना।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्षमा करेंगे आप। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि मैं अभी अभी बाड़मेर, चौहटन गया और वहां पर जाकर मैंने शरणार्थियों की दशा देखी और मैं प्रगतिशील, समाजवाद और लोकतंत्र की दुहाई देने वाले मुख्य मंत्री जी से पूछूंगा कि उन्होंने राजस्थान के अन्दर इन एक लाख लोगों के लिए क्या किया ? एक लाख लोग आज भूख से तड़फ रहे हैं, वे चीत्कार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जब छाछरो में जाकर झण्डा फहराया था तो उस समय यह घोषणा की थी कि पाकिस्तानी मुद्रा को भारत की मुद्रा में बदल देंगे। यह घोषणा की थी कि हम तुम्हारे लिए शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, तुम्हारे लिए रोजगार का प्रबन्ध करेंगे, आवागमन का प्रबन्ध करेंगे। आज वही छाछरो भारत के अन्दर है सारे राजस्थान के अन्दर है लेकिन इस बजट के अन्दर क्या प्रावधान किया है ? उस सिसकती हुई मानवता के लिए दरिद्रनारायण के लिए, उन गरीबों के लिए, जो अपना सब कुछ खोकर आए हैं, आपने बजट में किस प्रकार का प्रावधान किया है ? मुझे यह कहते हुए किसी प्रकार की शिकायत नहीं होती, मेरे पास प्रमाण है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूँ कि वहां पर लोग भूख के कारण तरस रहे हैं। यह मैं ही नहीं कहता, हमारे यहां पुनर्वास विभाग द्वारा जो प्रगति विवरण दिया गया है उसमें कहा गया है कि एक लाख लोगों के लिए भारत सरकार से हमने चार लाख 82 हजार रुपये अनुदान के लिये है। उपाध्यक्ष महोदय, एक लाख लोग, जिनको तम्बू चाहिए, जिनको रोटी चाहिए, जिनको रहने के लिए सब प्रकार की सुविधा चाहिए, जिनको बिमारियों से बचाने के लिए चिकित्सा चाहिए लेकिन हमारी राजस्थान सरकार चार लाख का प्रावधान करवाती है एक लाख लोगों के लिए। बंगला देश के शरणार्थियों का प्रश्न आया तो हमने सारे भारत में आन्दोलन किया। एक करोड़ शरणार्थियों पर पांच करोड़ रुपया भारत सरकार ने हर रोज खर्च किया और उसके लिए अलग से टैक्स लगाया जिसे राजस्थान की जनता ने भी दिया है। हमने उनसे कहा कि आप टैक्स लगाइए और हमने टैक्स दिया है। बंगला देश के शरणार्थियों पर, एक करोड़ शरणार्थियों पर पांच करोड़ रुपया हर रोज खर्च किया गया लेकिन हमारे यहां पर इन पाकिस्तान के शरणार्थियों पर एक लाख पर चार लाख का प्रावधान किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी का एक और नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह वर्णन वहां के सिसकते हुए लोगों का, चीत्कार करते हुए लोगों का, वहां की दर्दनाक स्थिति का चित्र है जो मैंने नहीं लिखा है बल्कि आपके ही एक सरकारी कर्मचारी का लिखा हुआ पत्र है जो जिलाधीश बाड़मेर की फाइल में लगा हुआ है। जो जिलाधीश बाडमेर है उनके नाम लिखा हुआ है। इसके अन्दर लिखा हुआ है· · ·

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपने इसको वहां से गायब कर दिया।

श्री गुमानमल लोढ़ा : मैंने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए रीयर कर दिया तो कोई गुरेज नहीं किया। आपके कहने के अनुसार। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसकी प्रतिलिपि भारत सेवक समाज को भेजी गई है जहां से यह मुझे मिला है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुनर्वास मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे बाड़मेर गये, चौहटन गये। वहां जाकर उन्होंने सरकारी आफिसर्स के साथ एक दो कैम्पों को देखा। सरकारी आफिसर्स ने एक-दो कैम्पस को दिखाकर इन मंत्री महोदय को वापिस भेज दिया। यदि वे मेरे को साथ लेकर जाते तो मैं उनको वे सभी कैम्पे दिखाता। इसके बाद भी मैं वहां पर गया। सरकारी पी. आर. ओ. ने कहा, आपके लिये कोई प्रावधान नहीं है इसलिए आपको कैम्पस् दिखाने के लिए मैं साथ नहीं चल सकता। परन्तु मैंने स्वयं जाकर इन कैम्प्स को देखा है। चेचक के कारण वहां पर मौतें हो रही हैं, बुखार के कारण इन कैम्प्स के अन्दर मौतें हो रही हैं। रहने के लिये वहां पर साधन नहीं हैं, पीने का पानी वहां पर नहा है, उसके दर्शन वहीं पर नहीं होते। आंखों में आंसू आते हुए मैंने वहां पर मानव को देखा है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर पानी के दर्शन नहीं होते हैं और यह एक अधिकारी ने लिखा है। मुख्यमन्त्री महोदय। यह लेटर बाड़मेर जिलाधीश से वेरीफाय किया जा सकता है। कार्यालय विद्यालय निरीक्षक, शिक्षा विभाग, बाड़मेर। विषय। शरणार्थी कैम्पों में चल रहे विद्यालयों का अवलोकन। दिनांक 12–4–72 को पूर्व का गाड़ी द्वारा निम्न स्थानों पर चल रहे शरणार्थी विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण प्रतिवेदन अलग से वास्ते अवलोकनार्थ प्रस्तुत शीघ्र किये जा रहे हैं। 1. कडवली-पार, 2. दले का तला, 3. इब्राहीम का तला, 4. जालोजा। उपरोक्त स्थानों की आंखों देखी स्थिति इस प्रकार है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भारतीय जनसंघ के विधायक का आरोप नहीं है। यह सरकारी अधिकारी का आरोप है, जिसको डेपूट किया गया है उसका यह प्रतिवेदन है। उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर मानवता रो रही है, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है···

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : क्या लिखा है लेटर में यह तो बात बता दें पहले।

श्री गुमानमल लोढा : थोड़ा धैर्य रखिये। सुनिये·········(i) गावों में भयंकर महामारी, चेचक, बुखार, चल रहा है तथा दिन प्रतिदिन बच्चों की मृत्यु संख्या में वृद्धि हो रही है जिसके लिये किसी प्रकार की चिकित्सा व्यवस्था मौजूदा समय में नहीं हो रही है।

यह तो हुई एक बात। अब दूसरी बात है वह भी सुन लीजिये। (.) शरणार्थियों को कई दिनों से खाने के लिये बाजरा वितरण नहीं किया गया। अतः इस सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के विषय में निवेदन है कि संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये तुरन्त आदेश प्रदान करावें ताकि भारत अधिकृत पाक से आये शरणार्थियों को भूख, चेचक से बचाया जा सके।

(श्री गुमानमल लोढा)

उपाध्यक्ष महोदय, इसका नम्बर 40 और दिनांक 14-4-72 अंकित किया गया है जिला चिकित्सा अधिकारी को इसकी प्रतिलिपि दी गई है। व्यवस्थापक भारत सेवक समाज को इसकी प्रतिलिपि भेजी गई है। भेजने वाले का नाम है श्री नाथ किशोर, विद्यालय निरीक्षक, बाड़मेर। मैं मुख्य मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस अधिकारी के खिलाफ जिसने कि वास्तविकता रखने का प्रयास किया है, कोई कार्यवाही नहीं की जाये। उसको धन्यवाद दिया जाये कि उसने मानवता को बचाने के लिये इस दयनीय स्थिति को सरकार के सामने रखा है और उसके साथ ही साथ यह निवेदन किया है कि यह मानवीय प्रश्न है। इस मानवीय प्रश्न को लेकर उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के अन्दर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उनको बसाने के लिये, भूमि का आवंटन करने के लिये, उनके पुनर्वास की व्यवस्था के लिये, उनको नागरिकता के अधिकार देने के लिये सरकार की ओर से क्या खर्च किया जाने वाला है, क्या सरकारी योजना है, इसका कोई उल्लेख इस बजट भाषण में नहीं किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह कच्चा चिट्ठा इस सरकार का है जो अपने आपको प्रगतिशील और समाजवादी सरकार कहती है। यदि दकियानूसी सरकार होती, बाबा आदम के जमाने की सरकार होती और मान लीजिये मुख्यमंत्री सुखाड़िया की सरकार होती, जिसके लिये अभी युवा कांग्रेस के अधिवेशन में यह बात कही गयी है कि वह जमाना लद गया है जब कांग्रेस के गधे अंगूर खाया करते थे। किसने खाया, क्यों खाये इस प्रश्न में मैं नहीं जाना चाहता और किस के प्रति यह कहा गया है यह भी मैं नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु यह कहा गया कि वह जमाना लद गया है, वह समय समाप्त हो गया है। अब नये मुख्य मंत्री आये हैं। नया मंत्रिमण्डल आया है। यह नया मंत्रिमण्डल जनता की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहता है। तो उपाध्यक्ष महोदय, महज यह एक मानव का प्रश्न है जिसके लिये जितना किया जाये उतना कम है। उस इन्सान को भूख से तड़पने से बचाने के लिये इस राज्य सरकार की ओर से कोई प्रावधान नहीं किया जा रहा है। उसे मौत से बचाने का कोई प्रावधान आपके पास में नहीं है तो मैं कहूंगा आने वाली पीढ़ी कहेगी, लोग कहेंगे, वह भारत जहां पर घी, दूध की नदियां बहती थी, योजनाओं के द्वारा इतने बड़े विकास का करिश्मा दिखाया गया है, वहां पर इन्सानों की चिकित्सा नहीं हो रही है। बीमार की चिकित्सा नहीं हो रही है, यह मैं जानना चाहूंगा। मुख्य मंत्री महोदय, पुनर्वास मंत्री महोदय, और मेडिकल डिपार्टमेंट जिनके पास है, उनसे जानना चाहूंगा कि क्या हमारे राज्य में डाक्टर्स की इतनी कमी आगई है कि चेचक के कारण जो बच्चे मर जाते है, उनकी चिकित्सा के लिये डाक्टर्स नहीं भेज सकें? आज वहां पर चेचक के कारण, बुखार के कारण बच्चे मर रहे हैं और उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, आज कल तो इसके लिये प्रीविन्टिव इन्जेक्शन आ गये हैं फिर उनका उपयोग कब होगा? आज एक तरफ तो मानव चन्द्रमा पर पहुंच गया है और देशों में आपस में होड हो रही है। चन्द्रमा

(श्री गुमानमल लोढा)

पर पहुँचने के लिए और दूसरी तरफ हमारे यहां पर 200।300 मनुष्य सिसक सिसक कर मर रहे हैं, पानी पानी और धान धान बिल्ला बिल्ला कर मर रहे हैं। उनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, चिकित्सा नहीं मिल रही है। देश के ये महान सपूत इन अभावों के अन्दर अपना दम तोड़ रहे हैं। इनमें से कोई देश का डाक्टर बनता, इन्जिनियर बनता, नेता बनता और देश को प्रगति की ओर ले जाता, वे ही आज सिसक सिसक कर मर रहे हैं। मुख्य मंत्री महोदय आज इन मरने वालों के ऊपर आपकी आंखों से दो आंसू भी नहीं बह रहे हैं और दूसरी तरफ मथुरादास जी कह रहे हैं हमें इनक्लाब लाना है, नजरिया बदलना है, क्रान्ति लानी है और उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्त के मंत्रि मण्डल में क्रान्ति आयी है। एक का पत्ता कटा दूसरा आया। उसका पत्ता कटा और तीसरा आ गया। दूसरे जो वित्त मंत्री आये थे उनका भी चुनाव के बाद पत्ता काटा गया। जो शिक्षा मंत्री थे उनका भी पत्ता कट गया·····

एक माननीय सदस्य : आज इनकी कैसे याद आ गई ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : +++ के कारण ये उठ खड़े होते हैं।····

श्री गुमानमल लोढा : क्षमा करें, यह मैं नहीं कह सकता कि इनका पत्ता किस तरह से कटेगा या नहीं। वे रहें····

श्री निरंजननाथ आचार्य : पाइन्ट आफ आर्डर सर। एक असंसदीय शब्द का अभी यहां पर प्रयोग किया गया है। यह कहा गया है कि कोई माननीय सदस्य +++ के शिकार हैं इसलिए बीच में उठ खड़े होते हैं। मैं आसन से इस पर व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं व्यवस्था देता हूं कि +++ शब्द को कार्य विवरण से निकाल दिया जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या +++ को एक्सपंज किया जाये ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : यह तो डाक्टर करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा तात्पर्य तो यह है कि कार्यवाही में जो शब्द है उसको एक्सपंज किया जाये।

श्री गुमानमल लोढा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो हमारी मूलभूत नीति है, मूलभूत रीति है, मूलभूत सिद्धान्त है, मूलभूत योजनाएं हैं, मूलभूत जो हमारे उद्देश्य हैं, उनका प्रबलता के साथ, शक्ति के साथ, संगठन के साथ सुचारु रूप से क्रियान्वित करना पड़ेगा, इनको हासिल करने के लिये हमें आपरेशन करना पड़ेगा। और यह आपरेशन आपके सामने है। दुर्भाग्य की बात है कि आज इन आपरेशन के बाद भी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यह व्यक्तियों का आपरेशन हुआ है। अब आप संगठन का भी आपरेशन कीजिये। अभी तक तो यह हुआ कि यह

+++ अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार शब्द कार्य विवरण से निकाला गया।

(श्री गुमानमल लोढा)

मंत्री न रहे और यह रहे। एक शिक्षा मंत्री न रहे और दूसरा रहे लेकिन आपके इस परिवर्तन से राजस्थान की जनता को क्या उपलब्धियां मिलीं ? इसके लिये आपके वर्ष 71–72 के आंकड़े पर्याप्त हैं। आपकें इस प्रगति विवरण में बताया गया है क राजस्थान की राष्ट्रीय आय में कमी हुई है। राजस्थान के व्यक्ति की आय में कमी हुई है। मैं समझता हूं कि इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। यह कमेन्टरी राजस्थान सरकार के इस प्रतिवेदन द्वारा दी गयी है। इसमें लिखा हुआ है कि राजस्थान के अन्दर रहने वाले हर व्यक्ति की आये में कमी हुई है। तो फिर प्रगति कहां पर हुई है, कौनसी मंजिल पर हुई है क्या हम हवा में चल रहे हैं ? तो नारों के चकाचौंध से यह इन्कलाब कैसे आयेगा ? मेरा निवेदन है कि आकाश से उतर कर आप जमीन पर आये। सरकारी आंकड़े ही इस बात कें सबूत हैं कि हमारी राष्ट्रीय आय में कमी हुई है। आज राजस्थान के मजदूर की प्रतिदिन की आय 73 पैसे है। तब आप अन्दाजा लगा सकते है कि राजस्थान में कितनी बेरोजगारी है। यदि एक व्यक्ति की आमदनी 73 पैसें है तो बेरोजगारी की समस्या जिसके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है; मैं समझता हूं कि भयंकर रूप से हमारे प्रान्त में खड़ी हुई है। मैंने बजट भाषण को पढ़ा है; सरकार के प्रेस नोट को पढ़ा है; सरकार की समीक्षा को पढ़ा है, परन्तु उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान की दो करोड़ जनता के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है, विश्वासघात किया जा रहा है। मैं यह कहना चाहूंगा, वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इस सदन को सूचित नहीं करना चाहते हैं कि राजस्थान में कितनी बेकारी है। क्या इससे दुखदायी बात और हो सकती है ? क्या इससे अधिक कोई दुःखदाई बात हो सकती है ? हो सकता है कि हमारे सीमित साधन हैं। हम बेकारी को नहीं मिटा सकते हैं। हमारे लिमिटेशन्स हैं और हम यह कहें कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी कराते हुए दुःख होता है कि राजस्थान में 40 लाख 50 लाख या कितने व्यक्ति बेकार हैं, लेकिन हमारे सीमित साधनों के अन्दर हम बेकारी को हटा नहीं सकते। हम बेकारी को टुकड़ों में हटायेंगे, एक साल के बाद इतने, दूसरे साल के बाद इतने और तीसरे साल के बाद इतने। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सदन के साथ में और राजस्थान की दो करोड़ जनता के साथ में खलवाड़ नहीं है ? एक तरफ तो हम कहते हैं कि हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा। नारा लगाया है बम्बई में कि इन्दिरा गांधी आई है नई रोशनी लाई है। आपने कहा है कि हर व्यक्ति के सर पर मकान होगा, हर खेती करने वाले के हाथ में हल होगा, हर व्यक्ति के पास में दुकान होगी, कारखाने होंगे, और दूसरी ओर तथ्यों को देखते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, तो राजस्थान की धरती में भूकम्प आने लगता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है। माननीय वित्त मंत्रीजी, आप यह भी बताने में असमर्थ हैं कि राजस्थान में कितने बेकार हैं। यह असमर्थता नहीं है। वह शब्दों के जाल में, आंकड़ों के जाल के अन्दर, राजस्थान की जनता को फंसाना चाहते हैं। क्षमा करेंगे वित्त मंत्रीजी से मेरा व्यक्तिगत स्नेह है; लेकिन वे राजस्थान की दो करोड़ जनता की बेरोजगारी की समस्या पर

(श्री गुमानमल लोढा)
धोखे में रखना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता धोखे में नहीं रहेगी और वह जवाब तलब करेगी कि आपने बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए ऐसी योजना बनाई तो आप बताइये।

श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप बार बार राजस्थान की दो करोड़ जनता राजस्थान की दो करोड़ जनता कह रहे हैं तो क्या राजस्थान की 50 लाख जनता कम हो गई है या क्या बात है ?

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर): राजस्थान में भूकम्प आया था उसमें...

श्री गुमानमल लोढा : 2 करोड़ 50 लाख की जनता में से आप जनता को नहीं समझ रहे हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 50 लाख की जनता तो आपने अपने भाषण में कम कर दी। आप माननीय वित्त मंत्रीजी से आंकड़े चाह रहे हैं और मैं आपसे यह जानकारी चाहता हूं।

श्री गुमानमल लोढा : 2 करोड़ 50 लाख में से आप जनता को नहीं समझे। क्षमा करेंगे, मैं 2 करोड़ 50 लाख जनता का अभिनन्दन करता हूं। हम उनके संघर्ष में उनके साथ–साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन 2 करोड़ 50 लाख जनता की बात नहीं है। राजस्थान के वित्त मंत्री महोदय ने राजस्थान की जनता को कर्जे में डाला है और वह कर्जा 6 अरब का हो गया है। हम कभी सोचा करते थे कि अरब नाम की भी कोई संख्या होती है, लेकिन राजस्थान की सरकार ने यह साबित कर दिया कि वास्तव में अरब भी होता है। क्षमा करेंगे वित्त मंत्री जी उपाध्यक्ष महोदय इस बजट में ऐसा मैं कहूं तो कि उन्होंने तो मांग की है केन्द्रीय सरकार से और यह कहना चाहते हैं कि देवी इन्द्राजी प्रधानमंत्री जो त्वम् शरणं गच्छामि और हमारी इज्जत बचाने के लिए एक फाइनेन्स कमीशन कायम करो जिसके द्वारा हमारा कर्जा ठीक हो जाय लेकिन मैं साफ साफ यह कहना चाहता हूं कि यह आपकी इन्साल्वेन्सी पिटीशन है एक दिवालिये की दरख्वास्त है जो कि एक न्यायाधीश को देता है कि मेरे पर इतना कर्जा हो गया है न्यायाधीश महोदय आप इस कर्जे को बेबाक कराने का प्रबन्ध करें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आउट आफ लिमिटेशन है।

श्री गुमानमल लोढा : मयाद बाहर होने का सवाल नहीं है। यह जो कर्जा राजस्थान सरकार ने पैदा किया है इस कर्जे को लेकर मैं मांग करना चाहूंगा, और कहना चाहूंगा कि यह कर्जा राजस्थान की दो करोड़ 50 लाख जनता पर किसने किया है ? क्या स्वतन्त्र पार्टी ने किया ? क्या जनसंघ ने किया या कम्युनिस्ट पार्टी ने किया या समाजवादी पार्टी ने किया ? 20 साल से तो आपका एकछत्र राज्य रहा है चाहे वह किसी तरह से रहा हो, जौहरी बाजार में हत्याकाण्ड कराकर रहा हो, बेरी कमीशन के रूप में रहा हो, अल्पमत को बहुमत

(श्री गुमानमल लोढा)
बताकर लिया गया हो या चांदी की खनखनाहट से लिया गया हो। आपका राज्य हो गया लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है इस बारे में जो आज चिन्तनीय स्थिति बन गई है। बजट का महत्वपूर्ण उसूल मैं समझता हूँ वह यह है कि बजट संतुलित होना चाहिए और जनता पर और इस प्रकार से बोझ नहीं डालना चाहिए जिसके कारण वही नहीं बल्कि उनके आने वाले वंशज भी कर्जदार होंगे। 6 करोड़ और कितने ही लाख का कर्जा....

एक माननीय सदस्य : 6 अरब।

श्री गुमानमल लोढा : 6 अरब 43 करोड़ 16 लाख।

श्री लक्ष्मण सिंह : 700 करोड़ हो गये।

श्री गुमानमल लोढा : तो राजस्थान की 2 करोड़ 50 लाख जनता पर कितना आगया ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : 250 रुपये प्रति व्यक्ति।

श्री गुमानमल लोढा : आप एक मजदूर को 73 पैसा मजदूरी का देते हैं यह आपके ही आंकड़े बताते हैं और आप यह चाहते हैं कि वह इसमें चाय पियें, खाना खायें, बच्चों को रखे और कपड़ा भी पहनें, सैर भी करे और घूमें फिरे भी। इसके बाद 250 रुपये का कर्जा राजस्थान सरकार भी बढ़ाती जा रही है। आपको परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं है। बच्चे कहेंगे कि हम कैसे पैदा हों राजस्थान में कर्जा लेकर ....

श्री रोशनलाल शर्मा : शुरुआत आप कर दें।

श्री गुमानमल लोढा : मैं वित्त मन्त्री महोदय से कहूंगा कि यह जो इन्सालवेन्सी पिटीशन आपकी है, इसके अन्दर जो दिवालिये की दरख्वास्त है सदन उसको अस्वीकार कर दे और कहे कि इसकी जांच की जाय कि इसके लिए किसकी जिम्मेवारी है। हर साल कर्जा बढ़ता गया। राजस्थान के गरीब किसान, मजदूर कर्जे में डूबता जाय और बड़े बड़े उद्योगपति बढ़ते जांय। उन्हें उद्योगों के लाइसेन्स देते जांय और बड़े बड़े कारखाने खोलते जांय और फिर आप यह कहें कि हरेक व्यक्ति 250 रुपये का कर्जा दे। मैं वित्त मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि संविधान की धारा 360 के अन्दर राजस्थान में आज आर्थिक इमर्जेन्सी हो गई है और यह इन्सालवेन्सी पिटीशन को अस्वीकार करके उनको चाहिए कि संविधान की धारा 360 के अन्दर राजस्थान के अन्दर यह जो फाइनेन्शियल मेटर्स और आर्थिक चीजें हैं उनमें क्राइसिस पैदा हो गया है इसलिए उसको सम्हालने के लिए राष्ट्रपति अपने अधिकारों का प्रयोग करें। वह धारा 360 इस प्रकार है—

'If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of any part of the territory thereof is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect.'

इससे और क्या बुरी राजस्थान की होगी कि यहां पर कर्जा 7 अरब का हो जाता हैं, और उसके चुकाने का कोई प्रावधान नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवे-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दन करूंगा कि कर्जे का ब्याज और कर्जे का इन्स्टालमेंट कितना चुकाना पड़ता है इसका अन्दाजा किया जाय। हमारा राजस्थान तो उसी में समाप्त हो जायगा। इस प्रकार से हम कर्जा चुकाते रहे और ब्याज चुकाते रहे तो पता नहीं हम रसातल में कहां तक पहुंच जायेंगे। इसलिए धारा 360 के अन्दर यह है–

"If the President is satisfied that a situation has arisen whereby the financial stability or credit of India or of any part of the territory there of is threatened, he may by a Proclamation make a declaration to that effect.,,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पर्याप्त समय हो गया है। अब आप समाप्त करें।

एक माननीय सदस्य (कांग्रेस) : माननीय सदस्य का प्रजातान्त्रिक दृष्टिकोण देखिये।

श्री गुमानमल लोढा : मैं इमर्जेन्सी में डूबा हुआ था सुना नहीं क्या कहा आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने पर्याप्त समय ले लिया है। 50 मिनिट हो चुके हैं। अब आप 5 मिनिट में समाप्त करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : इसकी सब-क्लाज ( ) में है—

Notwithstanding anything in this Constitution–any such direction may include...

Sub clause three is-- "During the period any such Proclamation as is mentioned in clause (1) is in operation, the executive authority of the Union shall extend to the giving of directions to any State to observe such canons of financial propriety as may deem necessary and adequate for the purpose

इसकी पूरक धारा 365 है जिसके अन्दर केन्द्रीय सरकार यदि राज्य सरकार की अर्थ-व्यवस्था समाप्त होने वाली हो तो वहां पर अपने अधिकारों का उपयोग करे। श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान केनाल का मसला बहुत महत्वपूर्ण मसला है, और मैंने एक सुझाव दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सिलसिले में सदन के अन्दर कि दल के दलदल को छोड़कर सारी पार्टियों के लोग गरीबी और विषमता को मिटाने के लिए राजस्थान के पश्चिमोत्तर प्रदेश में, जहां कि अकाल हमेशा पड़ता रहता है, उसके स्थाई हल के लिए राजस्थान केन्द्र से मांग करें कि वह इस परियोजना को अपने हाथ में लें। मुझे दुख है कि इस बजट के अन्दर इसके लिए साढ़े 7 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पहले से हमारे ऊपर कर्जा है। आपको उपाध्यक्ष महोदय, जानकर आश्चर्य होगा, एक माह पहले ऐसी स्थिति इस शासन की आई थी कि राजस्थान की ट्रेजरी से पेमेण्ट रोक दिया गया था। उसके लिए विशेष रूप से मुख्य मन्त्री को प्रयास करना पड़ा। ऐसी स्थिति में राजस्थान नहर के लिए विशेष व्यवस्था नहीं की जायेगी तो क्या होगा। मैं मांग करता हूं, मुख्यमन्त्री

(श्री गुमानमल लोढा)

महोदय से कि राजस्थान नहर के लिए विशेष व्यवस्था कीजियेगा। जो दिवालिये के लिए पिटीशन दी है, इन्सालवेन्सी के लिए पिटीशन दी है, उसके कारण राजस्थान नहर का विकास अवरुद्ध हो गया है। बजट के पेज 77 पर आप ने समाज वाद के बारे में विशेष श्रम किया है। आप ने यह किया है कि ये जो गन्दे मकान बने हुये होते हैं, उन गरीबों के मकानों को आपने साफ किया है। उस आवास समस्या को हल करने के लिए 2 करोड़ 50लाख की लागत से जनता में आपने 69 मकान बनाये हैं। उन लोगों को जिनको रहने के लिए छत मुनस्सर नहीं है। एक इण्डस्ट्रियलिस्ट को आप कितना लोन देते है। लेकिन आपने इन कितन व्यक्तियों को दिया। केवल 58 व्यक्तियों को मिला है। पेज 77 पर ये पिक्चर्स हैं। यह विकास हो रहा है।

अब आप राजस्थान के उद्योग और उत्पादन को लीजिये। पिछले साल से ही बरकतउल्लाजी ने शासन सम्भाला है। नया शासन आया है। सारी चीजों की मात्रा में गिरावट आई है। सोडा 6·72% बिक 13·66%, वाटर मीटरों में 4.4.%, कपड़े में 1 .72%, खाद्य 23.37%, सभी तरह की गिरावट आई है। आटा, दाल जिससे आम जनता का काम पड़ता है। कपड़े की कमी है। शक्कर की कमी है। क्या यह विकास योजनाओं के कारण सारा होता जा रहा है? उत्पादन भी कम है। उद्योग में भी प्रगति कम है। सरकार की जो पर कैपिटा इनकम् होनी चाहिए वह भी कम है। ऋण बढ़ता जा रहा है। इसके बाद आप इन्सालवेंसी की पिटीशन देते हैं। साबुन पर आप टैक्स लगायें। होटल पर आप टैक्स लगायें। नमकीन सेवें पर आप टैक्स लगायें। दुर्भाग्य है कि दाल पर भी टैक्स लगाया है। राजस्थान में तो दाल एक मामूली आदमी के घर पर भी खाई जाती है। आपको टैक्स लगाना ही था तो उन लोगों पर लगाते जो जशन और समारोह मनाते हैं। कभी आप जयनारायण व्यास के साथ में थे, वह मुख्यमन्त्री थे। वह युग भी समाप्त हो गया। फिर कभी आप मोहनलाल सुखाडिया के साथ थे। वह भी मुख्यमन्त्री थे। वह युग भी समाप्त हो गया। बरकतउल्ला भी उस समय आपके साथ थे। वित्तमन्त्री जी वह युग भी समाप्त हो गया। अब आप बरकतउल्ला के साथ में है।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

2 करोड़ 50 लाख जनता की आंखें आप पर लगी हुई हैं। आप ऐसी चीजों पर टैक्स लगाते हैं। चांदी के जेवरों पर जो घरों में महिलाएँ पहनती हैं। चांदी के जेवर कहना चाहिए। जो गरीब लोगों के घरों में काम में ली जाती हैं। यह तो अन्धेर नगरी गबरगण्ड राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। वाह वाह क्या राज है। क्या लोकतन्त्र है। जिस संस्था के अध्यक्ष ने····

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

····जालसाजी की है, वह आज भी घूम रहे हैं। जिसने चुनाव जीतने के लिए झूठें मतपत्रों को डालने की जालसाजी की है। वह आज भी घूम रह हैं। जो जोधपुर की

Page No 65

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
सीट छोड़कर तिजारा जाकर चुनाव लड़ते हैं, आज वह धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : फिर आप कहां से आते ?

श्री गुमानमल लोढ़ा : नारा छोड़ो। जमीन पर आओ। गरीब किसानों और व्यापारियों पर आपका हाथ पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : काफी समय ले लिया माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : मेरा निवेदन है, ये आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं।

मैं आप से केवल यही प्रार्थना करता हूँ कि इस बजट को आमूलचूल....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : समाप्त कर रहे हैं या समाप्त हो रहे हैं।

(व्यवधान—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : पटवारी के सिर लाठी मार कर आये हैं। (अश्रव्य)....ये विद्रोही हैं। आप के हांडा यह कहते हैं।

(श्री भारतीया और श्री लोढा के साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

पटवारी के सिर पर डण्डा मारो। एक गरीब आदमी के लिए यह कहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़) : गुमानमल जी कानूनी सवाल से किसानों को लूटते हैं।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको (श्री हांडा से) इलाज कराने के लिए सवाई मानसिंह अस्पताल ले चलना पड़ेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : गुमानमल जी को ले जाना चाहिए।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप आरोप लगाते हैं।

(शोरगुल—अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढ़ा : गरीब पटवारी के सिर पर लाठी मारने के लिए कहते हो। मन्त्रियों के पालिश लगाते हो मैं जानता हूं....

(श्री लोढ़ा और श्री हांडा साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : इस तरह से....

(श्री भारतीया और श्री भार्गव के साथ साथ बोलने के कारण अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ये रोग जल्दी से जल्दी हटने चाहिए।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री महोदय से करबद्ध....

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो चुका है, मैं कई बार निवेदन कर चुका हूं।

श्री **गुमानमल लोढा** : मैं एक प्रार्थना करके भाषण समाप्त करना चाहता हूं। वित्त मंत्री जी, समय करवट लेता है उसमें बहुत बड़े बड़े शासन समाप्त हो गये। दुनिया का इतिहास इस बात का साक्षी है एकाधिकार किसी का नहीं रहता है। आप आज वित्त मंत्री हैं, यह अहोभाग्य की बात है। वह अहोभाग्य कब होगा जब गरीब की ओर आपका ध्यान जायगा ? जो स्वागत करने वाले हैं, जो इस वक्त शोषण करने वाले हैं, उन पर कर लगा कर आप अपने बजट का संतुलन करें। नहीं तो आने वाली पीढ़ी है, जो इतिहास का लेखक है, जो राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी है, वह भविष्य मे यह कहेगा यह समाजवाद का नारा लगा कर एक्सप्लाइट करने वाले लोग थे। कभी समाजवाद का नारा लेकर आते हैं, कभी प्रगतिवाद का नारा लेकर आते हैं, लेकिन इनके कदम समाजवाद लाने वाले, प्रगतिवादी और गरीबी को मिटाने वाले नहीं हैं। वह स्थिति आने वाली है, वित्त मंत्रीजी क्षमा करें, वह स्थिति भी आ सकती है जब मासूम जनता, गरीब किसान और गरीब मजदूर खड़े हो जायं और आपको जयपुर की चौपड़ पर खड़ा करके कह दें, यह साबुन पर टैक्स लगाने वाले हैं, मजदूर यह कह दें, यह अनाज पर टैक्स लगाने वाले हैं, किसान यह कह दें, यह खाद पर टैक्स लगाने वाले हैं, ट्रेक्टर पर कर लगाने वाले हैं, उस खाद पर जिस खाद से धान पैदा होता है, जिस धान से मानवता जीती है :

तेरी महनत पर किसान—
तेरी हिम्मत पर किसान
यमुना के तट पर ताजमहल
वह खड़ा देख मुमताज महल
वह तेरी दौलत पर किसान
कल्पना कमर लचकाती है
भूम भूम डुबकियें खाती है
वह तेरी कीमत पर किसान
वह तेरी मेहनत पर किसान

उस किसान पर बोझ डाल कर अपने बजट को संतुलित रखने वाले वित्त मंत्री जी कम से कम किसान को बख्शो मजदूरों को बख्शो, नहीं तो जनता आपको और मेरे को नहीं बख्शेगी। धन्यवाद !

श्री **राजेन्द्र कुमार भारतीया** : वाह, समाजवाद के मसीहा साहब !

श्री **उपाध्यक्ष** : श्री मोहनराज !

(अनुपस्थित)

श्री मोहर सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी !

श्री **रामनारायण** चौधरी (मण्डावा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बजट वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, उसका मैं इन शब्दों के साथ स्वागत करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता था। बजट बनाते समय हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीतियों का पूरा ध्यान रखा गया। इस बात का ध्यान रखा गया कि मध्यम व निम्न वर्ग के लोगों को राहत मिले और उनको विकास करने के साधन मिलें। इसके साथ साथ कुछ बातों की ओर वित्त मंत्री जी का ध्यान नहीं गया है····

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : नीति कांग्रेस की या प्रधान मंत्री की हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस और प्रधान मंत्री।

श्री गुमानमल लोढा : सत्ता की है, व्यक्ति सत्ता से बड़ा नहीं होता है।

श्री रोशनलाल शर्मा : यह हमारे सोचने की बात है। आपको वकालत करने की जरूरत नहीं है।

श्री गुमानमल लोढा : आप इस बारे में सोचें।

श्री रामनारायण चौधरी : इन्दिरा गांधी की नीतियों को भारी समर्थन मिला है। मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, आज जिस मतदाता ने जिस खुशी और उल्लास से कांग्रेस को अपना मत देकर भारी संख्या में यहां जिता कर भेजा है, उसके कारण से हमारा उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। वैसे मैं और इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति विकास का पक्षपाती है। इसके साथ साथ जो कुछ हो रहा है, वह सुचारू रूप से, सही ढंग से, अच्छे ढंग से, ईमानदारी और सच्चाई के साथ होना चाहिए और जितना जो कुछ बजट हमारे पास है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। आपने इस बात को महसूस किया है और संविधान में जो डाईरेक्टिव प्रिन्सिपल हैं, उसमें इस बात को दोहराया गया है और जैसा संविधान में है कि संविधान के लागू होने के दस वर्ष के भीतर भीतर छः से चौदह वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और कम्पलसरी एजूकेशन की व्यवस्था करेंगे, उसकी तरफ पहली बार ध्यान गया है। यह खुशी की बात है, इस ओर कदम बढ़ाने के लिए आपने देहातों के अन्दर प्राथमिक पाठशालाओं को एक हजार की संख्या रखी है। वैसे यह बहुत कम है। इसके साथ साथ मिडिल स्कूल के लिए एक हजार का लक्ष्य रखा है वह भी काफी नहीं है मौजूदा हालात के अन्दर। इसके साथ साथ निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में जो शिक्षा दे रहे हैं, जो आज प्राईमरी एजूकेशन का स्टेण्डर्ड है, स्थिति है, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आप भले ही स्कूल खोलते चले जायं इससे लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकते हैं, स्कूल बढ़ाने से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। आज जो शिक्षा दे रहे हैं और जो स्कूल आपके पास हैं, उनको आप क्या सुचारू रूप से चला रहे हैं? क्या उनमें शिक्षा नीतियों के मुताबिक मिल रही है? वहां पर जो शिक्षक हैं, वह पर्याप्त मात्रा में हैं ? जो शिक्षक वहां हैं वह समय पर जाकर लड़कों को पढ़ाते हैं? वहां लड़कों की क्या स्थिति है? पाठ्य पुस्तकें उनको मिलती हैं? स्कूल में इक्विपमेंट हैं वह काफी हैं या नहीं? इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। आज, उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज शिक्षा का स्तर जिस तरह गिर रहा है, उसको तरफ वित्त मंत्री ध्यान देते तो ज्यादा अच्छा होता और उनको इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव मिलते।

मैं उन स्कूलों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो एडेड स्कूल के नाम से चलते हैं। मैंने पहले भी इस सदन में निवेदन किया था, अब समय आ गया है कि आप प्राइवेट स्कूलों को नेशनलाइज करें, जो

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्राइवेट स्कूल हैं उनका राष्ट्रीयकरण करें। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप सबको एक साथ करें। इसके लिए फेज प्रोग्राम बनायें, एक साल के अन्दर प्राइमरी स्कूल ले लें, दूसरी साल के अन्दर मिडिल स्कूल तक ले लें और तीसरी साल हायर सैकण्डरी तक के स्कूल को ले लें। कालेज एजूकेशन को इसमें नहीं लेना चाहें कुछ अर्से तक तो उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स है, हायर सेकण्डरी स्कूल तक उनकी तरफ राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इन स्कूलों को अनुदान देते हैं, लेकिन उन स्कूलों का तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। इन स्कूलों को जो अनुदान मिलता है, वह साठ पर्सेन्ट या उससे ज्यादा मिलता है, लेकिन वह किसी न किसी तरह हण्ड्रेड पर्सेन्ट अनुदान प्राप्त कर लेते हैं। आप कहेंगे कि हमारी फाइनेंसियल स्थिति ऐसी नहीं है कि तमाम स्कूलों को लेकर चला सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो अनुदान आप दे रहे हैं, उस खर्च से उन स्कूलों को चला सकते हैं। तो मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आप देखें, प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स, जिनको आप अनुदान दे रहे हैं, उनका फंक्शन कैसा है? प्राइवेट स्कूल के अन्दर जो एम्प्लाइज हैं उनकी क्या शिकायतें हैं, और उनकी शिकायतों को कैसे दूर किया जा सकता है? उनमें मैनेजमेंट को किस तरह से सुचारु रूप से चलाया जा सकता है? इसके सम्बन्ध में सरकार की पालिसी क्या होनी चाहिए? इसके लिए मेरा निवेदन है कि एक हाई पावर कमीशन की नियुक्ति की जानी चाहिए, जो यह देखे कि प्राइवेट स्कूलों को चलाना शिक्षा के हित में है या नहीं और सब मुद्दों पर ध्यान देकर, विचार करके, वह अपनी रिपोर्ट दे, उस रिपोर्ट पर सरकार विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार का इस ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ग्रामीण विद्युतीकरण की तरफ सरकार ने ध्यान दिया है, और इस बजट में कुछ लक्ष्य रखा गया है लेकिन राजस्थान के अन्दर बत्तीस हजार गांव इस वक्त है, और वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा है कि इस वर्ष हम एक हजार गांवों को बिजली देना चाहते हैं। इस रफ्तार से आप कितने वर्ष में राजस्थान के सम्पूर्ण गांवों का विद्युतीकरण कर सकेंगे—यह आपके देखने की बात है। आपने जो टार्जेट इस साल के लिए रखा है उसको मिलाकर आप पांच हजार गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर सकते हैं, लेकिन उन गांवों में भी कितने कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं— इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। इस रफ्तार से चलते रहे तो पचास साल के अन्दर इलेक्ट्रिफिकेशन पूरे राजस्थान का कर सकेंगे। आपने इसमें बीस हजार कुओं का लक्ष्य रखा है, यह बहुत कम है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको उन इलाकों की ओर, जहां पर सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां पर कैनाल से पानी नहीं मिलता है, की ओर विशेष ध्यान दें, उन इलाकों में बिजली पहले मिले। आज जो इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, नहर से पानी नहीं मिलता है वहां पर एक ही साधन है सिंचाई का वह है कुओं से। वहां पर सिंचाई बैल के द्वारा ऊंट के द्वारा ही हो सकती

Page No 69

(श्री रामनारायण चौधरी)

है। जब एक तरफ सिंचाई कैनाल से हो रही है दूसरी तरफ बिजली के कुए से हो रही हैं तो जहां बैल से कुओं से होती है तो वहां का अनाज मार्केट के अन्दर उस कीमत के अन्दर नहीं आ सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन इलाकों में जहां कैनाल का पानी नहीं है वहीं बिजली देने के अन्दर उन्हें प्रायोरिटी फिक्स करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय मैं पंचायती राज की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। 1959 के अन्दर नागौर के अन्दर हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की रोशनी जलाई थी। 1959 के बाद पंचायती राज हमारे राजस्थान के अन्दर लागू हुआ लेकिन जिस गति से और जिन उद्देश्यों को लेकर पंचायती राज को चालू किया था अब तेरह वर्ष के बाद में यह महसूस कर रहे हैं कि उससे पीछे हट रहे हैं। पंचायती राज के बनने के बाद आज आठ साल में भी पंचायतों का चुनाव नहीं करा सके हैं और आठ साल पहले की पंचायत समिति और जिला परिषद् काम कर रही है। यह आपको देखना चाहिए जब बंगला देश की लड़ाई के ठीक बाद विधान सभा और पार्लियामेन्ट के चुनाव हो सकते हैं तो क्या दिक्कत है कि पंचायत समिति और पंचायतों के चुनाव नहीं करा सकते? हम डेमोक्रेसी के उपासक हैं और डेमोक्रेटिक इन्स्टीट्यूशन के बारे में इस सदन के अन्दर कहा गया है कि पंचायती राज को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए तो पंचायतों के चुनाव समय पर नहीं हो उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करें। इसके लिए जरूरी है कि उनके चुनाव की व्यवस्था करें। आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों को कुछ अधिकार हैं, वे राजस्थान में बराबर चलते आए हैं। लगान वसूली का काम पंचायतों को दिया जाना चाहिए। मैं नहीं कहता सब पंचायतें एक जैसी हैं। लेकिन बतौर परीक्षण के आप कुछ ग्राम पंचायतों को चुनकर जिनको पंचायत समितियां या जिला परिषदें मुनासिब समझें, उनको लगान वसूल करने का काम सौंपना चाहिए और उनको मजबूत बनाना चाहिये जिससे दूसरी पंचायतों को प्रेरणा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा और काम्पीटीशन होगा। हर ग्राम पंचायत उस काम्पीटीशन में आने की चेष्टा करेगी।

आपने मोटर टैक्स बढ़ाने का सुझाव रखा है। प्राईवेट मोटर ओनर्स हैं अब तक 25 रु. प्रति सीट के हिसाब से दिया करते थे अब उनके लिए 35) का प्रावधान किया है। मैं इस कदम की सराहना करता हूं लेकिन इसके साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राईवेट बसिज जो राजस्थान में चलती हैं उनकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए तो यह आमदनी का अच्छा जरिया होगा और टैक्सपेयर्स को महसूस नहीं होगा।

बजट में आपने सामाजिक लक्ष्य, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भता की तरफ ध्यान कम दिया है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आपको घोषणा करनी चाहिए थी कि आप न्यूनतम आवश्यकता कहां फिक्स करते हैं जिससे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को कहां पर फिक्स करना चाहते हैं और

Page No 70

(श्री रामनारायण चौधरी)

अधिक से अधिक आप कितना देना चाहते हैं। आज इस बात की आवश्यकता थी कि लो पेड कर्मचारी जैसे फोर्थ क्लास या पुलिस कर्मचारी जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनकी जिम्मेदारी अधिक है, उनको आप क्या देना चाहते हैं। मुझे माफ करें आज आपका सारा प्रशासन जिन लोगों के सहारे चलता हो, उन लोगों की तरफ हम कम ध्यान देते रहे हैं। छोटा क्लर्क, चपरासी और सिपाही जो आपके प्रशासन की रीढ़ हैं. उनकी दैनिक आवश्यकताओं की तरफ आपने ध्यान नहीं दिया है। आपको फैसला करना चाहिए था कि राजस्थान में अमुक राशि से कम नहीं देना चाहते। आपको मिनीमम 200, 250 या 300 तय करना चाहिए था जिससे नीचे का कोई कर्मचारी राजस्थान में नहीं रहेगा और इतने से ज्यादा किसी कर्मचारी को नहीं मिलेगा। यह सामाजिक लक्ष्य, जो प्रधान मंत्री रखना चाहती हैं, की तरफ अच्छा कदम होगा और दूसरे राज्य भी इसका अनुकरण करेंगे। जब आप बजट पर वाद विवाद का उत्तर दें उस समय इस लक्ष्य की ओर बढ़ने का भी जिक्र करेंगे।

आत्मनिर्भरता के बारे में मुझे निवेदन करना है कि अब समय आ गया है कि हमारे देश में और राज्य में जो साधन हमारे पास हैं, उनके जरिये विकास करना होगा। वह समय चला गया जब विदेशों से भारी मात्रा में आर्थिक सहायता मिलती थी, फ्री अन्न मिलता था। हमने 20-22 साल में मुफ्त का खाकर हमने देश को इस हालत में पहुंचा दिया कि देश में न मोराल छोड़ा न इन्टेग्रिटी छोड़ी। मुफ्त का खाते खाते आज हम महसूस करते हैं कि हमें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए तो खुशी है। हम अपनी सुविधाओं में कटौती करें लेकिन आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए। जो बजट है उसका उचित उपयोग हो, एक एक पैसे का अच्छा उपयोग हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने संतुलित और वर्तमान हालात में जो अच्छा बजट पेश किया जा सकता था वह करने की कोशिश की है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नारायण सिंह

(अनुपस्थित)

श्री जेठमल बरवड़।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है उसका मैं स्वागत करता हूं। आपने बजट में नए स्कूल खोलने की घोषणा की है उससे काफी लोगों को रोजगार मिलेगा। आपने एक हजार प्राइमरी स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूल बनाने का फैसला किया है उससे काफी कम पढ़े-लिखे लोगों-मैट्रिक व हायर सैकेण्डरी-को नौकरी मिलेगी लेकिन उन्होंने बताया है कि उनके अंदर ट्रेन्ड टीचर्स को लिया जाएगा। आज हमारी जोधपुर डिवीजन में ट्रेन्ड लड़के नहीं मिलते हैं और उसके कारण जो शिड्यूल्ड कास्ट के लड़के हैं, वह इसमें भर्ती नहीं हो सकेंगे और न उनको नौकरी मिलेगी। हमारा जो शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोटा है, वह पूरा नहीं होगा। इसलिए आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो लड़के शिड्यूल्ड कास्ट्स के हैं और

(श्री नेठमल बरबड़)
जो ट्रेन्ड नहीं हैं उनको अध्यापक के पद पर नियुक्त करके और बाद में उनको ट्रेनिंग में भेज दिया जाए, ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स का कोटा पूरा हो जाए।

हमारा नागौर एक पिछड़ा हुआ जिला है और वहां हर तीन साल बाद में अकाल पड़ता है। अकाल को रोकने के लिए सरकार ने जो उपाय ढूंढे हैं उनके लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नागौर जिले में जो हमारी परबतसर तहसील है, वह पहाड़ी इलाका है, उसमें जो पानी बह बहकर बरसात का जाता है, वह लोगों के खेत खराब करता है। उससे उन किसानों को नुकसान होता है। इसलिए उस पानी को रोककर छोटे बांधों के रूप में एनीकट्स बनाकर, उस पानी को रोका जाए जिससे किसानों के कुओं में पानी का स्तर ऊंचा हो जाए, जिससे किसान अपने खेत के कुएं पर बिजली लाकर, उससे पानी निकालकर उत्पादन बढ़ा सकता है।

इसके अलावा नागौर जिले में सड़कों का बड़ा अभाव है। सिर्फ दो तीन ऐसी सड़कें हैं जो डामर की हैं। परबतसर में इतना बड़ा पशु मेला होता है, उसके अन्दर हमारे हिंदुस्तान के व्यापारी बैल खरीदने आते हैं। वहां से सिर्फ एक सड़क जयपुर जाती है वाया किशनगढ़। इसके अलावा परबतसर से पुष्कर ऐसी सड़क है जिस पर कंकर और पत्थर पड़े हुए हैं, कोई आदमी उस पर गाड़ी लेकर नहीं जा सकता। इसलिए परबतसर से जो डेगाना और मेड़ता जाने वाली सड़क है वह ऐसी है जो आज से 30 साल पहले की बनी हुई है। उसमें खड्डे पड़े हैं, भारी वाहन चलते हैं जिससे वहां खड्डे पड़ गए हैं जिससे छोटी गाड़ी लाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार ऐसी सड़कों को जो 30 साल से बनी हुई हैं उनको डामर की सड़क बनाये।

बिजली हमारे इलाके में आई है और जो गांव उसमें आए हैं उनको काफी फायदा हुआ है। और लोगों को भी बिजली लेने का फायदा मिलने लगा है और लोग समझने लगे हैं कि बिजली से काफी फायदा होता है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी परबतसर तहसील में जहां पर ज्यादा तादाद में कुए हैं वहां पर बिजली लगायी जाय।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि दो साल पहले नागौर जिले की परबतसर तहसील में बाढ़ आयी। राउन्डी ग्राम है वहां पर बड़ा टीला उखड़ गया और उसके कारण किसानों के खेतों पर छः छः फीट मिट्टी चढ़ गयी और कुए बुरीज गये। किसान अब वहां खेती नहीं कर सकते। कुछ मामूली सहायता देकर उनको राजी कर दिया और जो सहायता उनको चाहिये थी वह नहीं दी। किसानों ने सरकार से तकावी लेकर उन कुओं को खोदा था, उसकी सरकार की ओर से वसूली की जा रही है। खेतों में इतना बड़ा नुकसान हुआ लेकिन फिर भी पुरानी सिंचाई की दरों पर बिगोड़ी ली जाती थी वह ही उनसे वसूल हो रही है जब कि उन खेतों में मामूली बाजरा भी पैदा नहीं होता जब कि वहां पहले गेहूं पैदा होता था। बिगोड़ी सस्पेन्ड

(श्री जेठमल बरबड़)

करना चाहिये, मैं तो यहां तक कहता हूं कि इसको माफ ही कर देना चाहिये। नये कुए खोदने और खेतों को सुधारने के लिये सहायता देनी चाहिये जिससे वे किसान प्रोडक्शन बढ़ा सकें ?

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सिचायी मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि परबतसर में भाकरी वांध है। बरसात में ज्यादा पानी आया इसलिये उसमें दरार पड़ गयी। वांध को खतरा है। उसके पास में जावरा और दूसरे गांव हैं, वहां के किसान मिले तो उन्होंने कहा कि वांध में जो दरार पड़ गयी है, बरसात होने से ज्यादा पानी आजावेगा तो यह वांध टूट जावेगा और उनके गांव उसमें बह जावेंगे। पानी के बहाव के पास से जमीन भी कट गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस वर्ष बजट में एक लाख रुपया रखा है। लेकिन काम होता नहीं है। बजट लेप्स हो जावेगा। पिछले साल भी नागौर में इरींगेशन डिपार्टमेन्ट के दस लाख रुपये लेप्स हो गये। जिला परिषदों में जिक्र आया तो लोगों ने कहा कि लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिये यदि इस बांध को रिपेयर नहीं किया तो यह वांध टूट जावेगा और लाखों रुपये लगे हुए बेकार चले जावेंगे और अड़ोस पड़ोस के जो गांव हैं उनको भारी नुकसान होगा इसलिये जल्दी से जल्दी इसका इन्तजाम करना चाहिये।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि बिजली आयी है तो ऐसी बीमारी पैदा हो गयी है कि जितने अधिकारी हैं वे इतने परेशान करते हैं लोगों को क्या किसानों को जो कनेक्शन लेना चाहते हैं। डीडवाना के लिये एक बात कहना चाहता हूं कि 250 कनेक्शन बिजली के काट दिये गये किसानों के जब कि फसल उनको पकने का आगयी। प्रधान और विधान सभा सदस्य ने शिकायतें की लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना नुकसान हुआ कि हजारों मन गेहूं होने थे वे नहीं हुए एक तरफ तो सरकार कृषि का उत्पादन बढाना चाहती है, किसान को राहत भी देना चाहती है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जो सरकार की इस योजना को फेल करते हैं। बिजली विभाग में जो गड़बड़ है उसका सुधार होना चाहिये।

दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं कि वह मकराने कस्बे की बात है। मकराना संगमरमर का हमारे यहां पर प्रमुख उद्योग केन्द्र है और मकराने मे मारबल की 150 फेक्टरियां लगी हुई हैं और करीब 500 खाने हैं। माइन्स के लिये रोड्स बनायी हुई हैं। कुआ भी बनाया है और फेक्टरियां लगी हुई हैं 150, वे ज्यादातर एग्रीकल्चरल लेंड में लगी हुई हैं, लोगों ने व्यक्तिगत लगाई हैं, किसानों से खेत को मोल लेकर। जो भी फेक्टरी वहां लगाना चाहता था उसको जमीन नहीं मिली इसलिये उन्होंने किसानों से ली फेक्टरी लगाली, एग्रीकल्चरल लेंड होने से उनको उठाने की कार्यवाही की जाती है, नोटिस दिये जाते हैं और परेशान किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, नई इन्डस्ट्रियल एस्टेट बना कर उपयोग करना चाहिये जो लोग अपनी ओर से, अपने सोर्स से

(श्री जेठमल बरवड़)

ऐसी फेक्टरियां लगाते हैं जिनसे हमारे इलाके के लोगों को फायदा होता है, मार्बल निकालते हैं और देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। इसलिये इस मारबल जमीन को एक्वायर करके औद्योगिक बस्ती बना कर 99 वर्ष का पट्टा उनको देना चाहिये जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में यही निवेदन करूंगा कि वित्त मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है वह अच्छा बजट है। मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर माननीय मंत्रीजी ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चतुरभुज।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) : उपाध्यक्षजी, बजट पर मेरे सुझाव हैं। बजट पेश किया है, उसके स्वागत पर तो मैं कहां तक कहूं किन्तु मेरी मान्यता यह है कि सरकार ने अपनी विचारधारा सदन में रखी है मैं मेरी राय सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बजट में संशोधन किया जाय क्योंकि मेरी मान्यता यह है कि सदा से राज्य सरकार के ओवर ड्राफ्ट चलते हैं और हमें आशा है कि अब भी ओवर ड्राफ्ट आवेंगे। पहले आये तो अब भी होंगे। ओवर ड्राफ्ट की देहाती जीवन वाले लोग कब तक पूर्ति करते जावेंगे। सुझाव देना चाहता हूं जहां से मैं आया हूं मैं प्रजातन्त्र की प्रणाली में पला हूं, पहले पंच बना, सरपंच बना··

श्री उपाध्यक्ष : आपको यह कहने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिये अलग से स्मारिका निकल रही है।

श्री चतुरभुज : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग कब तक इस ओवर ड्राफ्ट को देते रहेंगे। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि बजट में संशोधन किया जाय। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देवली क्षेत्र के लिये बजट में प्रावधान नहीं दिया गया है सरकार को कहना चाहता हूं कि देवली क्षेत्र में बिल्डिंग बनी हुई है। जब कि वहां एक कालेज के लिये तीन लाख रुपये की कीमत की बिल्डिंग खड़ी है। यह एक राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है जो कष्टों के वक्त देश और राजस्थान सरकार के लिये काम आता रहा है सैनिकों के आवास की दृष्टि से या शरणार्थियों को ठहराने की दृष्टि से। चीन युद्ध के समय भी यह काम आया। उस स्थान पर कालेज बनाने की मांग आज पूरी नहीं हो रही है। बीस हजार रुपया जनता ने इकट्ठा करके अलग रख रखा है बैंक में। इसके अलावा भी मुख्य मुख्य साधन जुटाने के लिये तैयार हैं। आज यह स्थान भीलवाड़ा, कोटा, अजमेर और मध्य भारत को जोड़ता है और इनके बीच देवली की छावनी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहां कालेज का बनना बहुत जरूरी है।

इस तरह के महत्वपूर्ण स्थान पर एक प्रसूतिगृह भी नहीं है जो नितान्त आवश्यक है। इसका निर्माण करना भी आवश्यक है।

इसके अलावा टोडा रायसिंह, कोटा, मालपुरा व टौंक, उनियारा इन पांच, छः तहसीलों को घेरती हुए एक डाई नदी बहती है। लोग पानी के मारे तरसते

(श्री चतुरभुज)

हैं, खेत सूखे रह जाते हैं पर उसका पानी नहीं मिलता। वह व्यर्थ में बहकर समुद्र में चला जाता है सीधा। हमारी धरती प्यासी मरती है। अनाज की उपज भी नहीं हो पाती। तो इस नदी पर बांध बनाया जाना अत्यावश्यक है। इस इलाके की समृद्धि के लिये। इसका पानी टोरडी सागर के मशहूर बांध में भी डाला जा सकता है जो लगातार खाली रहता आ रहा है। कभी पूरा नहीं भर पाता। इससे यह इलाका सरसब्ज होगा, पैदावार बढ़ेगी, लोगों में खुशहाली आवेगी।

इसके अलावा अजमेर को पानी दिया गया है जिसके लिये इस इलाके में तीस-चालीस कुए खोदे गये हैं जिसके कारण तीन-चार गांव तो भूखों मरने की स्थिति में पहुँच गये हैं। उन गांवों के कुओं का पानी या तो पूरा ही सूख गया है या बहुत कम हो गया है, बहुत गहरा चला गया है। पानी अजमेर को मिले यह जरूरी है, मैं इसकी ना नहीं देता। पर इन गांवों के कुओं को भी जो आसपास में हैं भरे रखना जरूरी है। उन गांव वालों को भी रोजी रोटी देना जरूरी है। इसलिये सरकार को इसके लिये भी कुछ करना चाहिये।

सन् 52 से लेकर आज तक टोडारायसिंह से देवली की रोड पूरी नहीं हो पाई है। बीस साल से बन रही है और अभी तक केवल पांच मील सड़क बनी है। पंचायत समिति, जिला परिषद और कई सम्मेलनों में यह मांग दोहराई गई है। पर आज तक इस सड़क का काम पूरा नहीं हुआ। इसका निर्माण जल्दी कराया जावे जिससे हमारे यहां यातायात के साधन सुगम हो सकें। इससे टोडारायसिंह और देवली का आवागमन का मार्ग काफी सुगम हो जावेगा।

अन्त में सीलिंग के बारे में निवेदन करूंगा कि आज समाजवादी समाज की रचना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारण करना जरूरी है। जिनके पास करोड़ों रुपया है उसका उपयोग होना चाहिये। वह जन साधारण की समृद्धि, व्यापार, उद्योग आदि में लगे यह आवश्यक है। अगर यह नहीं होगा तो समाजवाद नहीं ला सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल : आज नहीं बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : । श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बजट बहुत सराहनीय है। इसमें प्राथमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा, पेय जल एवं विद्युतिकरण आदि के लिये काफी प्रावधान रखा गया है। यह वास्तव में ही सराहनीय है, स्वागत योग्य है और इससे गरीब लोगों को, उनके बच्चों को पढ़ने का मौका मिलेगा।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (दीगोद) : बजट पर वाद-विवाद चल रहा है और सदन में केबिनेट का एक भी सदस्य उपस्थित नहीं है। फिर क्या नोट्स ले सकेंगे जो सुझाव माननीय सदस्य सदन में देते जा रहे हैं उनके।

श्री उपाध्यक्ष : मूलचन्दजी हैं।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : वे अकेले क्या नोट्स ले पावेंगे सब विभागों के। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे सदन में इस दौरान आवेंगे। आपकी तरफ से कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिये।

श्री मोहरसिंह : पिछले सालों में जो उम्मीद की गई थी उसकी पूर्ती नहीं हो पाई। आगे भी अधिक आशा करके तो नहीं चल सकते कि जितने बेरोजगार लोग राजस्थान में हैं सब काम पर लग जावेंगे और रोटी पानी आदि की समस्या का भी हम कोई जल्दी ही पूरा हल कर पावेंगे। देहातों में अकाल पीड़ित लोगों को अविलम्ब काम देने के लिये इसी सदन में आश्वासन दिया गया था पर उसका पालन नहीं किया गया। वास्तव में यह खेद की बात है। अब सरकार तुरन्त उन गरीब किसानों को, जो बरसों से अकाल पीड़ित रहे हैं, काम दे और उनको बसाने आदि के लिये उनकी सहायता करें। इस सम्बन्ध में काम हाथ में लिया जाना अत्यावश्यक और नितान्त जरूरी है। मैं निवेदन करूं कि सदन में आश्वासन दिये जाने के बाद भी एक गांव में, कम से कम चूरू जिले की तो मैं कह सकता हूं, कि एक भी गांव में किसी अकाल पीड़ित व्यक्ति को काम नहीं दिया गया है। उनके पास पीने को पानी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, काम करने को रोजी नहीं है। तो सरकार उनकी सहायता कब करेगी कि मेरा इस बारे में प्रश्न भी था। कहा जाता है कि राजस्थान नहर योजना पर जाओ। पर यह व्यवहारिक नहीं है। इससे फेमीन कोड की कण्डीशन्स भी फुलफिल नहीं होती। फिर यह कोड भी पुराना हो गया है। दकियानूसी है जो सत्रह अठारह साल पहले सामन्ती जमाने की नकल पर बनाया गया था हर साल इसमें परिवर्तन की मांग की जाती रही है पर इसे नया रूप सरकार देने को आज भी तैयार नहीं है। यह खेद की बात है। आश्वासन सरकार देती रहती है। पर कोरे आश्वासनों से तो पेट नहीं भरने वाला है। पूंजीवादी विचारधारा से बनाया गया गया यह फेमीन कोड आज काम नहीं दे सकता जब कि हम समाजवादी समाज की बात करते हैं। जनता को किसी प्रकार सन्तोष नहीं मिल सकता। यह बहुत जरूरी बात है जिसके लिये तुरन्त इन्तजाम किया जाना चाहिये कि उस आदमी को जो अकाल से पीड़ित है, जो कुदरत का सताया हुआ है, जिसके लिये हम कहते हैं कि विधान ने गारन्टी दी है। हर आदमी को रोजी और रोटी देंगे। ऐसे गंभीर मामलों की उपेक्षा किया जाना और यह बहाना करना कि धन की कमी है यह नहीं चलेगा। पिछले साल भी धन खर्च हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकाला जा सकता है। आज जो जरूरतमन्द है, जो पीड़ित है उनको काम नहीं दिया जा सकता है यह बड़े दुख की बात है। पिछले साल की तरह पुनरावृत्ति न हो जाय।

श्री नन्द लाल बैरवा : उपाध्यक्ष महोदय सदन में कोरम नहीं है।

एक माननीय सदस्य : येस।

श्री मोहरसिंह : तो मैं निवेदन करूंगा आपके मारफत सरकार से इस विषय में तुरन्त ध्यान देकर फेमीन कोड बनाया जाय और···

(कोरम की घंटी)

(श्री मोहर सिंह)

जहां पानी की कमी है वहां पानी दिया जाय। जहां पर अकाल राहत कार्य नहीं खुले हुये हैं वहां अविलम्ब राहत कार्य शुरू करवाये जाने चाहिये। सदन में आश्वासन देने के बाद भी अकाल सहायता कार्य न चलाना दुःख पूर्ण है। इसको टाला जा रहा है। यह बात मैं समझता हूं और मंत्री महोदय खास तौर से अकाल सहायता मंत्री जी उत्तर देने में बहुत चतुर हैं, किसी बात को टालने में बहुत होशियार हैं लेकिन मैं कहता हूं टालने से समाजवाद नहीं आयेगा और लोगों को सरकार के प्रति असंतोष और अविश्वास पैदा होगा। हमने लोगों को यह विश्वास दिया है कि समाजवाद की नीतियों पर काम करेंगे। गरीब को रोटी चाहिए और रोटी देने में किसी दुनियां का कोई नियम ना नहीं कहता है। नियम कितने ही बने हुये हों सब बेकार हैं, भूखे को पहले रोटी चाहिये। धन की कमी का बहाना उनकी रोटी की पूर्ति नहीं करता है। धन की कमी की बात किसी को रोजी रोटी देने में नहीं आनी चाहिये। मैं सदन से अपील करूंगा कि तुरन्त अकाल पीड़ित लोगों को काम दिलाया जाय। हम माननीय मंत्री महोदय का उत्तर नहीं चाहते हैं। उत्तर से हमें सन्तोष भी नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं रेगिस्तानी क्षेत्र की है। उसके डेवलपमेंट के लिये, उसके विकास के लिये, कोई योजना चलाई गई, डेजर्ट बोर्ड बनाया गया लेकिन डेजर्ट को हटाने के लिये कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाये गये। पिछले बजट में भी डेजर्ट को हटाने का प्रोविजन नहीं रखा गया था और इस बजट में भी इसके लिये कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। हमारे क्षेत्र में 20 साल पहले सिद्धमुख नहर की योजना बनाई गई थी लेकिन आज तक उस पर काम शुरू नहीं किया गया। 20 वर्ष पहले वायदा किया था। यह चूरू जिले और गंगानगर जिले में से आती है। हमारे यहां पानी का अभाव है वह उससे मिल जाता है। अकाल के पीड़ित लोगों को काम मिल सकता था लेकिन अकाल राहत कामों में भी इसको नहीं लिया गया और न रेगूलर बजट में ही इसको लिया गया है। कभी कोई बहाना बनाया जाता है तो कभी कोई बहाना बनाया जाता है। इस योजना के बाद कई बड़ी बड़ी योजनायें बन चुकी हैं लेकिन इस योजना को नहीं लिया गया जो कि खारे पानी के क्षेत्र में से निकली है जिसको पीने से पशु भी मर जाते हैं आदमी का तो कहना ही क्या। आज भी सिद्धमुख नहर की बराबर उपेक्षा की जाती है। पता नहीं इस योजना को किस कूड़ा करकट में डाल दिया है। उस योजना पर पुनः विचार करके तुरन्त काम शुरू होना चाहिये।

इसी प्रकार रेगिस्तानी क्षेत्र में कुओं का निर्माण करके सिंचाई के साधनों को जुटाया जाना चाहिये। जहां जहां पानी उपलब्ध है, वहां वहां कुओं का निर्माण किया जाना चाहिये। आज भी जहां कुओं में पीने के लिये पानी उपलब्ध है। सरकार की ओर से कोई पैसा नहीं दिया गया है। पहले थोड़ा बहुत पैसा पंचायत समितियों की तरफ से दिया जाता था लेकिन अब उसका सब्स्टीट्यूट बैंकों को बनाया गया है और आज बैंकों का काम पूर्ण असन्तोषजनक है। आजकल बैंकों में चक्कर बाजी बराबर दी जाती है। बैंकों के बाबूजी और एजेन्ट

Page No 77

(श्री मोहर सिंह)

करोड़ों रुपयों की योजना बतायेंगे लेकिन देंगे एक पैसा भी नहीं। बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज बैंकों का काम बहुत खराब हो गया है। कोई पैसा बैंकों से नहीं मिलता है। बैंकों से लोन लेने के लिये 25 सार्टीफिकेट देने के बाद भी बैंकों से पैसा प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। हमारा क्षेत्र बहुत लम्बा है। पहले एजेन्ट को प्रार्थना-पत्र देंगे और फिर एजेन्ट उसको हैड ऑफिस भेजेगा, हैड ऑफिस से महीनों तक उत्तर नहीं मिलता है। लोगों को बैंकों के चक्कर खाने में सैकड़ों रुपये खर्च हो जाते हैं। मेरे जिले का मुझे व्यक्तिगत ज्ञान है सभी लोग कहते हैं बैंकों के मामले में हम असमर्थ हैं। बैंक खेती करने वाले को पैसा नहीं दे, उद्योग धन्धे वालों को पैसा नहीं दे सकते हैं और सरकार की जो योजना है उसका कोई लाभ लोगों को नहीं मिलता है और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होने के बाद तो मैं कहता हूं जो थोड़ा बहुत काम होता था वह भी खत्म हो गया। अब उनकी कोई शिकायत सुनने करने वाला नहीं है उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। रेगिस्तानी क्षेत्र में उद्योग धन्धे लगाने के लिये सरकार की तरफ से बहुत प्रोपेगेन्डा किया जाता है लेकिन यह केवल प्रोपेगेन्डा मात्र रह जाता है। कार्य रूप में प्रमाणित नहीं होता है। आज उद्योग धन्धे के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता है जमीन अलाट करने की इसमें कोई पैसा खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं 1-2 स्थानों को छोड़कर सब क्षेत्र में सरकार की तरफ से उद्योग धन्धे के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। क्या सरकार के पास उद्योग धन्धे लगाने वालों के लिये जमीन भी खाली नहीं है इसको भी सरकार उपेक्षा की दृष्टि से देखती रही है। प्रोपेगेन्डा के लिए जो सरकार का हजारों रुपया नष्ट किया जाता है उससे कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। मैंने स्वयं ने सरकार से लिखा पढ़ी की थी और चूरू जिला ग्रामीण औद्योगिकरण परियोजना ने प्रस्ताव भी पास किया था। उसकी हर मीटिंग में प्रस्ताव पास होता था कि उद्योग धन्धों के लिये कम से कम जमीन तो दीजिये। पर 10 साल का तो मुझे अनुभव है, कभी उद्योग धन्धे के लिये जमीन नहीं दी गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं इस विषय में आज तक भी सुनवाई नहीं हुई इसके लिए खाली सरकारी जमीन हमारे जिले में बहुत है केवल कनवर्ट करने की बात है लेकिन सरकार कनवर्ट नहीं कर पाती है। इस प्रकार की योजना से कोई फल निकलने वाला नहीं है। उनके लिये जितना पैसा खर्च किया गया है, मैं समझता हूं कि सब व्यर्थ जाता है।

इसी प्रकार फौजियों को बसाने के लिये कोई पैसा खर्च नहीं किया जाता है। केवल उनको जमीन अलाट करने की बात है लेकिन उनको बसाने के लिये राजस्थान ने आज तक कोई रियायती दरों पर जमीन नहीं अलाट की है। अगर उनको रियायती दर पर जमीन नहीं दे सकते हैं तो यह कोई शोभा की बात नहीं है। जिसमें धन खर्च नहीं होता है वह काम भी यह राजस्थान की सरकार नहीं कर पाती है। सैनिक कल्याण का जो महकमा है उसका पुनःगठन किया जाना चाहिये। इस ओर

(श्री मोहर सिंह)

कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्षों पहले जिला बोर्ड बने थे अब उनको शक्तिशाली बनाया जाना चाहिये। यदि राजस्थान सरकार वास्तव में उन सैनिकों के प्रति निष्ठा रखती है, उनके प्रति प्रेम है, उनके परिवार वालों के प्रति सहानुभूति है तो हमें उन सैनिकों के प्रति अपने कर्तव्य पालन हेतु अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिये। हमारी सरकार को उनके प्रति पूरी रुचि लेनी चाहिये, पूरा इन्टरैस्ट लेना चाहिये और उनके गृह निर्माण में पूरा योगदान करना चाहिये। एक महकमा बना दिया गया है जिसके दफ्तर का पता तक नहीं मिलता है। चिट्ठी दो तो उत्तर तक नहीं मिलता है। इस प्रकार की सैनिक कल्याण की योजना से कोई लाभ नहीं होगा। इस दफ्तर का पुनर्गठन करें। अच्छे आदमी को इसका सचिव बनायें तो मैं समझता हूं उसमें बहुत बड़ा सुधार हो सकता है।

इसी प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को हमने बिना कीमत जमीन देकर बसाने की योजना बनाई है लेकिन इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। यह कागजी घोषणायें हैं और इनका क्रियान्वयन नहीं होता और घोषणायें हो जाने के बाद उनका फालोअप एक्शन नहीं होता। मेरा इस मामले में बहुत ही हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि इस प्रकार की कोई योजना हो जिससे पता लगे कि कितने भूमिहीन हैं और प्रतिमाह इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितने भूमिहीनों को बसाने के लिए जमीन दी गई और योजनाओं की क्रियान्विति के लिए तुरन्त फालो-अप एक्शन होना चाहिए। इस बात का चैक होना चाहिए कि आपने जो घोषणा की है उसको पालना ठीक तरह से होती है या नहीं और उस घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी जिम्मेदार होना चाहिए। किसी भी स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर या राज्य स्तर पर, लेकिन किसी को हमें जिम्मेदार ठहराना होगा।

अब मैं राजस्थान में जो सबसे बड़ी और सबसे पहले जो सुधार एवं विकास की भूमिका बनाई गई थी पंचायती राज्य को उसके ऊपर आता हूं। आज पंचायती राज्य से लोग इतने परेशान, उदासीन और खिन्न हैं कि गांव में पंच का नाम लेते हैं तो लोग गला पकड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने शुरू में सोचा था कि 3 साल के बाद पंचायतों के चुनाव होंगे लेकिन 8 साल हो गये हैं और कोई न कोई बहाना बना कर कभी अकाल का, कभी महामारी का और कभी चुनावों का बहाना बना कर इसको टालते रहे हैं। यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है कि 3 साल के मामले में आप 8 साल लगा दें और फिर मैं आपको बताऊं कि आज से 8 साल पहले लोग बहुत अनपढ़ थे और अब तो ज्यादा पढ़ गये हैं, पहले मतदाता भी कम थे और आज मतदाताओं की संख्या भी काफी बढ़ गई है तो उस हिसाब से वह पंचायतें आज आउट-डेटेड हो गयी हैं और उनकी कोई यूटीलिटी नहीं रह गयी है। तो उपाध्यक्ष महोदय, तुरन्त इस विषय में कोई विशेष एक्स्ट्रा आर्डिनेरी कदम उठाये जाकर पंचायतों के सुधार के लिए कोई कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए। पंचायतों को छोटा करना है तो उनको छोटा कर दीजिए और यदि उनको बड़ा करना है तो बड़ा कर

(श्री मोहर सिंह)

दीजिए–जो कुछ करना है वह कर दीजिये लेकिन उसके लिए वर्षों तक खामोश बैठे रहें सो ठीक नहीं। पुराने सरपंच आज अपने आपको समझते हैं कि हम जागीरदार हो गये हैं–तो इस नयी जागीरदारी प्रथा को समाप्त करना बहुत जरूरी है। वरना सरकार ने जो समाजवाद का कार्य किया है वे उसको खतम कर देते हैं। एक सरपंच के ग्राम सेवक, पटवारी, अध्यापक, पंचायत का सेक्रेटरी पर्सनल और डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स हैं। वे उनसे बेगार लेते हैं और उनको काम नहीं करने देते हैं। तो इस समस्या का वास्तव में कोई बहुत ही सुन्दर हल ढूंढना होगा, इसका कोई न कोई सब्स्टीट्यूट बनाना पड़ेगा।

इसके अलावा पंचायतों के जो काम हैं वे भी वे नहीं करती। जीने और मरने का रजिस्टर रखना होता है पंचायतों को वह भी वे नहीं रखती हालांकि उसमें कोई उनका खर्चा भी नहीं होता और आज पंचायतों की जो दुर्व्यवस्था है वह किसी से छिपी हुई नहीं है, सब जानते हैं। तो पंचायतों का किस प्रकार से पुनर्निर्माण हो और किस प्रकार से उनको पुनर्जीवित करें और लोगों का उनमें विश्वास पैदा हो इसके ऊपर जितना जल्दी ध्यान दिया जायगा उतना ही अच्छा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक दो जिलों का दौरा किया वहां पर लोगों ने कहा कि आप चाहे जुलाई में पंचायतों के चुनाव करायें हम इसके लिए तैयार हैं और हम एक दो रोज खेत बुवाई का भी काम रोक देंगे लेकिन वर्तमान में जो पंचायतें हैं उनसे हम बहुत परेशान हैं। आखिर कोई सीमा होनी चाहिए। स्वयं सरपंच परेशान हैं और वह कहते हैं कि हम छोड़ना भी चाहें तो किस को बनाये। कई जगह सरपंचों और उपसरपंचों को हटाया तो आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति नहीं की। आपने न्याय पंचायतें बनाकर उनको ऐसा अधर लटका दिया कि न काम कर सकते हैं और न छोड़ सकते हैं। आज पंचायतें वसूली नहीं कर सकतीं, उनको पैसा नहीं मिलता और यदि मिलता है तो वे बांट नहीं सकतीं। इसके अलावा ऐसी शिकायतें हैं कि जहां करोड़ों रुपये सरकार के गबन किये हैं और पंचायती राज्य उस पर आंख नहीं खोलता जब कि गबन के मुकदमें चल रहे हैं, कुए नहीं बनाये, सड़कें नहीं बनाई, तालाब नहीं बनाये, स्कूलें नहीं बनाई और रुपया खा गए और गांव का आदमी देखता है कि मैंने इसकी शिकायत की है और सरकार सुनेगी और ऐसे अनेक मामले सरपंचों और प्रधानों के पड़े हैं जिनको कोई नहीं देखता। ऐसे कारनामों से लोगों की सरकार के प्रति आस्था डगमगा जाती है। सरकार पंचायतों को और लम्बा करना चाहती है तो ऐसे मामलों में अविलम्ब ध्यान देकर जिनको हटाना चाहती है हटाये और जिनके ऊपर कृपा करना चाहती है कृपा कर दे लेकिन न तो उनको मरने देते हैं और न जिन्दा रहने देते हैं यह बड़ी दयनीय स्थिति है। इससे बुरा चित्र हमारी पंचायती राज्य का कोई नहीं हो सकता।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : इसके बारे में आप कोई स्पेसिफिक उदाहरण रखें तो अच्छा होगा।

श्री मोहरसिंह : मैं आपकी तरह भाषण देने का आदी नहीं हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल की भी बड़ी ही दयनीय

(श्री मोहर सिंह)

स्थिति है। उन्होंने कहा कि सोमानी जी से चन्दा लिया। आप पहले कभी तो बूंदी के महाराजा के साथ थे और कभी कोटा के महाराज कुमार के साथ थे और अब जब उनका आसरा इनके लिए उठ गया तो अब उनको आप गालियां देते हैं....

श्री भानुकुमार शास्त्री : वह सब उधर आ गये।

श्री मोहरसिंह : उनकी समझ में आ गया कि आपका साथ गलत था।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : उनको आपने मिलाया है और प्रतिक्रियावादी लोगों को साथ लिया है।

श्री मोहरसिंह : आपने उनको वायदा दिया था कि हम आपके प्रिवीपर्सेस और विशेषाधिकार हैं उनकी रक्षा करेंगे। आप उनकी रक्षा नहीं कर सके और अब उनकी समझ में आ गया और भूला हुआ आदमी घर आ गया।

श्री रामसिंह कुड़ी : आप पूंजीपतियों के दास हैं।

श्री मोहरसिंह : आप किसी के भी प्रतिनिष्ठा नहीं रखते। आपने भैरोंसिंह जी का पत्ता काटा है, हमने सुखाड़िया जी का पत्ता नहीं काटा...

श्री भानुकुमार शास्त्री : सुखाड़िया जी का पत्ता प्रेम से काटा गया।

श्री मोहरसिंह : हम तो सब उनकी तरह से पत्ता कटवाने के लिए तैयार हैं। हम तो शीशे के मकान में रहते हैं और आप कोई फौलाद के मकान में नहीं रहते हो। यह जनता ने फैसला कर दिया कि आपने क्या किया है, अब आपकी पोल उधड़ गई है...

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह भी पता लग जायेगा कोई बड़ी बात नहीं है।

श्री मोहरसिंह : आपको 18–20 साल से पता नहीं लगा तो हमारा ठेका नहीं है आपको समझाने का, आपके साथ कोटा के महाराज कुमार थे, बूंदी के महाराजा थे और जोधपुर महाराजा थे तब आप उनको बहुत अच्छा आदमी समझते थे, आपका साथ कुम्भाराम जी के साथ था तो आप उनको अच्छा समझते थे पर अब...

श्री रामसिंह कुड़ी : आप कहते थे कि राजा महाराजा जनसंघ के साथ हैं...

श्री मोहरसिंह : मैं तो अब भी यही कहता हूं।

श्री रामसिंह कुड़ी : यही तो कांग्रेस की परिभाषा है।

श्री मोहरसिंह : यह सर्वमान्य सत्य है जिसको कोई बदल नहीं सकता। Man is known by his company. आप शराब की दुकान पर बैठेंगे तो हम समझेंगे कि आप शराबी हैं। आपके साथी प्रतिक्रियावादी होंगे तो आप भी प्रतिक्रियावादी होंगे। हम पाकिस्तान को भी जानते हैं, अमेरिका को भी जानते हैं और चीन को भी जानते हैं और आप अमेरिका के एजेन्ट हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आप बोल लीजिए क्या फर्क पड़ता है।

श्री मोहरसिंह : आप गालियां देते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। आप याद रखिए आप एक पत्थर मारेंगे तो आपको सौ पत्थर खाने पड़ेंगे। आप जिस प्रकार से व्यक्तिगत आलोचना करते हैं और आप समझते हैं कि मैं भी उसी तरह से करूं। मैं इतना नीचे आने वाला नहीं हूं। मैं इतना ओछा नहीं हूं, मैं इतना कमीना नहीं हूं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : व्यक्तिगत आरोप किस पर लगाए हैं ? भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं...

श्री मोहरसिंह : वह आपके ही भाईबन्द हैं, यह आप याद रखें। मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, गालियां नहीं देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ी बात है। कुछ वर्ष पहले जनसंघ वाले हिन्दी के नाम पर तुनक तुनक कर खड़े होते थे, आज भूल गए हैं जनसंघ वाले हिन्दी को। आज उनकी हिन्दी पर बिन्दी लग गई है। खैर ये तो भूल रहे हैं लेकिन कांग्रेस का तो यह वादा है और वह है राष्ट्रभाषा, सरकारी भाषा हिन्दी। मैं उसकी याद उनको दिलाना चाहता हूं। हिन्दी का प्रयोग करने में, मैं समझता हूं कि बहुत कम खर्चा आता है। आज गजट में आधी बात हिन्दी में निकालते हैं और उसका अनुवाद अंग्रेजी में निकालते हैं। कुछ अंग्रेजी में निकालते हैं और उसका अनुवाद हिन्दी में निकालते हैं। कुछ दिनों पहले हिन्दी में पहले निकालते थे और उसका ट्रांसलेशन अंग्रेजी में निकालते थे। इस दोहरे प्रकाशन से कोई फायदा नहीं है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। पढ़ने वालों का समय बर्बाद होता है और इसलिए इस प्रथा को समाप्त करके एक भाषा का निर्णय कर लीजिये, आपको हिन्दी पढ़ानी है या अंग्रेजी। यदि दरअसल हिन्दी पढ़ानी है, हिन्दी का प्रयोग करना चाहते हैं, तो इस काम को आपको सख्ती से, मजबूती से और दृढता से करना होगा। आप इस काम को कल करना चाहते हैं, दस साल बाद करना चाहते हैं, इसका निर्णय आप ले लें। इसी प्रकार आपने अंग्रेजी पढ़ना लाजमी कर रखा है, पांचवीं क्लास के बच्चे को अंग्रेजी पढ़नी पड़ेगी, यह बात समझ में नहीं आती। सरकार की क्या नीति है ? इस विषय में स्पष्ट करना होगा कि आप कब तक यह अंग्रेजी जबर-दस्ती पढ़ना बन्द करना चाहते हैं ? इसको करने से आपको, मैं समझता हूं कि शिक्षा के बजट का एक चौथाई खर्च करना पड़ता है अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, वह बच जावेगा। आप भगवान के नाम पर, जनसंघ के भग-वान नहीं, इन्सान के भगवान के नाम पर...

श्री रामसिंह कुडी : मोहरसिंहजी के भग-वान के नाम पर।

श्री मोहरसिंह : मोहरसिंह का भगवान् पक्का है, झूठा नहीं है। मुझे खुशी है कि जोधपुर के माननीय सदस्य पधार गये हैं तो आप...

श्री सांवरमल मोर (सवाई माधोपुर) : इनको सुनाना बाकी है क्या अभी।

श्री मोहरसिंह : इनके बारे में भी कहूं तो सुने तो सही।

(विराम)

इसलिए मेरा सुझाव है कि अनिवार्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना प्राईमरी स्कूल के लिए,

(श्री मोहरसिंह)

मिडिल स्कूल के लिए, बन्द कर दें तो आपके शिक्षा के बजट से एक चौथाई खर्चा बच जाएगा और उसका सदुपयोग करके जो आपने सैकेण्ड्री, हायर सैकेण्डी, कालेज और स्नातक, स्नातकोत्तर परीक्षाओं को पढ़ाने के लिए इन्तजाम नहीं किया है तो उसका इन्तजाम बड़ी आसानी से कर सकते हैं।

देखने में यह आता है कि किसी भी दफ्तर में चले जाइए, हर फाइल पर अंग्रेजी में नोट मिलेगा और हर लाइन में दस गल्ती मिलेगी उस नोट में, पर अंग्रेजी जरूर लिखेंगे। दस्तखत हिन्दी में करेंगे लेकिन नोट अंग्रेजी में लिखेंगे और मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि शायद ही कोई सेक्रेट्री का नोट होगा अंग्रेजी में जो सही हो। फिर फैशन है, एक तरीका है अंग्रेजी में लिखने का और इससे लोग अंग्रेजी में लिखते हैं। इस प्रथा को जितना जल्दी से जल्दी समाप्त कर सकें उतना ही अच्छा है। इससे आपको कागज की बचत होगी। अंग्रेजी में लिखना नहीं आता तो अलग से कुछ न कुछ लिखते हैं और फिर फाइनल लिखते हैं। हिन्दी में लिखेंगे तो कागजों की बचत होगी, लोगों के समय की बचत होगी, पढ़ने वालों को सुविधा होगी। आपका काम जल्दी हो सकेगा। चपरासी को अंग्रेजी में चिट्ठियां दे देते हैं तो वह पूछता फिरता है कि यह कौन से दफ्तर में देना पड़ेगा। जिन्दगी हराम हो जाती है अंग्रेजी पढ़ते पढ़ते और राजस्थान में, मैं समझता हूं कि, एक प्रतिशत से ज्यादा अंग्रेजी समझने वाले लोग नहीं हैं। तो एक प्रतिशत के लिए 99 प्रतिशत लोगों को टैक्स करते हैं यह अच्छी बात नहीं है। मैं समझता हूं कि यह एकदम से समाजवाद विरोधी बात है। तो यह मैंने जनसंघ की बात याद दिला दी।

एक योजना है चूरू, झुंझुनू और सीकर जिले के बारे में जो वहां के लिए वरदान सिद्ध हो सकती है। वह योजना है हमारी राजस्थान नहर से पानी ऊंचा उठा कर इन जिलों के लिए सिंचाई का पानी प्रदान करने की। यह बात हमारे केन्द्रीय सिंचाई मंत्री मान चुके हैं। वह योजना शायद हिन्दुस्थान में सबसे सस्ती, उत्तम और जल्दी फल देने वाली है। इसकी बराबर जनता मांग करती आ रही है। आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहे हैं पर सर्वेक्षण तक नहीं करवाया गया। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां के लोग खेती के काम में अनुभव रखते हैं, जिनके पास खेती की जमीन है, पूंजी भी जिनके पास है और जहां हर साल अकाल सहायता के लिए आपको खर्चा करना पड़ता है, पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए खर्चा करना पड़ता है, तो इससे वह हर साल का खर्चा भी बच जाएगा और पानी देने के बाद, चार महीने बाद ही, फसल मिल जाएगी, उत्पादन शुरू हो जाएगा। आज राजस्थान नहर क्षेत्र में जमीन के बंटवारे का, अलाटमेंट और वितरण का झगड़ा है। आप राजस्थान नहर का पानी जैसलमेर ले जाना चाहते हैं तो इसको सब जानते हैं कि यह योजना लाभदायक नहीं है, वहां पर जमीन का वितरण सही नहीं है, बेटरमेंट लेवी और इर्रीगेशन चार्जेज के झगड़े हैं, जमीनों के झगड़े हैं, सीलिंग का डर है, और सारे डर हैं और जिससे

Page No 83

(श्री मोहरसिंह)

उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, लाभ नहीं मिलता है, लेकिन वहां के किसान उत्पादन करना जानते हैं, वहां पर इस प्रकार के कोई झगड़े नहीं हैं। आप जानते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र के लोग इनके मुकाबले चतुर नहीं हैं, वे सीधे लोग हैं, उनको पानी मिलेगा, जमीन मिलेगी, पहले से कोई झंझट नहीं होगा, आपको जल्दी से जल्दी फसल मिलेगी और उनका हर साल का संकट मिट जाएगा। आप जानते हैं कि गंग नहर आई थी तो उसके निर्माण में चूरू जिले के लोगों ने तन, मन, धन से उसमें सहायता की थी और कितने लोगों की मौतें उसके निर्माण में हुई थी? कितने ही लोग उसके निर्माण में मर गए। तो इस प्रकार चूरू जिले में जहां कि सब प्रकार की सुविधा है, आप वहां पानी नहीं देकर आप कहते हैं कि जैसलमेर जिले में पानी ले जायेंगे। आप वहां पानी ले जायं लेकिन वहां के लोग किसान नहीं हैं, वे पशुपालक हैं। उनका मुख्य धन्धा पशुपालन है जो उनसे छूट जायगा और वे खेती भी भली प्रकार नहीं कर सकेंगे। उनका पशुपालन का धन्धा है उसमें सैट पैटर्न है। मैं समझता हूं कि वहां के लोग वर्षा हो जाती है तो भी दूसरा धन्धा पशुपालन का ही करते हैं। वहां पर खेती के लिए ज्यादा पानी चाहिए जब कि चूरू जिले के क्षेत्र में थोड़ा सा पानी जाएगा तो भी फसल हो जाएगी। जैसलमेर क्षेत्र में 5 इंच से कम वर्षा होती है, वहां पर सफल लेने के लिए बहुत ज्यादा पानी देना पड़ेगा। लेकिन इन जिलों में ऐसी कोई समस्या नहीं है। यहां 15 इंच सालाना वर्षा होती है। जो सैंकड़ों मील पानी ले जाने का प्रयोग आप कर रहे हैं उसमें यहां तो 40—50 मील की नहर ले जानी पड़ेगी और फायदा भी जल्दी से जल्दी मिलेगा। यह योजना लाभदायक होगी।

अब एक बात शिक्षा के क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा। जो पिछड़ा हुआ भाग बीकानेर डिवीजन का है वहां विश्वविद्यालय नहीं है। विश्वविद्यालय तो बहुत दूर की बात है, हमारे सारे डिवीजन के अन्दर सरकार की ओर से बी. काम. के बाद कोमर्स की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि अच्छे 2 कालेज हैं लड़के भी उपलब्ध हैं, कामर्स में आनर्स की पढ़ाई होती है, परन्तु बराबर मांग होने के बावजूद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि बजट में यह एक बहुत बड़ी कमी रह गई है। इस प्रकार शिक्षा की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए कोई न कोई प्रावधान किया जाना जरूरी है।

हमारे वर्तमान बजट में जो लोन एण्ड एडवांसेज थे उनमें करीब छः करोड़ की कमी की गई है। उसे कम करके उसके बजाय दूसरे कल्याणकारी कार्यों में पैसा लगाया गया है। एक तरह से यह स्वागत योग्य है। लेकिन एक जगह पर जो लोन एण्ड-एडवांसेज होते थे और उससे जो लाभ मिलता था वह बन्द होकर के दूसरी जगह लाभ मिलेगा। यह तो एक तरह से जमा खर्च की बात हुई। यह कोई नई बात नहीं कही जा सकती। तो इस प्रकार के एडजस्टमेंट से कोई बजट में बहुत बड़ी बचत हो गई हो, कोई लाभ हो गया हो, यह मैं नहीं मानता।

(श्री मोहरसिंह)

एक छोटा सा सवाल है बर्मा से निकाले गए भारतीय नागरिकों का। उनमें हमारे राजस्थान के लोग भी हैं जो राजस्थान में आ गए हैं लेकिन उनको बसाने के लिए पूरा ध्यान नहीं दिया गया है। उनको थोड़ी सी जमीन चाहिए। उनका छोटा सा मसला है। वे धन्धा करके खा सकते है। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। धनराशि भारत सरकार से मिलती है, राजस्थान सरकार को विशेष खर्चा करना नहीं पड़ता। थोड़ीसी जमीन आवंटित कर दी जाती है तो वे लोग किसी काम में लग सकते हैं। आज वे बिना जमीन और मकानों के दर दर मारे फिर रहे हैं। इस प्रकार कुछ बातें मैंने रखी हैं और बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं इसमें कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर जैसा कि मैंने निवेदन किया है और जिस प्रकार की जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि इस में धर्म निरपेक्षता और समाजवाद की रट लगाई गई है, यही रट पहले वाले बजट में भी लगाई गई थी। हमारा एक घोषणा-पत्र है, एक कार्य-क्रम है। उसको बार बार बताने में कोई बुरी बात नहीं है। यह तो करना पड़ेगा। कितने कदम बढाये हैं यह भी बताना चाहिए और जो कदम नहीं बढ पाये हैं उनके कारणों को भी बताना चाहिए। अनाज पर टैक्स बढा दिया है परन्तु मोटे अनाज पर राहत मिल गई है। यह स्वागत योग्य है। जो गरीब आदमी है, 73 पैसा कमाने वाला है, वह गेहूं नहीं खायेगा, चावल नहीं खायेगा। आज हमारे राजस्थान में कितने लोग चावल खाते हैं यह हम सब जानते हैं। यह कोई बुरी बात नहीं है। जौ और मोठ पर राहत दी है। मोटे अनाज पर राहत दी है यह बुरी बात नहीं है। एक परसेन्ट रखा है, इसको भी नहीं रखते तो अच्छा रहता। सोने, चांदी और जेवरों पर टैक्स लगाया है। मिठाई और नमकीन पर भी टैक्स लगाया, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मिठाई खाने वालों को कोई तकलीफ हो सकती है। यह हो सकता है कि उनकी मोटाई कुछ कम हो जाय तो इसमें तकलीफ क्यों? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहने वालों को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इन लोगों ने गांवों के किसानों के बीच में जाकर काम नहीं किया है। आपको अन्दाजा होगा, खयाल होगा, कि रामबाग पैलेस होटल में, एल. एम. बी. में, कौन लोग आते हैं? क्या आप यह भूल गये हैं? मेरा खयाल है कि इस शानदार होटल में जो आदमी जाता है वह कोई गरीब नहीं होता है। इस तरह से गरीबों की जो हिमयात करते हैं उनकी बातें सेल्फ कन्ट्राडिक्ट्री (परस्पर विरोधी) होती हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं कि इस प्रकार के सुझाव हमारे विरोधी दल के सदस्य देते हैं। मेरा विचार है कि उनके इस प्रकार के सुझावों से समाजवाद जल्दी आयेगा। क्या कभी 73 पैसा कमाने वाला यह कल्पना भी कर सकता है कि वह एक अच्छी होटल में जा सकेगा? कौन उसको उस होटल में घुसने देगा? क्या उस मजदूर को जनसंघ की इस शानदार होटल में घुसने की आप इजाजत देंगे? आपके गुरुजी कहते हैं कि जौहर और शाके में मरने वाले चित्तौड़ के लोग मूर्ख थे और उसी जगह के महाराणा को आप बहका सकते हैं परन्तु भगवत सिंह जी को यह

(श्री मोहरसिंह)

मालूम नहीं है कि गुरुजी ये कहते हैं कि चित्तौड़ के लोग जो शाका करते थे वे मूर्ख थे । और फिर आप हमें राजस्थान की परम्परा की याद दिलाते हैं। परम्पराएं तो आप याद रखिये। यह कोई परम्परा नहीं है। इनको याद रखने और कायम रखने के लिए एक एक कदम पर बल देना होगा । हमारी परम्पराएं राजस्थान की नहीं हैं कि हम एल. एम. वी. में बैठ कर खाना खायें । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार की कई बातें केवल आलोचना करने के लिये कही जा सकती हैं। (समय समप्ति सूचक घंटी) इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुरुदयालसिंह ।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बजट के सम्बन्ध यह अर्ज करना चाहता हूँ इस बजट का सारा ही बोझ किसानों पर पड़ा है । माननीय सदस्य ने अभी यहां पर कहा है कि अधिकतर लोग गेहूँ नहीं खाते हैं । तो इस देश में क्या मैं यह मान कर चलूं कि ऐसा समाजवाद आयेगा जिसमें लोग गेहूँ और दालें नहीं खायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट में चार करोड़ रुपयों के नये टैक्सों की तजवीज की गई है लेकिन मैं यह मानकर चलता हूँ कि किसानों पर पर करीब 6 करोड़ के नये टैक्सेज की तजवीज की गई है इस समय हम 88 हजार (लाख) टन अनाज पैदा करते हैं जिसमें से 43 हजार (लाख) टन यह मान लें कि गेहूं और जो चना है। तो इस पर करीब एक करोड़ और 45 लाख रुपया और सेल्सटैक्स बढ़ जायेगा। 80 लाख रुपये के हमारे ऊपर इरीगेशन के चार्जेज लगने वाले हैं। इसके अलावा हम 3.55 हजार टन खाद इस्तेमाल करते हैं राजस्थान में, जिस पर 5 परसेन्ट के हिसाब से टैक्स तजवीज किया गया है। इस पर भी एक करोड़ 43 लाख रुपया टैक्स का होगा। इस तरह से, उपाध्यक्ष महोदय, 5 करोड़ 52 लाख रुपये का हमारे यहां पर टैक्स तजवीज होने वाला है। इसके अलावा यह मान कर चलता हूं कि ट्रैक्टर पर भारत के किसी भी प्रदेश में 120।– रुपये का टैक्स नहीं है। 20 रुपया ट्रैक्टर और 100 रुपया ट्रैलर पर टैक्स लगाया गया गया है। ट्रैक्टर के पार्टस पर 5 परसेन्ट और टैक्स बढ़ा दिया गया है। इस तरह से किसानों पर, राजस्थान के किसानों पर करीब 6 करोड़ रुपयों के और टैक्स लगने वाले हैं। अगर इसी तरह से ऐसे टैक्स लग गये तो मैं यह मानकर चलूंगा कि यह सारा ही बोझा किसानों पर पड़ने वाला है और किसानों पर ही पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में इरींगेशन के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमारे खास पड़ोसी हरियाणा और पंजाब हैं। हरियाणा और पंजाब के अन्दर इस वक्त एक हजार एकड पर 3.5 क्यूसिक पानी मिल रहा है और यहां पर गंग केनाल और भाखरा में 2.4, 2.56 क्यूसिक पानी मिल रहा है। इसके अलावा वहां पर वाटर केपेसिटी 90 परसेन्ट है और यहां पर राजस्थान में 60 परसेन्ट। वहां पर रैन-फाल भी ज्यादा है वहां सेन्ड स्टोम्स नहीं

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)

आते हैं और यहां पर यह होता है। इस तरह से वहां पर यील्ड ज्यादा होती है और यहां पर कम। खर्चा भी पंजाब से ज्यादा होता है। इसके अलावा हमारे यहां पर कोई ट्रान्सपोर्ट का जरिया नहीं है। हम देखते हैं कि इस क्षेत्र में सडकें नहीं हैं और उसके अलावा मंडिया दूर दूर हैं। हमारे यहां का किसान उसी गांव में अपना अनाज नहीं बेच सकता है। पंजाब के अन्दर मंडियां हर गांव के अन्दर तजवीज की गई हैं जबकि हमारे यहां पर मंडियां हर गांव के अन्दर नहीं हैं। पंजाब में उनको अनाज के लिये कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है। उनको आक्ट्रॉय नहीं देनी पड़ती है जबकि हमारे किसानों को आक्ट्रॉय देनी पड़ती है। इतना खर्चा करने के बाद, इतना कम पानी मिलने के बाद. हमारे से एक वाटर रेट लिया जाता है जिसे आबियाना कहते हैं। आबियाना का मुलाहिजा कीजिये। 12 आना आबियाना तजवीज की गई हैं गेहूं पर उसके मुकाबले में भाखरा कैनाल में 5.85 नये पैसे, वेस्टर्न जमना पर 3.75, ईस्टर्न जमना पर 2.75 और......पर 5.58 पैसे। 11.50 पैसे, वेस्टर्न जमना पर 13.50 और ईस्टर्न जमना पर 16.62 पैसे। कपास का जहां 15 रु. 20 पै. हैं वहां सरहिन्द कैनाल में 6 75 रु., वेस्टर्न जमुना पर 5.25 और अपर बारी दो आब पर 6.80। चावल का वहां 18 रु. है जब कि उन कैनालस पर 9.75, 7.00 और 9.83 है। ज्वार पर 7 रु. है और ज्वार पर सरहिन्द और भाखरा में 3.75 और दूसरी कैनाल्स पर 3 और 3.75 है। गोचनी के लिये जहां 12 दर्ज किये गये हैं वहां सर हिन्द पर 5 85 वेस्टर्न जमुना पर 3.75 ईस्टर्न जमुना पर 2.75 और अपर बारी दो आब पर 5.85 हैं। चने का जहां 12 है वहां पर सरहिन्द कैनाल में 4. 7 है, वेस्टर्न जमुना 3.74 और ईस्टर्न जमुना में 2.75 है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि इतना बड़ा अन्तर क्यों है। मैं यह मानकर चलता हूं कि यह कहते हैं कि हम नहरें बड़ी दूर से लाये हैं और नहरों पर खर्चा ज्यादा किया है। मैं गंग कैनाल की मिसाल देता हूं कि गंग केनाल पर सवा तीन करोड़ का खर्चा हुआ था और उससे 12 करोड़ रु. 4 तक वसूल हो चुका था इसके अलावा जहां पर नहरें निकलती हैं जहां पर मंडियां बनती हैं और मंडियों से जमीन की कीमत बढता है और वहां और कुछ साधन जुटाये जाते हैं उनसे और टैक्सेज और मालगुजारो प्राती है। इसी तरह से राजस्थान कैनाल पर और भाखरा पर मंडियां बनेगीं और वहां से आमदनी होगी, और वह इतनी ज्यादा होगी कि नहर बनाने के खर्चे से बहुत ज्यादा बढ जायगी। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि नहर दूर से लाई गई है तो हमारे पास ही सर-हिन्द कैनाल रोपड़ से चलती हुई गंग नहर के साथ चल रही है और उस पर वही वाटर रेट्स हैं जो कि यहां पर अभी बताये गये हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि हम बढ़े हुए टैक्सेज को सहन नहीं कर सकते हैं। आज मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि कुछ कह सकूं, लेकिन 54 में इन्हीं वाटर रेट्स पर झगड़ा किया था और सरकार को मजबूर

(श्री गुरुदयालसिंह सन्धु)

होकर वाटर रेट्स छोड़ना पड़ा था और फिर 69 में वाटर रेट्स के बारे में, 24 मार्च को इसी सदन के अन्दर पहले के मुख्य मन्त्रीजी साहब ने एलान किया था और दरों में कुछ रियायत की थी। रोज रोज दरें बढाना वहां का किसान सहन नहीं करेगा। हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि हम इसको किसी भी हालत में बरदास्त करने को तैयार नहीं हैं। वह इतने बड़े बड़े टैक्स जो किसानों पर लगाये जा रहे हैं और एजीटेशन के बाद में जिन पर रियायत दी गई है उस रियायत को आप समाप्त न करें। और उस रियायत को उसी तरह से रहने दें। ट्रेक्टर्स पर टैक्स न लगावें, वाटर रेट्स न बढ़ावें, और हम जिस क्षेत्र से आये हैं उस क्षेत्र में जो बड़ी धांधलीबाजी चल रही है उस धांधलीबाजी को रोकें। वहां पर एक आदमी है। कुलदीप सिंह नाम का एक ठेकेदार है उसके खिलाफ यह शिकायत है कि 40 लाख रुपयों का पिछले दिनों उसने पेमेंट लिया है और बड़े बड़े पेमेन्ट लिये हैं। वह एलानिया कहता है कि गंगानगर में वे ही लोग रहेंगे जो कि उसके पेमेन्ट का विरोध नहीं करेंगे। एक ए. सी. ने अभी उसका 7 लाख का पेमेन्ट रोकने का प्रयत्न किया तो उसने उससे कह दिया कि 24 घन्टों के अन्दर उसका तबादला करा दूंगा और 24 घन्टों के अन्दर उसका तबादला हो गया।

मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह का शासन चल रहा है। अगर सरकार यह कहती है कि इरींगेशन से कोई लाभ नहीं होगा तो मैं सरकार से दरयाफ्त करूंगा कि वहां पर जो दूसरी धांधलियां चल रही हैं उनको क्यों नहीं मिटाते हैं? वहां पर बड़े दरख्तों को बेच दिया जाता है अगर उन सारे दरख्तों को सरकार की ओर से ढंग से बेचा जाय तो सारे मैन्टीनेन्स के चार्जेज पूरे हो सकते हैं। लेकिन लाखों रुपयों के दरख्त इधर-उधर कर दिये जाते हैं और उनकी जगह पर छोटे-छोटे दरख्तों पर नहरी नम्बर लगाकर दरख्तों की संख्या पूरी कर ली जाती है। जो छोटे लोग नौकरियों पर लगे हुए हैं वे बड़े कर्मचारियों के घरों पर बर्तन साफ करते हैं और उनके नाम पर पेमेण्ट वसूल हो रहा है।

अभी अभी मैंने जिस ठेकेदार की बात कही उस ठेकेदार ने एक डिफेन्स रोड बनाई जो गंगानगर से बीकानैर आती है। उस डिफेन्स रोड में 1 से 10 मील पर उसने भट्टा लगाया जिसका 30 हजार पानी का बकाया है, इरींगेशन डिपार्टमेंट का काफी लोगों पर बकाया है लेकिन कोई टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा है। वे सारे टैक्सेज वसूल किये जांय। पानी जो लगता है वह लाखों का लगता है। इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि भट्टों पर जो पानी लगता है उसका टैक्स वसूल नहीं हो रहा है अगर वे सारे टैक्स अच्छी तरह से वसूल कर लिये जायं और मामले को पूरी तरह से कन्ट्रोल में कर लिया जाय तो मैं यह मानकर चलता हूं कि नहरों में कोई कमी नहीं होने वाली है और टैक्स सारे पूरे हो जायेंगे। मैं सरकार से अर्ज करूंगा कि सरकार इन टैक्सेज को वापस ले लें। गंगानगर के किसान किसी तरह भी इनको सहन नहीं कर सकेंगे। अगर सरकार ने टैक्सेज वापस नहीं लिए तो मैं आज कहने कि स्थिति में नहीं हूं लेकिन मुझे डर है कि 69 वाली स्थिति पैदा हो सकती है। तो सरकार को मैं

Page No 88

(श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु)

धमकी के रूप में नहीं रिक्वेस्ट के रूप में कहना चाहता हूं कि सरकार को चाहिए कि वह टैक्सेज को वापस ले लें और जिस तरह हो सके उस इलाके में दूसरे डेवलेपमेंट के कार्य भी करें। वहां पर सड़कें बनाने चाहिए, कुछ स्कूल्स बनने चाहिए और दूसरे कुछ साधन जुटाने चाहिएं ताकि वह क्षेत्र प्रगति की ओर जा सके। कारखाने नहीं लगाये हैं और कोई डेवलेपमेंट का कार्य नहीं हुआ है और सारे टैक्सेज गंगानगर पर पड़ते हैं।

मैं यह भी अर्ज करूंगा कि राजस्थान कैनाल की अभी बात हुई थी तो मेरे साथी उधर बैठने वाले ने कह दिया कि लिफ्ट सिस्टम सस्ता रहता है। शायद उनको जानकारी नहीं है या शायद उन्हें किसी केन्द्र के मंत्री ने बताया होगा, वह टेक्निकल आदमी नहीं होंगे उस क्षेत्र के लिए यह भी कहा जाता है कि वहां के किसान चतुर हैं और इस कारण वहां पर पानी नहीं लग रहा है। तो मैं अर्ज करूंगा कि वहां पर पानी लग रहा है लेकिन उधर बैठने वाले जो लोग हैं उनके एजेन्टों के लिए लग रहा है। जितनी भी जमीनों का एलाटमेंट हुआ है राजस्थान कैनाल में तो यह कह दें तो मैं लम्बी चौड़ी लिस्ट दे सकता हूं कि किन किन उधर बैठने वालों के एजेन्टों की जमीनें हैं। मैं चाहता हूं कि राजस्थान कैनाल में एलाटमेंट अच्छे तरीके से कर दिया जाय। भूमिहीनों को जमीनें मिल जायं, हरिजनों को जमीनें दे दी जायं, तो मैं यह मानकर चलूंगा कि कुछ हद तक वहां की समस्याएं हल होंगी और समाजवाद की तरफ कदम होगा। लेकिन ऐसी बात वे मानने वाले नहीं ऐसा मैं मानकर चलता हूं। हरिजनों के नाम से बहुत सी जमीनें एलाट करा रखी हैं और उन लोगों ने एलाट करा रखी हैं जो इन रियेलिटी में वहां के नहीं हैं।

मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्योंकि टाइम थोड़ा है यह अर्ज करूंगा कि सरकार को वे टैक्सेज वापस ले लेने चाहिए। हम किसी भी हालत में इर्रीगेशन के बढ़े हुए रेट्स देने को तैयार नहीं हैं और न दे सकेंगे। ये रिवाइज्ड टैक्सेज हर साल आते हैं। हम पंजाब से पहले ही बहुत ज्यादा रेट्स दे रहे हैं और हम अब और ज्यादा दे सकने के काबिल नहीं हैं। आपको चाहिये कि आप मोतीराम कमीशन की रिपोर्ट को लागू करें जमीनों को पूरा पानी दिया जाय और भूमिहीनों को जमीन दी जाय। यह तो कोई उसूल हुआ। आप तो वहां पर इस प्रकार के नौरम भेजते हैं कि गंगानगर के लोग सुखी हो रहे हैं इसलिए वहां से धन इकट्ठा करके लाकर दो। आप वहां पर ऐसे ही कर्मचारी भेजते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको इस तरह से सोचना चाहिए। गंगानगर के किसान की जांच करा लें, उसका सर्वे करा लें कि हमारे जिम्मे सारे राजस्थान से ज्यादा खर्चा है। जब हम टैक्स देने को तैयार हैं तो रोज की बढ़ौतरी को सहन करने को तैयार नहीं हैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जेठमल।

श्री जेठमल आर्य (रैवदर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्तमन्त्री महोदय ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें यह प्रावधान है

(श्री जेठमल आर्य)

कि 1 हजार प्राथमिक स्कूल खोलना। हजार उच्च स्कूलों में क्रमोन्नत करना, साथ ही हायर सेकेण्डरी और कालेजों के लिए भी प्रावधान रखना चाहिए। मैं सिरोही जिले के आबू और रेवदर तहसील की बात कहता हूं। यह तहसील बहुत ही पिछड़ी हुई है। शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत ही कमी है। माननीय भूतपूर्व मुख्यमन्त्री ने वहां की जनता को आश्वासन दिया था कि वहां पर कालेज बनेगा तो सरकार भी सहयोग देगी। वहां की जनता ने 50-60 हजार रुपया इकट्ठा किया है। वहां पर भवन बनाना प्रारम्भ किया है। किन्तु धन की कमी के कारण वह भवन अधूरा रह गया है। इसलिए वहां के विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है। आबू रोड एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर कालेज होना बहुत आवश्यक है। परन्तु धन की कमी से वह नहीं हो पाता है। इसलिए निवेदन करूंगा कि आबू रोड में कालेज का भवन अधूरा पड़ा हुआ है। सरकार उसको पूरा कराये जिससे कि वहां के विद्यार्थी पढ़ सकें।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि सिरोही जिले की सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों से किसानों को ऋण नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण यह है कि वहां पर सहकारी विभाग के जो अधिकारी लगे हुये हैं, वे वहां गन्दी राजनीति में पड़े हुये हैं। वे लोग काश्तकारों की सुविधा का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण दो वर्ष से काश्तकारों को कर्जा नहीं दिया जा रहा है। उनके खेत खराब हो रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि उनके लिए कोई योजना बनाकर उनको कर्जा प्रदान कराया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हमारे उस क्षेत्र में आज 16 वर्ष के पश्चात् भी दो प्रकार के कानून चल रहे हैं। आज से 16 वर्ष पहले आबू क्षेत्र गुजरात राज्य में था। बाम्बे गुजरात में था। आज भी वहां पर बाम्बे प्रोहीबीशन एक्ट और बाम्बे पुलिस एक्ट लागू है जो कि उस समय में लागू हुआ था वह आज भी लागू है। इसके अलावा राजस्थान पुलिस एक्ट भी वहां पर लागू है। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि बाम्बे प्रोहीबिशन एक्ट और बाम्बे पुलिस एक्ट जो वहां पर लागू हैं, अभी तक वहां पर चल रहे हैं, उनको हटाया जाये। राजस्थान का कानून ही राजस्थान में हो। चूंकि हम राजस्थान में हैं, इसलिये राजस्थान का कानून ही रहने दिया जाये। सिरोही जिले में रेवदर तहसील में, कई सालों से लोन देने की कोई योजना नहीं बनी है। इसलिए आबू रोड और रेवदर तहसील में सभी जगहों पर हाउसिंग लोन की व्यवस्था कराई जाये ताकि इस व्यवस्था से पिछड़े इलाके के लोग भी लाभ उठा सकें।

(विराम)

अब मैं आपसे कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। सिरोही जिले के बारे में कुछ ऐसा माना गया है कि जिस अधिकारी की ज्यादा शिकायतें हों तो उसको सिरोही

(श्री जेठमल आर्य)
जिले में भेज दिया जाता है। इसलिए इस जिले की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये मेरा निवेदन है कि जो योग्य अधिकारी हों, उनको ही इस जिले में भेजा जाये। इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करनसिंह।

श्री करनसिंह (डीग) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति को देखते हुए बजट रखा है, वह समाजवाद की नीतियों को निभाता हुआ है, उसका मैं स्वागत करता हूं। परन्तु मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि बहस के दौरान बजट के बारे में काफी सदस्यों ने काफी बातें कही हैं। चुनाव के सम्बन्ध में भी बातें आई हैं। यह कांग्रेस की जो विजय हुई है, वह समाजवाद की नीतियों की विजय है। आज जो कहीं कहीं तारे चमके हैं या दिये जले हैं, यह भी अगर कांग्रेस में आपस में ही तोड़ फोड़ न होती, वह हुई है, तभी कहीं पर तारे चमके हैं और कहीं पर दिये जले हैं। इसी कारण आज विरोधी सदस्य मौजूद हैं। इनमें वो लोग बहुत कम हैं जो पहले थे। कुछ नये हैं। इन्दिराजी की जो आंधी चली उसमें यह हुआ है।

एक माननीय सदस्य : बुझे हुए दीपक रह गये हैं।

श्री करनसिंह : जो रह गये हैं, वह भी हो जायेंगे।

यह जो बिजली का प्रावधान रखा है, वह भी सराहनीय है। इसको और भी बढ़ाया जाये। इस बारे में मेरा निवेदन है कि कनेक्शन लेने में काश्तकारों को बहुत ही दिक्कत होती है। काश्तकार पटवार हाउसों के चक्कर लगाते रहते हैं। मिसालें मौजूद हैं। दो-दो साल से कनेक्शन नहीं मिले हैं। मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि काश्तकारों के साथ में अच्छा व्यवहार किया जाये। राजस्थान के 16 जिले औद्योगीकरण में पिछड़े हुये बताये गये हैं। मैं यह कहूंगा कि सारा राजस्थान ही दूसरे प्रदेशों से पिछड़ा हुआ है। इसका कारण यह है कि जो उद्योग चल रहे हैं, उनका प्रयास ठीक ढंग से नहीं होता है। आज उद्योगों की हालत यह है कि जो उद्योग कागज पर होते हैं, उनको रॉ मैटीरियल मिलता रहता है। जो कि वास्तव में है ही नहीं। केवल कागजों पर हैं। इसके अतिरिक्त जो उद्योग वास्तव में चल रहे हैं, उनको रॉ मैटीरियल नहीं दिया जाता है। मिलता उन को है, जो असल में हैं ही नहीं। ऐसे उद्योगों को ब्लैक लिस्ट में किया जाये। अगर ऐसा किया जायेगा तो औद्योगीकरण स्वयं ही पनपेगा।

शिक्षा के सम्बन्ध में जो कदम उठाया गया है, वह सराहनीय है। एक हजार प्राथमिक स्कूल और एक हजार मिडिल स्कूल बनेंगे। लेकिन साथ में इतना जरूर निवेदन करूंगा, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा, कुछ हायर सैकण्डरी स्कूल और कालेजेज की भी व्यवस्था होनी चाहिए। डीग कस्बा, जो भरतपुर जिले में है, बहुत बड़ा कस्बा है। सुनने में आया है कि वहां के कालेज का गजट नोटिफिकेशन भी हुआ और वहां की जनता ने एक लाख रुपये का धन भी इकट्ठा किया, लेकिन

(श्री करनसिंह)

उसके बारे में आज तक कोई सूचना राज्य सरकार से नहीं मिली, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस तरफ वह ध्यान दें तो बहुत उचित होगा ।

ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल का जहां तक सवाल है, आज भी देखने में आता है कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां हरिजनों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं है । मैं अपने क्षेत्र में घूमा तो वहां यह समस्या बहुत देखने को मिली । वहां हरिजनों के लिए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है । अगर है भी तो वहां पर यह समस्या है कि खोदे कोई और पीवे कोई और । वहां पर जाट बन्धु हरिजनों को पानी भरने से रोकते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है ।

ग्रामीण क्षेत्र में क्रेश प्रोग्राम चालू करने हैं, यह बेरोजगारी को मिटाने के लिए ठीक हैं और आवश्यक भी हैं। लेकिन इनके चलाने की प्रथा है उसमें यह गलती है कि पैसा इसका पंचायत समिति को दिया जाता है और काम सम्बन्धित विभाग से कराया जाता है और इस प्रकार दो पाटों के बीच में मुर्गी हलाल होती रहती है और कार्य पूरे नहीं होते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पूरा धन सम्बन्धित विभाग को दिया जाय ताकि वह सम्बन्धित काम को सुचारु रूप से चला सके।

सैल्स टैक्स के सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो टैक्स आपने लगाया है वह उचित है । उसमें विशेष ज्यादती नहीं है लेकिन सेल्स टैक्स वसूल करने की प्रणाली है उसमें बहुत ढील है। आज भी लाखों रुपया राजस्थान सरकार का लोगों में सेल्स टैक्स के रूप में बकाया है, उसको वसूल करने के लिए सही तरीके इस्तेमाल किये जायं तो राजस्थान की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो सकती है । खास तौर से मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सेल्स टैक्स पत्थर पर फर्स्ट पाइन्ट पर लगाया गया है, इसका मतलब है कि एक रुपया क्यूबिक फीट होता है उसका सात पर्सेन्ट सेल्स टैक्स । यह सेल्स टैक्स भी ठेकेदार वर्षों तक जमा नहीं कराते हैं। आज तक मैं दावे के साथ कहता हूं, लाखों रुपया ठेकेदारों में बकाया है। इस टैक्स को लास्ट पाइन्ट पर रखा जाय तो कीमत चार पांच क्यूबिक फीट हो जाती है, इससे अधिक टैक्स होगा। यह सोचने की बात है ।

ट्रेक्टर पर टैक्स लगाया जाय, इसको मैं उचित नहीं समझता हूं । इसका कारण यह है कि बहुत से ट्रेक्टर ऐसे होते हैं, जो किसान के फील्ड पर जाने के बाद में रोड के दर्शन नहीं करते हैं और जब ठीक होने के लिए आते हैं तभी रोड के दर्शन करते हैं । ऐसी स्थिति में जो रोड टैक्स की व्यवस्था की गई है वह उचित नहीं है और छूट के काबिल है । इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस बारे में पुनः विचार करेंगे ।

निजी कार पर पच्चीस से तीस रुपया साल का किया गया है···

श्री चन्दन मल बैद : पैंतीस रुपया ।

श्री करनसिंह : पच्चीस से पैंतीस किया गया है यह उचित है। इसके अन्दर पांच और बढ़ा दिये जायं तो भी मुझे आपत्ति

(श्री करनसिंह)

नहीं है। आपत्ति यह है कि इसके साथ ही साथ राजस्थान की सड़कों का भी ध्यान रखा जाय, और जो कार टैक्स देती हैं उनके लिए सड़कों की व्यवस्था अच्छी हो। इसके ऊपर आप विचार करें।

सिंचाई के ऊपर जो रेट लगाई है वह किसानों के ऊपर बोझ है-इसमें दो राय नहीं है। खास तौर से उन किसानों के ऊपर जहां खुदा का दिया हुआ पानी आता है। भरतपुर जिले में बांध और नदियों के माध्यम से पानी आता है, उन पर सरकार का कोई खर्च नहीं होता है। बांधों के अन्दर फ्लड आने से खेतों में पानी भर जाता है इस कारण-उनके अन्दर बुवाई नहीं होती है। इस पर भी सिंचाई टैक्स लगाते हैं तो यह कहां का न्याय है ? इस बारे में निवेदन करूंगा कि आप इसकी जांच करें और उचित व्यवस्था करें !

इसके सम्बन्ध में दूसरा निवेदन यह है कि भरतपुर जिले में गेहूं के ऊपर 1.20 पैसे दर लगाई है और यदि गुड़चनी कर दें तो 3.20 पैसे हैं, राई का पुट दिया तो 3.20 पैसे। मैं निवेदन करूंगा, ऐसी स्थिति में वहां आबयाना खुदा के पानी के आने से होती है। इसमें छूट होनी चाहिए। जहां नहर द्वारा सिंचाई होती है वहां पर यह होनी चाहिए। इस मामले में मैं निवेदन करूंगा कि विचार करें।

विरोधी दल के बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बारे में सुझाव दिया, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि "जय जवान और जय किसान" का नारा लगाते हैं, लेकिन जो यह नहीं जानते कि जवान कौन है और किसान कौन है वह क्या समझें कि किसान के क्या दुःख हैं और मजदूर के क्या दुःख हैं ? यह मेरा आप लोगों से निवेदन है।

मैं दो सुझाव और रखना चाहूंगा। एक तो है कि सिनेमा पर मनोरंजन टैक्स के अन्दर आपने वृद्धि नहीं की है, यह बहुत उचित है। दूसरी बात है, हथियारों के ऊपर बहुत मामूली सा टैक्स है, या फीस कहिये बहुत कम है। बारह बोर गन पर 28 रुपये हैं, रिवाल्वर पर पांच रुपये हैं, मजल लोडिंग गन पर चार आने साल का है। जो आदमी रिवाल्वर, गन, रखने की हिम्मत रखता है वह टैक्स भी दे सकता है, इसलिए इनका टैक्स दुगुना-तिगुना कर दिया जाय तो भी आपत्ति नहीं है। यह मेरा इस बारे में निवेदन है।

इसके साथ साथ जो बजट में और बहुत सी बातें कही गई हैं, माननीय सदस्यों ने उन पर काफी प्रकाश डाल दिया है। मैं अन्त में सिर्फ यह कहूंगा कि मैंने जो सुझाव रखे हैं उन पर ध्यान दिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द सामरिया !

(अनुपस्थित)

श्री मीठा लाल !

(अनुपस्थित)

श्री नन्द लाल बैरवा !

(अनुपस्थित)

श्री भानुकुमार शास्त्री !

श्री भानुकुमार शास्त्री : मैं कल बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Should I adjourn the House (विराम) कोई माननीय सदस्य जो बोलना चाहें।

श्री रावत राम (छापर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी की बजट स्पीच को अभी पढ़ ही रहा था....

श्री चन्दन मल बैद : सुनी नहीं आपने।

श्री रावत राम : बोलना तो अभी नहीं था लेकिन फिर भी चूंकि समय है इसलिए समय का सदुपयोग होना चाहिए। इसलिए दो चार सुझाव मैं मेरी तरफ से देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय; वित्त मंत्री जी ने आम चुनाव के बाद यह जो बजट पेश किया है इसको पढ़ने से यह मालूम होता है कि वित्त मंत्रीजी ने समाजवाद की तरफ बढ़ने के लिए कोशिश की है, कुछ कदम उठाये हैं, मैं इस बात को मानता हूं, परन्तु इसके साथ ही पथ बन्द ही रहता है क्योंकि समय बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। लोगों की इच्छायें बड़ी तीव्र हैं और वह इसलिए तीव्र हैं कि जनता कई मायनों में दुखी है। जनता यह चाहती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे। कांग्रेस पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई–इससे हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह जीत इसलिए हुई कि जनता ने बड़े जोर से हमारे पर विश्वास किया है, हम पर सरकार ने भरोसा किया है। उस विश्वास को, उस भरोसे को, हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए हमें बड़ी तेजी से चलना होगा।

बजट में वित्त मंत्री महोदय ने कुछ घाटा दिया। यह तो एक परम्परा है, लेकिन इसके साथ ही कुछ नये टैक्स भी इम्पोज किये हैं। जनता जब करों का नाम सुनती है तो उसे कैसा लगता है, इस पर विचार नहीं किया जाता है, बल्कि यह विचार जनता के दिमाग में आता है कि हम पर बोझ और बढ़ाया जा रहा है। मैं मानता हूं कोई डेवलपमेन्ट का काम, क्षेत्र के विकास का काम, जब तक हमारे पास साधन नहीं होंगे, हम उनको विकास के कामों को आगे नहीं बढ़ा सकते। लेकिन इसके साथ में यह भी देखना है कि जनता की धारणा क्या है ? जनता करों के बारे में बड़ी चिंतित रहती है, फिर भी मजबूरन हमारे साधन बढ़ाने के लिए, राज्य की वित्तीय स्थिति को ठीक करने के लिए हमें कर लगाने पड़ते हैं। मैं वित्त मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि हम करों पर ज्यादा जोर न देकर नान–टैक्स रैवेन्यू बढ़ाने का यदि प्रयास करें तो राजस्थान में उसकी काफी गुंजाइश है। उदाहरण के लिए रोडवेज को लिया जाए। स्टेट रोडवेज के राष्ट्रीयकृत मार्गों से आप परिचित हैं। जयपुर के नार्थ के हिस्से में किसी मार्ग का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, एक गंगानगर को छोड़कर। कई मार्ग ऐसे हैं जैसे जयपुर से बीकानेर काफी पेइंग रूट हैं। यदि उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए तो आमदनी बढ़ सकती है। लुहारू, पिलानी आदि पर राजकीय गाड़ियां कामयाब हो सकती हैं। इस तरह और कई काम हैं, सीमेंट

(श्री रावत राम)

फैक्ट्रीज हैं और दूसरे धन्धे हैं जो राज्य सरकार चाहे तो उन पर आमदनी बढ़ा सकती है और इससे यह होगा कि जनता पर जो आज करों की बात आते ही चिंतित होती है उससे बहुत हद तक बचा जा सकता है। अभी जो आपने सोना, चांदी, सलमा सितारा पर कर लगाए हैं, उनका खास तौर से गरीब आदमी पर, साधारण आदमी पर वजन नहीं पड़ता। फिर भी अनाज पर, मोठ, बाजरा ज्वार, जव, ये चीजें हैं खाने की खास तौर से, ये गरीब आदमियों की हैं, इन पर जो कर लगाया था वापस लिया, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन गेहूं और दाल पर आपको कर वापस लेना चाहिए क्योंकि अनाज पर जो कर आता है तो अनाज में सब चीजें शामिल हैं। मैं मानता हूं, गेहूं और चावल संपन्न लोग खाते हैं लेकिन फिर भी अनाज अनाज ही है। इसलिए आप थोड़े से पैसों के लिए अनाज पर कर मत लगायें।

इसके साथ ही आपने इसमें हरी क्रांति का जिक्र किया कि इससे जो बड़े काश्तकार हैं उनको काफी फायदा हुआ है। मैं मानता हूं, उनको फायदा हुआ है लेकिन फिर भी अगर आपकी सलाह है कि हरी क्रांति से देश को अनाज मिला है और देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हुआ है बड़े काश्तकार और छोटे काश्तकार सबने मिलकर ही प्रयत्न किया, उससे देश का लाभ हुआ है। इसलिए ट्रैक्टर का जहां सवाल आता है, कृषि उपकरण जो भी हैं उन पर यदि आप कर न लगायें तो काश्तकार इसको पसन्द करेंगे। एक तरफ हरी क्रांति के लिए सरकार का नारा है। तो यह बहुत जरूरी है कि देश को अनाज के मामले में स्वावलम्बी बनाया जाए इसलिए यदि आप ट्रैक्टर्स पर छूट दें तो एतराज की बात नहीं।

इसके अलावा जैसे अभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, पिस्तौल इत्यादि हैं, इन पर कर लगे हुए हैं, लाइसेंस फी को बढ़ा सकते हैं और कई चीजों पर कर बढ़ा सकते हैं। मिठाई, सोना, चांदी पर आपने जो कर बढ़ाया है यह भी कोई अनउपयुक्त नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ट्रैक्टर, अनाज इन पर आप कर वापस लें।

इसके अलावा जितनी ज्यादा नान-टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा लाभ होगा और उससे कर के मामले में जो जनता का विश्वास बन जाता है सभी माननीय सदस्यों के लिए चिंता का विषय हो जाता है क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं तो उनकी यह बात सामने आती है। मैं इस बात को पहले ही कह चुका हूं कि यह जरूरी है लेकिन फिर भी हम कम से कम इस तरफ बढ़ें और दूसरी साइड में ज्यादा बढ़ें तो ज्यादा फायदेमंद होगा।

बजट में वित्त मंत्री महोदय ने पीने के पानी के लिए अच्छी व्यवस्था की है। यह बड़े हर्ष की बात है। राजस्थान में पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 10 साल से हम बराबर सदन में यह बात कहते आए हैं कि सबसे पहले गांव में रहने वाले लोगों को मीठा पानी मिलना चाहिए तभी वे अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। आज भी ऐसे इलाके हैं। उदाहरण के

(श्री रावत राम)

लिए बीकानेर जिला है, चूरू है, नागौर है। इन जिलों में ऐसे गांव है जहां पीने का पानी नहीं मिलता। यही नहीं बल्कि पानी खारा होता है और इतना जहरीला होता है कि किसान वहां आबाद नहीं हो सकता। हर साल किसानों के दुधारू पशु पानी की वजह से मर जाते हैं और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान होता है। मैं जरूरी समझता हूं कि जब हम समाजवाद की बात करते हैं कि समाजवाद का इन्तजार है वह आना चाहिए तब आगे वह सरकार की मर्जी पर है लेकिन मैं सबसे पहले इस बात पर जोर देता हूँ कि आज अपने गांवों में सड़क मत बनाइए। यदि और कुछ नहीं करना चाहें तो मत कीजिए। लेकिन मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले गांव के लोगों को पीने का पानी आपको देना होगा। आप महसूस कीजिए, ऐसे गांव हैं जहां 400–400 फीट पानी नीचे मिलता है और वह भी पर्याप्त नहीं है। किसानों का कितना धन खर्च होता है, कितनी उनकी मेहनत होती है, कितना समय नष्ट होता है. काश्त के अलावा सारा समय उनका कुओं पर खर्च होता है। उनकी सारी कमाई कुओं से पानी निकालने में खर्च होती है और पूरा समय कहीं बाहर नहीं जा सकते, इधर उधर नहीं जा सकते। पानी का इतना संकट रहता है कि रात दिन उनके दिमाग में पीने का पानी लगा रहता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूं कि पानी गांवों तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले यदि सारे ही काम गांव में बन्द कर दें तो भी मैं समझता हूं कि गांव वाले बर्दाश्त करेंगे लेकिन अब समय आ गया है कि आप यह महसूस कीजिये कि सबसे पहले जिन गांवों में पीने का पानी नहीं है वहां पर मीठा पानी पहुँचाने की व्यवस्था करनी चाहिये। किसानों की हालत पानी के बिना बड़ी खराब है। उनका जीवन बचेगा और कमाई का जो सबसे बड़ा उनका धन है–पशुधन–वह भी बचेगा। किसान को यदि पीने को मीठा पानी मिल गया तो वह संतोष प्रकट करेगा और गांवों में आबाद हो सकेगा। आये साल हम देखते हैं कि कुओं में पानी सूख जाता है तो लोग अपने पशुओं को लेकर चम्बल की साइड में चले जाते हैं और वापिस घर पहुँचते हैं तो उनके एक चौथाई भी पशु नहीं रह जाते हैं। इस प्रकार का जहां पानी का संकट है तो किसी भी लोक कल्याणकारी राज्य के लिये यह सबसे पहला काम है कि वह पानी की कमी को दूर करें।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना गहरा पानी जहां मिलता है वहां काश्तकार कुए नहीं बनाते हैं और जिन गांवों में पानी की कमी है वहां पर हरिजनों की तो बहुत ही दुर्दशा है। उनको पानी नहीं मिलता। एक कुआ होता है जो इतना गहरा होता है कि सब लोग मिलकर पानी निकालते हैं। हरिजनों की तो यहां तक स्थिति होती है कि बचा खुचा पानी, और यहां तक समझिये कि पशुओं को पानी मिलता है उससे भी बदतर पानी उनको मिलता है। यह उनकी बदतर हालत है। आप इस चीज को महसूस कीजिये कि इस सरकार को बनाने में सबसे ज्यादा यदि किसी का सहयोग है तो वह अनुसूचित जाति का ही है। अनुसूचित जाति के लोग जो शहरों

(श्री रावत राम)

में रहते हैं, जहां पर वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, वहां पर उनको पर्याप्त और स्वच्छ पानी मिलता है जब कि आप कल्पना कीजिये कि जहां पर बांट कर पानी दिया जाता है वहां क्या हालत होती होगी ? मैं आपको बीकानेर और चूरू जिलो की बात कह सकता हूं कि चार सौ गांव ऐसे हैं चूरू जिले मे कि जहां पर ऐसे कुए हैं कि उनमें पानी बहुत कम है। बजट में प्रावधान रख कर फौरन गांवों का सर्वे कराना चाहिये। जहां भी मीठा पानी मिल सकता है उन गांवों में पहुंचाने की पहल होनी चाहिये और योजना बनानी चाहिये। जहां काश्तकार को पानी मिलेगा वहां पशुधन की भी रक्षा होगी और इन गांवों के जो रहने वाले हरिजन लोग हैं उनको भी इज्जत और आबरू से पानी मिल सकेगा। इसलिये ज्यादा से ज्यादा आपको पीने के मीठे पानी की ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ ही आपने प्राइमरी एजुकेशन के लिये जो कदम उठाया है और जिसके लिये आप छः हजार अध्यापक नियुक्त करने जा रहे हैं यह भी स्वागत योग्य हैं। यह सब जानते हैं कि जब तक गांवों में प्राईमरी एजुकेशन का स्तर ठीक नहीं करेंगे तब तक गांवों में रहने वाले किसान और हरिजनों के बच्चे हैं वे लाभ नहीं उठा सकेंगे। आज जो प्राइमरी एजुकेशन की हालत है उसके कई कारण हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि जब पंचायतों को प्राइमरी एजुकेशन दिया गया उस समय हमारा विचार था, दिमाग था कि इसको पंचायतों को देते हैं तो ये अच्छे ढंग से चलेंगी और समाज को अच्छा लाभ मिल सकेगा। लेकिन काफी अर्से के बाद हमारा यह कटु अनुभव है कि आज गांवों में प्राइमरी एजुकेशन की जो हालत है उससे कोई खराब हालत नहीं हो सकती। इसलिये कि सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। स्कूल भवनों की दुर्दशा हो रही है। वहां पर जाकर देखें तो मालूम नहीं पडता कि यहां पर स्कूल चलता है। यही अध्यापकों की हालत हो रही है। आज वे केवल पंचायत के सरपंच, पंचायत समिति के प्रधान और विकास अधिकारी को खुश करने में लगे रहते हैं ताकि आराम से बैठे रहें। इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि इस बारे में सोचें कि गांवों में यदि प्राइमरी एजुकेशन को ठीक नहीं किया और उसके स्तर को ऊंचा नहीं किया तो प्राइमरी एजुकेशन से जो बच्चे आज एजुकेशन लेकर आ रहे हैं वे राष्ट्र के प्रति कितने वफादार, योग्य और काबिल होंगे इस पर आपको विचार करना चाहिये। प्राइमरी एजुकेशन के लिये अच्छे स्टैन्डर्ड के ट्रेन्ड अध्यापकों की जरूरत को समझते हुए उनको रख कर गांवों में प्राइमरी एजुकेशन के स्तर को सुधार सकें तो राष्ट्र की बडी सेवा होगी और किसान की बडी सेवा होगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस प्राइमरी एजुकेशन को या तो सरकार पंचायतों से ले या इसके अतिरिक्त रास्ता निकाले जिससे गांवों में प्राइमरी एजुकेशन का स्तर ठीक बन सके।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन कर दूं कि जहां समाजवाद

(श्री रावतराम)

की बात करते हैं, बजट में वित्त मंत्रीजी ने इस बात का जिक्र भी किया है, अनुसूचित जाति के लोग चाहे गांवों में रहते हो या शहरों में रहने वाले हों उनके लिये मकानों की बडी समस्या है और मकान बना कर देने का गवर्नमेंट वादा करती है। मैं निवेदन करूं कि सरकार ने इस बारे में क्या किया है ? किसी भी गांव में जाकर देखें तो मालूम होगा कि हरिजनों के लिये सरकार ने क्या कर्जा दिया है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत स्कीम चलती है। एक हजार रुपया एक हरिजन परिवार को देते हैं। इसमें एक रसोई भी नहीं बन सकती। कुछ रुपया दिया वह भी कुछ जगहों के लिये सीमित रह गया और गांवों को नहीं दिया। विकास योजना का लाभ बड़े शहरों के लोगों ने उठाया जयपुर और दूसरे शहरों में देख लीजिये लोगों को पचास हजार से एक लाख का कर्जा मिलता है लेकिन किसी गरीब हरिजन को दो हजार रुपया लोन देने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक हजार रुपया सबसिडी देते हैं। एक जिले में दस पांच ऐसे केसेज होंगे। गांवों में रहने वाले ऐशोआराम से रहे और मकान बनायें और जायदाद बनाये यह कहां का न्याय है ? इसको समाजवाद नहीं कह सकते। इसलिये इस पर विचार करना पड़ेगा। पिछले चुनाव हुए लोक सभा के और अभी विधान सभा के हुए। लोग जो जीत कर आये हैं उन्होंने बड़े बड़े आश्वासन दिये हैं कि कर्जा मिलेगा मकान बनाने के लिये। बारह महीने का टाइम गुजर गया कुछ नहीं किया। हमेशा के लिये उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। इसलिये इस पर आपको विचार करना चाहिये। एक लाख का जो लोन देते हैं शहरों में उसको रद्द भी कर दें तो कोई एतराज की बात नहीं होगी। गरीबों को उठाना चाहते हैं तो दो हजार रुपया, पांच हजार रुपया उन गरीब परिवारों को दीजिये जो झौंपडी में बैठे हैं। यह कर्जा उन लोगों को मिलना चाहिये और एक एक लाख रुपये का कर्जा बन्द करना चाहिये। एक हजार रुपया, जो सबसिडी मिलती थी वह बन्द कर दी जाय। हाउसिंग सोसाइटी का मेम्बर बनाने की बात कही जाती है गांव में रहने वाला कहां मेम्बर बनेगा और किस प्रकार उसको लोन मिलेगा ? इसलिये व्यवहारिक योजना बना कर, सबसिडी मत दीजिये आप उनको कर्जा दीजिये। एक लाख रुपया आप एक आदमी को देते हैं, 20 परिवार के लिये पांच 2 हजार रुपया देकर मकान बना दें। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बात को आपको नहीं भूलना चाहिये और बड़े पैमाने पर इस तरह की योजना बनानी चाहिये। हमने उनसे वादा किया है, उसको पूरा करने के लिये जो गरीब झौंपडों में रहते हैं उनको कर्जा देना चाहिये। चाहे थोडा दो। पर उसे दर गुजर नहीं करना चाहिये। इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय एक निवेदन और कर दूं ! पिछली बार इस सदन में घोषणा की गई थी। गांधी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में कि हरिजन जिन जमीनों पर बसे हुए हैं उन जमीनों के पट्टे पंचायतों की तरफ से उनको दे दिये जावेंगे। पंचायतों को आदेश दिया भी पर आजकल पंचायतों ने, थोडी

(श्री रावतराम)
सी पंचायतों को छोड़ कर, उस आदेश का पालन नहीं किया । आज भी वे सरकारी जमीनों पर बैठे हैं। उनको कोई पट्टे नहीं दिये गये ।

दूसरा आदेश और दिया कि अगर पंचायतें छः महीने के अन्दर अन्दर पट्टे न दे तो तहसीलदार दे दे। पर इस आदेश का भी पालन नहीं हुआ । तो उपाध्यक्ष महोदय, यह कितनी बड़ी समस्या है और सरकार का उसके प्रति रवैया कितना आश्चर्यजनक है कि सरकारी आदेशों का पालन तहसीलदार और पंचायतें नहीं करतीं । यह बहुत बुरी बात है। उनके साथ भी न्याय होना चाहिये और जिस जमीन पर वे बैठे हैं उनका पट्टा उनको मिलना चाहिये ।

इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में कई तरह की बातें और हैं। जैसे लोगों को अपना मकान बनाने के लिये ईंटें बनाने की इजाजत नहीं मिलती कुण्ड बनाने के लिये चूना पत्थर निकालने हैं तो उसकी इजाजत नहीं मिलती। उनको नोटिस अलग से दिये जाते हैं कि पत्थर नहीं निकाल सकते। चूना नहीं निकाल सकते । तो फिर कैसे वे अपने मकान बनावें ?

श्री **परसराम मदेरणा** : आपके यहां पत्थर के हैं कहां मकान ?

श्री रावतराम : ईंटें तो हैं। वे भी नहीं बनाने देते अपने खेतों में । कभी कोई बनाता है तो तहसीलदार के नोटिस पहुंच जाते हैं । अब सरकार कहती है इसके लिये नोटिस का सवाल नहीं ।

अंत में उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करने से पहले एक और निवेदन करना चाहता हूं कि अकाल सहायता मन्त्रीजी भी हाऊस में पधार गये इसलिये कहना चाहूंगा कि पिछले बरसों में अकाल सहायता के काम चल रहे हैं बहुत पैसा दिया यह सही है और यह जरूरी भी था । लेकिन इसका भी कटु अनुभव है हमें और उस तरह के कामों की पुनरावृत्ति न हो ऐसे उपाय किये जाने चाहिये । उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि एक सड़क आपने बनाई, दस लाख रुपया खर्च किया । पर वह सड़क आज कहीं नजर नहीं आती । आप सड़कें बनावें तो पंजाब और हरियाणा की तरह पुख्ता तौर पर बनावें उसे साथ साथ डामर भी करते जावें तो वे सड़कें बनी रह जावेंगी और वह व्यय किये गये पैसों का भी सदुपयोग होगा ।

रेगिस्तान इलाके में आये साल, दूसरे साल, अकाल पड़ता ही रहता है । इसकी रोकथाम के लिये आपको स्थायी व्यवस्था करनी चाहिये । फेमीन कोड जो आपका पुराना हो गया है उसमें भी आज के युग के अनुरूप परिवर्तन करना चाहिये । इसके अभाव में आपका लाखों करोडों का व्यय जो हर साल आप करते रहते हैं वह व्यय जाता रहेगा ।

श्री परसराम मदेरणा : आपके सुझाव इस बारे में क्या है ?

श्री रावतराम : सदन में मैंने सुझाव दिये हैं ।

Page No 99

श्री परसराम मदेरणा : एक बार और दोहरा देने की कृपा करें।

श्री रावतराम : सुझाव में पहली बात निवेदन कर दूं। आप रेगिस्तान में सब से पहले पानी जहां है वहां जांच करके ट्यूब बेल लगावें और फिर उसके पानी को हर जगह पहुंचाने के लिये पाइप का जाल बिछा दें।

श्री परसराम मदेरणा : पाइप की व्यवस्था और विभाग करता है वहां आपके मिनिस्टर हैं।

श्री रावतराम : मिनिस्टरों की सामूहिक जिम्मेदारी है।

श्री परसराम मदेरणा : इन्तजाम होगा, इसमें कोई बात नहीं। परमानेन्ट प्रबन्ध तो वे ही करेंगे।

श्री रावतराम : वे हमारे जिले के ही मिनिस्टर नहीं है, सारे राजस्थान के हैं। सारे राजस्थान का ध्यान रखेंगे। क्षेत्रीयता की बात हम नहीं करते।

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसमें शक है।

श्री रावतराम : तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस सिलसिले में कुछ ठोस काम हाथ में लिये जाने चाहिये जो स्थायी नेचर के हों। इससे स्थायी लाभ होगा, पैसा कम खर्च होगा, काम अधिक होगा और स्थायी और लाभकारी होंगे।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात भी कह दूं कहा तो बहुत गया कि राष्ट्रीयकरण होने से किसानों को ऋण मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी पर हुआ उल्टा ही। आज किसान के पास न बीज है, न चारा है, न पशु हैं। बहुत से किसान साधनों के अभाव में हल नहीं चला सकते। पर उनको बैंक आज दो सौ, सौ, रुपया भी देने को तैयार नहीं है। बैंकों की वही पुरानी मनोवृत्ति है जब कहते हैं तो उत्तर देते हैं कि पैसा लुटाने के लिये नहीं है और हम तो राजस्थान सरकार के अण्डर में ही नहीं हैं। हम तो सीधे भारत सरकार से बात करते हैं।

अब यदि आप फसलीकरण की नीति बना दें तो किसान की बहुत बड़ी सेवा होगी ताकि फिर वह समय पर हल जोत सकेगा और बोहरों के चंगुल से वह निकल सकेगा।

श्री परसराम मदेरणा : कोआपरेटिव बैंक लोन देते हैं।

श्री रावतराम : वे सोसाइटियों को देते हैं। इसमें सीमित मेम्बर होते हैं। सौ दस पचास तक रह जाते हैं। बाकी यों ही रह जाते हैं। अब जब राष्ट्रीयकरण करते समय आपकी यह घोषणा थी कि वे किसान को कर्ज देंगे तो फिर उससे पीछे हटने का क्या कारण है ? पांच सौ रुपये भी दे दें तो उसके लिए वे अपना खेत रहन रख सकते हैं। इसके बाद भी आप उनको लोन क्यों नहीं देते ? यह प्रश्न आता है। माफ करिये, इस तरह से चूरू जिले में एक को भी एक पैसा नहीं मिला।

तो मेरा निवेदन है कि इस बारे में पर्याप्त प्रयास करना चाहिये। किसानों को डाइरेक्ट कर्जा दें ताकि बोहरों की गुलामी के पंजों से उनका छुटकारा हो सके।

(श्री रावतराम)

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में यह निवेदन करूंगा कि हमारे जिले में इस साल 200 250 गांव अकालग्रस्त हैं । उनमें जितना ज्यादा काम आप चालू करा सकते हों कराएं ।

इतनी बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर लाल ।

श्री मनोहरलाल (कामां) : उपाध्यक्ष महोदय, समाजवाद की बात करने से पहले हमें थोड़ा सा अपनी ओर देख लेना चाहिए साम्यवादियों के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि एक जमाना आयेगा जब पूंजीवादी लोग, सामन्तवादी लोग, समाजवाद का चोगा और साम्यवाद का चोगा पहन कर असली समाजवादी दीखेंगे लेकिन उनकी आत्मा पूंजीवादी होगी । वे सेठ होंगे, सामन्त होंगे, मजदूरों के शोषक होंगे लेकिन चोगा समाजवाद का पहने होंगे । वह ही बात मैं आज देख रहा हूं कि बातें समाजवाद की करते हैं, लेकिन वास्तव में इतने बड़े सत्यानाशी बहुमत के अन्दर शायद ही कोई असली समाजवादी होगा । सत्यानाशी बहुमत इसलिए कहता हूँ कि एक तो लोक तांत्रिक बहुमत होता है जहां पर दो चार अन्तर होता है, एक अन्यायी बहुमत होता है जिसमें दस बीस का अन्तर होता है, लेकिन यहां 80 प्रतिशत का बहुमत है, वह सत्यानाशी बहुमत है ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : यह तो आप जनता के विरुद्ध बोल रहे हैं ।

श्री मनोहरलाल : तो ये सत्यानाशी बहुमत वाले आज समाजवाद का चोगा पहने हुए हैं परन्तु वास्तव में वे सामान्तवादी और पूंजीवादी हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज 73 पैसे में एक मजदूर अपना गुजारा करता है । हिन्दुस्तान में मेहनत का फल नहीं मिलता । एक मजदूर जूता बनाता है, लेकिन उसको पहनने के लिए जूता नहीं । एक मिल मजदूर सबके लिए कपडा बनाता है लेकिन उसकी औरत नंगी रहती है, उसको पहनने के लिए कपडा नहीं मिलता । एक मजदूर बड़े बड़े भवन बनाता है लेकिन खुद छप्पड़ में रहता है, उसके लिए रहने को मकान नहीं । हम अच्छे अच्छे माल खाते हैं, उससे अपना पेट भरते हैं, लेकिन हमारे पाखाने की सफाई हरिजन को करनी पड़ती है । तो हिन्दुस्तान में कर्म का फल नहीं मिलता । तो इस सत्यानाशी बहुमत के अन्दर ये नकली समाजवादी लोग पड़े हुए हैं । मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि इस समाज के अन्दर समानता आवे, शोषण मिटे, गरीबी मिटे, लेकिन इसके लिए कुछ नक्शा होना चाहिए ।

मैं सदन से अपील करूंगा, सरकार से अपील करूंगा कि आप आमदनी में अन्तर को कम करिये । आप सीलिंग से कुछ नहीं निकाल पायेंगे । आप सम्पत्ति पर सीमा लगाने से कुछ नहीं निकल पायेंगे । यह ढोंग है, दिखावा है । इसी प्रकार जमीन पर सीलिंग से भी आप कुछ नहीं निकाल पायेंगे । जब तक आप आमदनी पर सीलिंग नहीं लगाते तब तक कुछ नहीं होने वाला है । आपको आमदनी पर सीलिंग करना चाहिये । मैं अपील करता हूँ कि बजाय जमीन पर

(श्री मनोहरलाल)

सीलिंग लगाने के, बजाय सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने के, आप आमदनी पर सीलिंग लगावें। दो सौ रुपये से कम किसी की आमदनी नहीं होनी चाहिये और 2000 रुपये से ज्यादा किसी की नहीं होनी चाहिए। सच्चा समाजवाद तो आमदनी पर सीलिंग करने से ही आयेगा। आपने सम्पत्ति पर सीलिंग लगा दिया है, आपने भूमि पर सीलिंग लगा दिया, लेकिन उसकी आमदनी अनाप शनाप बनी रही उस पर आपने सीलिंग नहीं लगाया, तो यह असमानता बनी रहेगी और गरीब गरीब ही रहेगा। अगर आप समाजवाद लाना चाहते हैं, समानता लाना चाहते हैं और असमानता को दूर करना चाहते हैं तो मेरी अपील है कि आप आमदनी पर सीलिंग लगावें, किसी की आमदनी दो सौ से कम न हो और दो हजार से ज्यादा न हो और दस साल के बाद इसको भी कम करना पड़ेगा।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मजदूर को 3.31 रुपये मिलते हैं, मजदूर को 75 पैसे रोज मिलते हैं। एक रिक्शावाला अगर रिक्शा भी किराये पर ले, तो उसे तीन रुपये किराया देना पड़ता है, साइकिल हमें डेढ़ रुपये रोज के हिसाब से किराये पर मिलती है। अब साइकिल और रिक्शा का कोई बाप नहीं होता, कोई मां नहीं होती, कोई बालबच्चे नहीं होते, लेकिन उसको भी डेढ और तीन रुपया रोज का मिल जाता है। वे कभी बीमार नहीं होती। और इधर एक मजदूर है जिसको दिन भर की मेहनत के तीन रुपये मिलते हैं, उसके मां भी है, बाप भी है और बाल बच्चे भी हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मजदूर की स्थिति एक साइकिल से भी नीचे है, एक रिक्शा से भी नीचे है। रिक्शा 3-00 रुपये में मिलता है, साइकिल 1-50 रुपये में मिलती है लेकिन एक गरीब मजदूर इससे भी गया बीता है। उसकी जिन्दगी इन अजान चीजों से भी सस्ती है और पशुओं से भी गयी बीती है। इन्सान की जिन्दगी एक थानेदार के घोड़े से भी बुरी है जो अपने घोड़े का भत्ता 500) रु० लेता है। 5) रु. रोज के हिसाब से ऊंट का भत्ता लिया जाता है। पुलिस का कुत्ता जो चोरी को पकड़ता है, जो अपराधियों को पकड़ता है उसका भत्ता भी 10) रु. रोज होता है और एक मजदूर का तीन रुपये रोज होता है। आप सभी जिलों में 1-50 रु और 3) रु. में मजदूर पकड़ते हैं, आज 3) रु. में तो पेड रिक्शा भी नहीं मिलता है। इस तरह समाजवाद नहीं आ सकता है। अध्यक्ष महोदय (उपाध्यक्ष) मैं एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। एक हमारे यहां भरतपुर में उद्योग है जिसमें बिरला मजदूरों का शोषण करता है, मजदूरों का खून निकालता है और राजस्थान सरकार यह मानती है कि भरतपुर तो उद्योगों का स्थान हो गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं भरतपुर में केवल एक फेक्टरी है और वह है सिमको की फैक्टरी जो मजदूरों के खून निकालने की मशीन है तो क्या केवल एक उद्योग से ही भरतपुर को उद्योगों का स्थान मान लिया? डीग, कांमा, पहाड़ी, नदबई, नगर, वैर आदि कई तहसीलें हैं और उद्योगों के नाम

(श्री मनोहरलाल)

पर केवल एक बिड़ला की मील हैं। एक बिड़ला मील के नाम पर ही आप कहना चाहते हैं कि भरतपुर उद्योगों का स्थान है। मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप बतायें भरतपुर में कितने उद्योग हैं? इसके साथ ही मैं एक और अर्ज कर देना चाहता हूं कि भरतपुर में हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ आने से हर साल लाखों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है। सारी फसल नष्ट हो जायगी लेकिन इसके बाद भी राजस्थान सरकार ने बरबादी का टैक्स लगा रखा है और सिंचाई कर लिया जाता है, बरबादी कर लिया जाता है। यह कैसी विडम्बना है? राजस्थान सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। चेपा लग गया सेन्ट पर-सेन्ट सरसों खतम हो गई, पाले में चना खतम हो गया, लेकिन कर की वसूली हो रही है। आपके अधिकारी मार डन्डे कर की वसूली कर रहे हैं। हमारी सरहद गुडगांव और हरियाणा से लगी हुई है। हजारों किसान कामा के और नगर तहसील को छोड़कर हरियाणा जा रहे हैं। उनके साथ मार पिटाई की जाती है और उसके बदले में कर लिया जाता है। चेपे की जो दवाई दी गई है वह फसल कटने के बाद दी गई है। अच्छी फसलों को अधिकारियों ने बेच दिया। चेपे के बाद पाला पड़ा और इससे सारा चना खतम हो गया। मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप सरकारी जांच करवा लें कि चेपे की दवा का दी गई और दवा को ब्लेक से बेची गई लेकिन भरतपुर और अलवर जिले को नहीं दी गई। दोनों जिलों की फसलें नष्ट हो गई और उसके बाद कर की वसूली। सरकार ध्यान नहीं देती है। लोग चिल्लाते हैं। दुखी होकर लोग हरियाणा जाने लग गये हैं आज लोग मांग करने लग गये हैं कि हमको हरियाणा में मिला दिया जाय, उसके लिये प्रदर्शन निकाले गये हैं। हरियाणा के एक एक गांव में बिजली है, एक एक गांव सड़क से जुड़ा हुआ है। लेकिन राजस्थान में मोमबत्ती जलाकर रोशनी की जाती है। भरतपुर, डीग में मोमबत्ती जलाई जाती है। वहां के बिजली घर के अधिकारी मोमबत्ती जलाते हैं। आज जो आपका बिजली का बजट है इससे हिसाब लगाकर देख लें 10 बस्तियों में उस बजट से लट्ठे नहीं लगाये जा सकते हैं केवल लोगों को गुमराह करते हैं कि रोशनी देंगे। आपके बजट से तो केवल 10–5 बस्तियों में बिजली लग सकती है। मैं विद्युत मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं। आप इसकी अच्छी तरह से जांच कर लें। गणित का हिसाब लगाकर देख लें कि आपके बजट के प्रावधान से कितनी बस्तियों में लट्ठे लगाये जा सकते हैं, कितनी हरिजन बस्तियों को आप रोशनी दे सकते हैं। हिसाब लगाने के बाद शायद आपको निराशा होगी।

मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अन्त में निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह समाजवाद का जो राग अलापा जा रहा है यह एक धोखा है समाज के साथ, यह राजस्थान की जनता के साथ धोखा है। समाजवाद के नाम पर समाजवाद के नारे लगाने वाले लोग अपनी सम्पत्ति बढ़ा रहे हैं। मैं उपाध्यक्ष महोदय, पूछना चाहता हूं कि जब हम जनता का बजट दे रहे हैं, सरकार का बजट दे रहे है तो सारे विधायकों को और सारे मंत्रियों

(श्री मनोहरलाल)

को अपने बजट पेश करने चाहिएं। जहां हम लेखाजोखा करते हैं कि राजस्थान ने कितनी तरक्की की, जनता ने कितनी तरक्की की और प्रति व्यक्ति कितनी आमदनी बढ़ी और कितनी हमारी आमदनी घटी तो हमें यह भी लेखाजोखा देना पड़ेगा कि एक वर्ष के अन्दर विधायकों की या मन्त्रियों की कितनी सम्पत्ति बढ़ी। मैं इस सदन से मांग करता हूं उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से मांग करता हूं और राजस्थान की जनता से मांग करता हूं कि विधायक और मन्त्री भी अपनी जायदाद का बजट इस सदन में पेश करें तब मालुम पड़ेगा कि जनता ने कितनी तरक्की की है और विधायकों ने और मन्त्रियों ने कितनी तरक्की की है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात अन्त में कह कर समाप्त कर देना चाहता हूँ और वह यह है कि इस राजस्थान में हमेशा से भेदभाव की नीति बरती गई है। संतुलित विकास की नीति नहीं अपनाई गयी। एक तरफ रेगिस्तान है और दूसरी तरफ बाढ़ें आती हैं और इस बाढ़ के कारण भरतपुर और अलवर में लाखों एकड़ जमीन बरबाद हो जाती है। एक तरफ रेगिस्तान हैं, पहाड है धूल है, वहां कुछ नहीं होता और वहां लोग प्यासे मरते हैं, भूखों मरते हैं और होता यह है कि रेगिस्तान के नाम पर पूर्वी राजस्थान के ऊपर चोट लगाई जाती है और रेगिस्तान के नाम पर पैसा वसूल किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तान के नाम पर हमारा विकास रुक जाता है और इस तरह से रेगिस्तान के लिए एक अलग प्रशासन की स्थापना की जाये जिससे रेगिस्तान से आने वाले विधायक उस प्रशासन में सम्मिलित हों और यह प्रशासन एक बोर्ड के रूप में हो या कमेटी के रूप में हो। रेगिस्तान के लिए अलग से टैक्स लगायें, अलग से कर्जा लें लेकिन रेगिस्तान के नाम पर पूर्वी राजस्थान का शोषण नहीं किया जा सकता। यह संतुलित विकास का कोई तरीका नहीं है। आप रेगिस्तान का भी विकास करें और पूर्वी राजस्थान का भी विकास करें लेकिन रेगिस्तान के नाम पर हमारी प्रगति अवरुद्ध की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के बारे में अभी बात चल रही थी। मेरे मित्र जो डीग से आये हैं उन्होंने भी एक बात कही। मैं हैरान हूं यह बात जानकर कि डीग में दस साल से लगातार लोग पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एक लाख रुपया बैंक में जमा है, सरकार को लिख दिया है और इसके साथ ही साथ लोग प्राईवेट कालेज चलाना चाहते थे लेकिन सरकार ने उसकी इजाजत नहीं दी और प्रशासनिक स्वीकृति कालेज की मिल गयी लेकिन नहीं खोला गया। दस साल से डीग में उद्घाटन हुआ, टंकियां बनीं, नालियां बनीं लेकिन पानी नहीं देना चाहते हैं। पानी जब देंगे जब कि बाढ़ आ जायेगी, बरसात आ जायेगी और गर्मी के मौसम में पानी नहीं दे सकते। मैं निवेदन करता हूं कि गर्मी के मौसम में जब पानी नहीं होगा गरीब प्यासे मरेंगे, अमीर तो कहीं से भी मंगवा लेंगे उस समय इन नलों का उद्घाटन किया जाना चाहिए।

मैं इस सदन से एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि इस पूर्वी राजस्थान के विकास को रेगिस्तान के नाम पर नहीं रोका जाये।

(श्री मनोहरलाल)
रेगिस्तान के लिए अलग प्रशासन और बोर्ड की स्थापना की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, सन् 1972-73 का बजट जो सदन के समक्ष है उसके बारे में अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने सन् 67 से जो भी सदन में बजट प्रस्तुत हुए उनके ऊपर अपने विचार रखे और मैंने यह पाया कि जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं वे सभी घाटे के बजट थे और घाटा निरन्तर बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति बड़ी भयानक स्थिति है और घाटे को मीट करने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसमें हमेशा यही पैराग्राफ रख दिया जाता है:-

> 'गैर योजना मद में 27.94 करोड़ का घाटा रह जायेगा। हमें आशा है कि यह घाटा केन्द्र सरकार से मिलने वाली विशेष सहायता तथा उनके द्वारा अधिक साधन जुटाने के प्रयत्नों से मिलने वाले राज्य के हिस्से से, पूरा हो जावेगा।'

जितने भी बजट भाषण हैं उनमें सेंट्रल असिस्टेन्टस से घाटे की पूर्ति के बारे में उल्लेख हुआ है। इस बारे में जो मेरे सुझाव हैं वह भी रख रहा हूं। अपने प्रान्त के ऊपर कर्जा है वह भी बहुत ज्यादा है। यह कर्जा 643.16 करोड़ का है। मंत्री महोदय ने जो सुझाव नेशनल डैट कमीशन का दिया है मैं भी इस सुझाव का समर्थन करता हूँ यद्यपि जो जनसंघ के माननीय सदस्य हैं उन्होंने अपने विचार रखे कि अपनी पोजीशिन इनसाल्वेन्सी की पोजीशन है स्टेट्स केन्द्र से कर्जा लेती हैं और कर्ज वापिस देती हैं-तो यह इनसाल्वेन्सी की पोजीशन नहीं कहीं जा सकती। अब प्रश्न जरूर है कि हम सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट करें कि जैसे राजस्थान नहर का प्रश्न है इसका जितना भी कर्जा हमारे ऊपर है और भार पड़ रहा है उसको और हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि यह कर्जा माफ कर दिया जाये तो हमारी जो डिमान्ड है वह उचित है।

दूसरे फेमिन के बारे में हमारे कुछ क्षेत्रों की जाग्रोफीकल कन्डीशन्स ऐसी हैं कि जहां अक्सर अकाल पड़ता रहता है और इस कारण अकाल के लिए राजस्थान गवर्नमेन्ट के ऊपर भी अधिक भार पड़े तो यह उचित नहीं कहा जा सकता इसलिए हम यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सैन्ट्रल गवर्नमेन्ट इस अकाल के भार को भी अपने ऊपर ले और इसका भार हमारे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। ये सभी पाइन्टस हैं कि जो नेशनल डैट कमीशन के सामने हैं और हमारे प्रान्त के ऊपर जो कर्जा है उसमें कमी की जाती है तो हमारी स्टेट को लाभ मिल सकता है क्योंकि कर्ज के ऊपर हमको इन्टरेस्ट भी देना पड़ता है और मूलधन भी हर साल देना पड़ता है। और इस साल जैसी स्थिति बताई है 99.96 करोड़ रुपया देने पड़ेंगे इसलिए हमारी स्टेट पर बड़ा भारी वजन पड़ता रहता है। इसके लिए मैं तो यह चाहता हूँ कि अपनी गवर्नमेन्ट और अपने जितने भी असेम्बली के मेम्बर्स हैं और पार्लियामेंट के मेम्बर्स हैं डेलीगेशन बनाकर स्ट्रांगली सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के सामने रखें तो हमारे

(श्री मनोहरलाल)

ऊपर जो वजन पड़ता है कर्ज का भार कम किया जा सकता हैं असेम्बली से डेलीगेशन जावे, स्ट्रोंग डेलीगेशन अपोजीशन पार्टी का जावे, यहां के कांग्रेस मेम्बर्स भी डेलीगेशन लेकर जावें, रिप्रजन्टेशन करें, पार्लियामेन्ट के मेम्बर जो हैं वे भी रिप्रजण्टेशन करें। राजस्थान नहर का प्रश्न है, अकाल का प्रश्न है इनको लेकर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। जो हम प्रगति कर रहे हैं परन्तु डेजर्ट एरिया के कारण अकाल का वजन भी पड़ता है। राजस्थान के अन्दर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और यहां पर ज्यादा खर्चा अकाल वगैरा का होता है। हम यह जरूर चाहते हैं कि रेगिस्तान को मिटाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेन्ट को योजना बनानी चाहिए और हमारी राजस्थान गवर्नमेन्ट को भी कोशिश करनी चाहिए कि रेगिस्तान खत्म हो। डेजर्ट की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। राजस्थान गवर्नमेन्ट को भी सख्ती से इस ओर कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेन्ट की जैसी स्कीमें हैं, फेमिन एन्ड ड्रोट प्रोग्राम है और जिसके लिये दो करोड़ रुपया रखा गया है वह रुपया कम है, हम सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यह प्रोग्राम दो करोड़ का नहीं होकर पांच करोड़ रुपये का प्रोग्राम होना चाहिए। और भी डेजर्ट के बारे में स्पेशल स्कीम्स बनायी जानी चाहिए और इस समस्या को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें दस वर्ष भी लग सकते हैं, 15 वर्ष भी लग सकते हैं, इसके लिए राजस्थान को अपना रिप्रेजण्टेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस डेजर्ट की प्राब्लम को हल करने के लिए बहुत ज्यादा राशि देकर इस समस्या को हल कर सकेगी। क्योंकि डेजर्ट के साथ साथ राजस्थान एक सीमावर्ती क्षेत्र भी है। और सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को मजबूत करना भी आवश्यक है। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों का मनोबल बढ़ना चाहिए। यहां की जनता का मनोबल अगर इस तरह की स्थिति रहती है तो किस प्रकार बढ़ सकता है। तो इसके लिए यह क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, डेजर्ट का एरिया है, इन सब दृष्टिकोणों को सामने रख कर इस क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है और ये सब प्रोग्राम्स लेकर ही यहां का विकास हो सकता है। जो अकाल सम्बन्धी स्कीमें हैं उनको इम्प्लीमेंट करके ही इस क्षेत्र का विकास हो सकता है। जो राजस्थान नहर की स्कीम है उनको केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेकर जल्दी से जल्दी दो तीन साल में पूरा कर सकती है और इस क्षेत्र का विकास कर सकती है और डेजर्ट एरिया की प्राब्लम को हल कर सकती है। नर्मदा नदी का प्रश्न भी है। ट्रिब्यूनल में मामला है तो इस प्रश्न को भी जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए। नर्मदा नदी का प्रश्न, इसके पानी का प्रश्न भी जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए ताकि नर्मदा नदी का पानी भी बाड़मेर जालोर क्षेत्र में पहुंचे ताकि वहां का विकास हो सके और प्राब्लम्स सोल्व हो सकें। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रकार इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करके इस डेजर्ट की प्राब्लम को हल किया जा सकता है।

श्री केदारनाथ : उस डेलीगेशन में मंत्री भी शामिल होंगे या नहीं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : क्यों नहीं हों।

श्री केदारनाथ : फिर तो वर्ल्ड बैंक में जाना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह तो सदन निर्णय कर सकता है।

श्री परसराम मदेरणा : सदन का निर्णय शिरोधार्य है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : तीसरा प्रश्न है, मुझे बजट के अन्दर जो विशेष चीज मिली वह प्राथमिक शिक्षा की और जलप्रदाय योजना की है। मैं बराबर सदन के अन्दर लगातार इस जलप्रदाय की योजना के बारे में जोर दे आ रहा हूं और राजस्थान सरकार ने भी इस प्रश्न को गम्भीरता से लिया है और इस साल सब मिला करके 10 करोड़ की पूंजी का विनियोजन ड्रिंकिंग वाटर के लिए किया है यह बहुत अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है। मैं देख रहा हूं, ऐसे 2 गांव हैं जिनमें पानी नहीं मिलता है और पांच–पांच, दस–दस मील से पानी लाना पड़ता था उन गांवों में पानी पहुंच गया है, यह खुशी की बात है। भीमड़ा–बाबतू पाइप लाइन बन गई है। छः तारीख को उसका उद्घाटन भी होने जा रहा है। वहां के आस पास के गावों मे भी पानी पहुंच गया है। इसी प्रकार और भी स्कीमें ले सकते हैं। रूरल प्रोग्राम के अन्तर्गत और स्कीमें ले सकते हैं। सरकार का यह कदम सराहनीय है और इस साल और भी योजनाएं हाथ म लेंगे और उनको कार्यान्वित करेंगे और कार्यान्वित करके जो समस्यायें पानी की डेजर्ट एरिया में हैं वह हल करके जनता को राहत पहुंचायेंगे।

इस समय में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं बाड़मेर नगर के बारे में। बाड़मेर नगर की आबादी बढ़ गई है। उसकी आबादी आज चालीस हजार है और जो स्कीम बनी थी वह पांच छः साल पहले बनी थी। उसी स्कीम से आज गांवों को भी पानी सप्लाई किया जा रहा है और वही पानी मिलिट्री को भी सप्लाई किया जाता है। जो फेमिन इफेक्टेड एरिया है, विलेजेज में जो ट्रकों से पानी पहुंचाया जाता है वह भी बाड़मेर टाउन से पहुंचाया जाता है, इस कारण बाड़मेर टाउन की जनता को पानी कम मिलता है और इसलिए जो दूसरी स्कीम चीफ इंजीनियर साहब के पास पेंडिग है,–एक्स–ई–एन और सुप. इंजीनियर से सिफारिश होकर चीफ इंजीनियर के पास पहुंच गई है, उसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो 16 लाख गैलन पानी की स्कीम है उसको जल्दी से जल्दी स्वीकार करें। इसमें अगर देरी की गई तो इससे बड़ा नुकसान होगा। इसमें मिलिट्री को पानी पहुंचाने का सवाल है, आज छाछरो जो अपने पास है वहां भी पानी पहुंचाना पड़ा तो उसमें भी बाधा पहुंच सकती है, फेमिन एफेक्टेड एरिया है उसमें भी पानी पहुंचाना है तो इसमें देरी होने न बडी डिफिकल्टी होगी। इस स्कीम को जल्दी से जल्दी स्वीकार किया जाना चाहिए और इसके लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी स्वीकार करें इसके लिए मैं विशेष तौर से जोर देना चाहता हूं।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अब मैं शहरी सम्पत्ति और सीलिंग के बारे में भी अपने विचार रखना चाहता हूँ। शहरी सम्पत्ति के बारे में मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि इसकी सीमा तीन लाख रुपये की होनी चाहिये।···

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि बजट में स्पष्ट रूप से रखा गया है कि इसी सत्र में इस कानून को पास किया जाएगा। इस बारे में आपको उस समय कहने का पूरा मौका मिलेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। ऐसा न हो कि जैसे पहले-भू सीलिंग का कानून पास किया गया। सन् 1959 में कानून पास किया गया लेकिन कानून पास होने के बाद भी ट्रांसफर्स 69 तक हुए और सरकार ने उन सब को वैधता दे दी। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ कि शहरी सम्पत्ति के बारे में भी जब से कानून बनाने की बात हुई है, ट्रांसफर दना-दन हो रहे हैं और पार्टीशन हो रहे हैं। इसलिए मैं यह चाहता हूं कि इस कानून को बनाते समय ध्यान रखा जावे कि जो भी ट्रांसफर्स तीन साल पहले हुए हैं उनको वैध नहीं माना जाना चाहिए, उनको कत्तई भी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए। नहीं तो यह जो शहरी सम्पत्ति का कानून है यह भी प्रभावशाली नहीं रहेगा और न कोई सम्पत्ति ही मिलेगी। भू-सीलिंग के अन्दर जो डेजर्ट एरिया था उसमें ही जमीन मिली हैं। गंगानगर से क्या जमीन मिली? कोटा से भूसीलिंग में क्या जमीन मिली? यह प्रश्न देखने का है क्योंकि वहां जमीन बहुत मंहगी है। अगर वहां की जमीन काश्तकारों को मिलती है तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सकता है····

श्री परसराम मदेरणा : बाड़मेर जिले में कितनी मिली?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर जिले में करीब बीस हजार बीघा, मेरी जैसी सूचना है, उसके अनुसार मिली है। और भी केसेज चल रहे हैं, उसका भी निर्णय होगा। परन्तु जो मुझे इन्फोर्मेशन है, गंगानगर के अन्दर कोटा के अन्दर और दूसरे जो एरियाज हैं वहां बहुत ही कम जमीन प्राप्त हुई है। इसलिये इस के बारे में भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि सैंट्रल लैंड रिफार्म्स कमीशन की जो रिकमण्डेशन्स हैं उनको कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसके अलावा अपने इलेक्शन मेनीफेस्टो में भी तय किया गया था और यह बात रखी गई थी कि लैंड रिफार्म्स के बारे में कदम उठायेंगे तो इसलिए इसके बारे में कदम उठाना चाहिये। मैं यह देख रहा हूं और मुझे भय है कि यह जो अपना कदम है उसका भी विरोध होगा, विरोधी पार्टी की ओर से और कांग्रेस से भी। पहले भी मैंने देखा है। मैं सलेक्ट कमेटी का मेम्बर रहा हूं और मैंने कांग्रेस के सदस्यों का अपोजीशन भी देखा है भू-सीलिंग कानून के बारे में तो इसके बारे में जो चेन्जेज होंगे उसके बारे में कांग्रेस के सदस्यों से अपोजीशन हो सकता है विरोधियों से हो सकता है। अगर यह समाजवादी गवर्नमेंट प्रगतीशील कदम उठाना चाहती है तो उसे इन विरोधों से कत्तई नहीं डरना चाहिये। कांग्रेस की गवर्नमेंट स्टेन्ड करेगी और उसको कोई डिफिट नहीं कर सकता। मेरा निवेदन है कि गवर्नमेंट

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

प्रगतिशील कदम उठावे और रुकावटें डालने वाले हैं उनका मुकाबला करके इस कानून को पूरी तौर से अमली रूप देना चाहिये।

अब एक बात और कहना चाहता हूँ। वह फेमीन के बारे में कहना चाहता हूँ। फेमीन अभी भी है। बाड़मेर जिले के करीब 310 गांवों में है राजस्थान में करीब 25 लाख जनता इस फेमीन से प्रभावित है। अभी तक अकाल राहत कार्य नहीं खोले गये हैं। मैं अकाल राहत मंत्री जी से निवेदन करूंगा अब तक इस में देरी की गई है। अकाल राहत मंत्रीजी शायद यह कहेंगे कि यहां पर क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा और क्रेश प्रोग्राम आरम्भ होने के बाद फेमीन के वर्क्स खोलेंगे। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह क्रेश प्रोग्राम इस तरह का प्रोग्राम है कि इसके अन्तर्गत बहुत से क्षेत्र में काम नहीं हो पायेगा। क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत एक नियम तो यह है कि 60 लेबर में और 40 मेटेरियल में होना चाहिये। मेरी यह मान्यता है कि इससे कोई अच्छी सड़क नहीं बन सकती। 60 लेबर में और 40% मेटिरियल में कोई भी कन्स्ट्रक्टिव वर्क नहीं हो सकता। पंचायत समिति की मीटिंग हुई थी और अकाल सहायता सलाहकार समिति की भी मीटिंग हुई थी। उसमें यह प्रश्न आया था और यह महसूस किया गया कि 60% लेबर और 40% मेटेरियल की पूर्ति उन क्षेत्रों में नहीं की जा सकेगी। डामर की सड़क बनायेंगे तो वह भी किसी तरह से नहीं बन पायेगी। यह बड़ी डिफिकल्ट टास्क है। इसमें आदमियों की खपत कम होगी और इसके कानून के अन्तर्गत कार्य को स्वीकृत कराना भी मुश्किल होगा। पिछले वर्ष कुछ जमाना हुआ था। परन्तु इसके पहले भी अकाल पड़ा था और आज वहां पर अकाल की स्थिति है। मेरा कहना है कि वहां पर अकाल राहत कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किये जाने चाहिये और गवर्नमेन्ट इस बारे में सक्रिय कदम उठावे। अभी जो गवर्नमेन्ट का कदम चल रहा है वह ठीक नहीं है। यह ठीक है कि पानी की व्यवस्था गवर्नमेन्ट ने की है इन क्षेत्रों में। सरकार ने पानी का संकट दूर करने के लिये ट्रकों के द्वारा पानी पहुँचाने की कोशिश की है परन्तु अकाल राहत कार्य एक भी नहीं खोला है जिसकी कि आज जरूरत है।

अब मैं रिफ्यूजी प्राब्लम के बारे में भी प्रकाश डालना चाहता हूं। हिन्द-पाक युद्ध के कारण हमारे क्षेत्र में, जो पश्चिमी क्षेत्र है, उसमें करीब 50 हजार शरणार्थी आए हुए हैं। 50 हजार शरणार्थियों में से हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर ज्यादा आये हुए हैं। 8 कैम्पस् हैं और उनमें सिर्फ तीन हजार शरणार्थियों की व्यवस्था की गई है। मैं मंत्री महोदय के साथ 21-22 तारीख को टूर पर गया था और अब तक उनको सिर्फ बाजरा ही दिया गया है इसके अलावा कोई चीज नहीं दी गई है। तो एक बाजरा से ही उनकी उदर पूर्ति नहीं हो सकती। उनको तेल दिया जाना चाहिए, चना दिया जाना चाहिये। तो मेरा निवेदन है कि तेल के बारे में व्यवस्था होनी चाहिये। और भी कुछ अमाउन्ट मिलना चाहिये जिससे उनकी और रिक्वायरमेन्ट्स की पूर्ति हो सके। तो इसके बारे में व्यवस्था करने की जरूरत है

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आक्यूपाइड एरियाज में जो कैम्पस् चल रहे हैं उसके बारे में भी व्यवस्था होनी चाहिये। गवर्नमेन्ट ने यह निर्णय लिया है कि बीस मील के अन्दर अन्दर कोई रिफ्यूजी कैम्प नहीं खोलने चाहिये। जो रिफ्यूजी आते हैं वे बोर्डर पर, सीमा पर, बसे हुए हैं और वहां पर 20 मील के अन्दर रिफ्यूजी कैम्प्स नहीं खोले जा सकते। यह गवर्नमेंट का निर्णय है। पहले जो यह निर्णय लिया था उस समय कोई और स्थिति हो सकती थी। यह संभावना थी कि वे पाकिस्तान से आये हुए हैं और वे स्मगलिंग का धन्धा कर सकते हैं। अब पाकिस्तान का आक्यूपाइड एरिया हमारे कब्जे में है तब इस रूल्स को रिलेक्स किया जाना चाहिये। इस पर राजस्थान गवर्नमेन्ट को निर्णय लेना चाहिये और जहां भी अपना एरिया हो वहां पर कैम्प खोले जा सकते हैं। इस प्रकार का निर्णय लिया जा सकता है कि 20 मील की सीमा के अन्दर जो रिफ्यूजी बसे हुए हैं जैसे कि एक सीमा पर 525 रिफ्यूजी की फैमेली बसी हुई है वहां पर कैम्प स्थापित किया जा सकता है। यह जो हमारे कैम्प्स बनाये गये हैं, वे अपर्याप्त हैं। जो पचास हजार शरणार्थी आये हुए हैं उनके अन्दर पचास परसेन्ट शिड्यूलड कास्ट और शिड्यूलड ट्राइब्स के लोग हैं। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। ये लोग दिसम्बर के एण्ड में आये थे और जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रेल, इस तरह चार महिने इनको रहते हो गए हैं। इन चार महिनों में आपने इनको खाने के लिये क्या दिया है? किसी तरह की गवर्नमेन्ट से इनको सुविधा नहीं दी गई है। इनकी हालत खराब होती जा रही है। यह जो आठ केन्द्र खोले गये हैं वे अपर्याप्त हैं हमको अब बीस मील के अन्दर कैम्प्स खोलने चाहिये, और उन रिफ्यूजीज को भी मदद देनी चाहिये जो बीस मील के अन्दर बैठे हुए हैं। वे वहां से आते हैं तो उनको पानी की कठिनाई होती है। वे बोर्डर पर इसलिए बसे हुए हैं कि उनको वहां पर पानी की सुविधा है। यहां आने पर पानी की कठिनाई है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जहां पर बसे हुए हैं और जहां पर पानी की सहूलियत है, वहां पर गवर्नमेन्ट को रिफ्यूजी कैम्प खोलने चाहिये। इन गांवों के अन्दर कैम्प खोल दिये जायेंगे तो उनको सुविधा होगी। उनके बच्चों की शिक्षा के बारे में भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया है। जो लोग वहां से आए हैं उनमें सर्विस क्लास के भी लोग हैं। उनको एम्पलायमेंट देने के बारे में भी विचार करना है। मेरा निवेदन है कि उनको इन्हीं कैम्प्स में लगा दें। जो गवर्नमेंट के सर्वेन्ट हैं वे किसी न किसी प्रकार से अपना पोस्टिंग कैन्सिल करवा लेते हैं। 21-4-72 तक तो वहां पर कोई स्टाफ आक्यूपाइड एरिया में मैंने नहीं देखा है। जितने भी कैम्प्स हैं उनकी व्यवस्था खराब है। मैं चाहता हूं कि जो सर्विस क्लास के लोग पाकिस्तान से आये हैं इन शरणार्थियों में, आक्यूपाइड एरियाज से, उन लोगों को ही इनके कैम्प्स में लगा दें तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। यह आप कर सकते हैं। ये लोग रिफ्यूजी को भी जानते हैं और व्यवस्था भी ठीक प्रकार से कर सकेंगे। राज्य सरकार इस रिफ्यूजी समस्या का हल अच्छी तरह से नहीं कर पाई है। चार लाख 82 हजार की व्यवस्था आप करते हैं चार महीने के

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अन्दर तो इसको कोई ठीक नहीं समझ सकता। 50 हजार शरणार्थियों के बीच आप चार लाख 82 हजार की व्यवस्था करते हैं तो आप सोचिये कि एक शरणार्थी को उसका कितना हिस्सा मिला है। किसी भी तरह से कोई भी इसको ठीक नहीं समझ सकता है। इसलिये इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है और आप लोग यह भी कोशिश करेंगे कि यह लोग सब के सब आक्यूपाइड एरियाज में वापिस चले जायेंगे तो यह आपका भ्रम है। मैंने इसकी जांच की है वह मैं यहां पर नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं जिनका मैं सदन के अन्दर वर्णन नहीं करना चाहता हूं। जब हमारी मिलोट्री गई तो मिलीट्री ने इनसे मदद ली और मदद की तो यह पोजीशन हो गई कि वे किस प्रकार से पाकिस्तान में रह सकते हैं और वहां के सिटीजन हो सकते हैं? वे अब वहां पर जाने से कतरा रहे हैं और इस प्रश्न को गहराई के साथ सोचने की आवश्यकता है कि हम क्यों नहीं हमारे यहां पर सिटीजनशिप का अधिकार दें? आक्यूपाइड एरिया के लोग जो खुशी के साथ वहां पर नहीं रह सकेंगे उन्हें सिटीजनशिप का अधिकार हमें देना पड़ेगा। इसके साथ-साथ मैं कुछ (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) शिक्षा के बारे में भी और विद्युत् के बारे में भी विचार रखना चाहता हूं। शिक्षा के बारे में जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में कदम लिये हैं वे कदम वाकई में सराहनीय हैं, लेकिन 1000 स्कूल जो खोले गये हैं वे अपर्याप्त हैं, और हमारा यह जो लक्ष्य है कि 1975 तक सब को यानी 6 से 11 वर्ष के बच्चों को एज्यूकेशन दे देंगे उसकी अगर पूर्ति अगर हम कर लेते हैं तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा कदम है और सराहनीय कदम है। आपने एक हजार स्कूल खोलने का निर्णय लिया है उसको 2 हजार करना चाहिए और उसके लिए यदि हमें मिडिल स्कूल भी कम करना पड़े तो कम करना चाहिए, मगर प्राइमरी स्कूलों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सबको प्राइमरी एज्यूकेशन देना हमारे कान्स्टीट्यूशन में लिखा है। यह जनता का अधिकार है और अपने को भी यह व्यवस्था करना चाहिए। तो इसीलिए हमें प्राइमरी एज्यूकेशन पर जोर देना है। प्राइमरी एज्यूकेशन के बारे में यह कहना है कि जिस तरह की एज्यूकेशन दी जा रही है वह अच्छी तरह से नहीं दी जा रही है। अभी तक जो स्थिति है उसमें टीचर्स जो हैं वे अच्छी तरह से पढ़ा नहीं रहे हैं और उन पर कन्ट्रोल अच्छी तरह से नहीं है इन्सपेक्टर्स का। इसलिए इस प्राइमरी एज्यूकेशन को अच्छी तरह से देने के लिए और स्टेण्डर्ड को बढ़ाने के लिए टीचर्स को रेग्युलर पढ़ाना चाहिए। इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए।

विद्युत् के बारे में भी कुछ विचार रखना चाहता हूं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसमें जो बाड़मेर सब-डिवीजन है उसके कोई भी तहसील हैड क्वार्टर पर विद्युत् की व्यवस्था नहीं है, पंचायत समिति के हैड क्वार्टर पर विद्युत् की व्यवस्था नहीं है और बाड़मेर टाउन में भी विद्युत् की स्थिति बुरी है। डीजल के सैट से बिजली बहुत मंहगी पड़ती है और जितने भी सैट्स

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अभी तक वहां आये हैं वे पुराने थे और जहां कहीं भी काम नहीं आते थे वे सेट बाड़मेर टाउन में भेजे जाते हैं। इतने वर्षों से लगातार हम देख रहे हैं कि 8-10 साल से कोई नया सेट नहीं आया है। एक अभी 1000 किलोवाट का सेट आया है। नया पावर हाउस बन गया है और एक हजार का सेट नहीं लगाया जाता है तो विद्युत् की व्यवस्था बाड़मेर टाउन में ठीक नहीं रहती है और विद्युत् को व्यवस्था ठीक नहीं रहती है तो उसके कारण से पानी की व्यवस्था ठीक नहीं रहती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि 1000 के एक सेट की और व्यवस्था की जानी चाहिए। वहां पर एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं, 300 एप्लीकेशन्स पेंडिंग हैं विद्युत् के कनेक्शन की प्राप्ति के लिए लेकिन उनको डेढ़ साल हो गया है और कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। विद्युत् विभाग को चाहिए कि उनको जल्दी से कनेक्शन दें।

इतना ही निवेदन करके यह जो बजट हमारे वित्त मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है मैं उसका स्वागत करता हूं, और अभी जो प्रगतिशील कदम उठाये जा रहे हैं उनके सम्बन्ध में इतना ही कहना चाहता हूं, कि इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए गवर्नमेंट मशीनरी सोशियेलिस्ट ओरियेन्टेड नहीं हैं और सोशियेलिस्ट ओरियेन्टेड उनको किसी प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि इम्प्लीमेन्टेशन अच्छी तरह से हो, और यह जो पैसा स्वीकृत हुआ है उसका किस प्रकार से सदुपयोग हो इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और हमारी गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए।

जयहिन्द !

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारीलाल।

श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष, सदन में बजट पर जो वाद विवाद हो रहा है कई माननीय सदस्यों ने उस पर अपने विचार प्रकट किये हैं और उस पर अलग अलग प्रतिक्रिया सदस्यों ने प्रकट की है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो सदन में बजट प्रस्तुत किया है उसको बड़े पत्थर दिल से प्रस्तुत किया हैं। मैं यह मानकर चलता हूं कि हर वित्त मंत्री का दिल कठोर होता है और सख्त होता है, क्योंकि यदि वित्त मंत्री का दिल कठोर नहीं होगा तो वह नये टैक्स नहीं लगा सकेगा, और जब तक टैक्स नहीं लगायेगा तब तक राज्य के विकास के कार्य नहीं हो सकेंगे। पैसे की जो कमी आती है उसको कहां से पूरा किया जायेगा, परन्तु अब की बार वित्त मंत्रीजी जरूरत से ज्यादा कठोर हो गये हैं। इसका कारण यह है कि कई टैक्स ऐसे लगा दिये गये हैं या बढ़ा दिये गये हैं जो वास्तव में नहीं लगाये जाने चाहिए, थे और न बढ़ने चाहिए थे। वैसे तो हम पिछला रेकार्ड देखें तो उससे साफ जाहिर होता है कि चुनाव के पहले का जो भी बजट होगा वह हर बजट संतुलित रखा जाता है, क्योंकि सरकार को जनता से वोट लेना होता है। इसी तरह से पिछले रेकार्ड को देखेंगे तो चुनाव के बाद के जितने भी बजट होंगे व भयंकर होंगे और जनता पर हैवी टैक्सेज लेकर होंगे।

तो मेरा यह निवेदन है कि यह भी चुनाव के बाद का बजट है। उपाध्यक्ष

(श्री बनवारी लाल)

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर यह बजट बनाया किसलिए जाता है ? प्रदेश में जो गरीब जनता है और जो पिछड़ी हुई जनता है, जो कि कष्ट में हैं, उनके कष्टों को दूर करने के लिए उनको ऊंचा उठाने के लिए, कार्य किये जा सकें। लेकिन जिस बजट से उनका कष्ट दूर करना तो अलग बात रही, ऊंचा उठाने की बात तो अलग रही, उनकी परेशानियां उलटी जिस बजट से बढ़ जाती हैं, उस बजट को जनता के हित में बताना एक दिखावा मात्र है।

वास्तव में मैं कहता हूं कि राजस्थान का विकास हुआ है और यह कहकर नहीं चल सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन कम्पेरिटिवली दूसरे प्रदेशों से तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं तो राजस्थान में जितना विकास हुआ है वह उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए था। यों तो हर क्षेत्र में, प्रदेश में, तरक्की हुई है। अस्पतालों की दृष्टि से देखें, शिक्षा की दृष्टि से देखें और नये नये कार्यों को देखें तो काफी खर्चा हुआ है, लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद भी जैसा हम विकास चाहते हैं उसका प्रबन्ध नहीं कर पाये हैं और आदमी को जिन्दा रखने का प्रोग्राम हाथ में नहीं ले सके हैं। लोगों को रोजगार नहीं दिला सके हैं। तो ऐसे बजट से क्या फायदा है ? यह आमतौर से एक रिवाज सा पड़ गया है कि सदन में बजट प्रस्तुत किया जाता है, उस पर बहस हो जाती है और बजट पास कर दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि वास्तव में जो प्रदेश की जनता के विकास की बातें हैं, उनको ख्याल में रखकर, बजट प्रस्तुत किया जाय। हम देखते हैं कि प्रति वर्ष नये टैक्सेज लगा दिये जाते है, और आखिर सैल्स टैक्स को क्या समझ लिया है। उसको एक कामधेनु के रूप में समझ लिया गया है कि जितना चाहो वह दूध दे देगी, जितना ज्यादा रुपया चाहिए उतना उससे वसूल कर सकेंगे ? लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं और राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सैल्स टैक्स पर ज्यादा जोर नहीं देकर और कोई तरीका अपनाकर, इस घाटे को पूरा करें, क्योंकि इससे जनता परेशान रहती है, और यहां तक हालत हो गई है कि इस सैल्स टैक्स की वजह से जनता की रोटी और रोजी भी छिनती जा रही है। राजस्थान के उद्योग-धन्धों को अगर किसी ने खत्म किया है तो राजस्थान के भारी करों ने। इसके कारण क्या होता है कि लोगों ने इस प्रदेश में उद्योग-धन्धे खोलना बन्द कर दिये और दूसरे प्रदेशों में जाकर खोलते हैं। मैं इसलिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि सैल्स टैक्स डिपार्टमैंट पर ज्यादा जोर नहीं देकर कोई नया अन्य तरीका अपनायें ताकि इस घाटे को पूरा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे यहां पर बेरोजगारी की भयकर समस्या है। बेरोजगारी की समस्या वैसे अकेले राजस्थान में ही नहीं है, यों तो सारे हिन्दुस्तान मे ही यह समस्या है, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को दूर करने के लिए इस बजट में सरकार ने काफी प्रावधान रखा है। इन्जीनियर्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पहले से ही

Page No 113

(श्री बनवारी लाल)
वजीफे का प्रावधान रखा है, उसकी अवधि, 2 वर्ष से बढ़ाकर अब 3 वर्ष की कर दी गई है। जो ट्रेन्ड टीचर्स बेकार हैं तो आपने नये प्राथमिक स्कूल और मिडिल खोले हैं, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि गरीब आदमियों के बच्चों के लिए जो कि शिक्षा नहीं ले पाते हैं या जिन्होंने केवल मैट्रिक या हायर सेकेन्डरी पास किया है उनको रोजगार दिलाने के लिए कुछ नहीं सोचा गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उनको रोजगार दिलाने के लिए व्यवस्था करें।

यह तो ठीक है कि ग्रामों में बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने क्रेश प्रोग्राम के लिए सोचा है। वैसे क्रेश प्रोग्राम से सही विकास के कार्य होंगे और जनता को रोजगार मिलेगा लेकिन उसमें कई कानूनी अड़चनें और दिक्कतें आती हैं। विभाग के द्वारा जो कार्य कराये जाते हैं उनका पैसा पंचायत समिति के द्वारा कलेक्टर के यहां मन्जूरी के लिए जाता है इससे मजदूरों को पैसा मिलने में ज्यादा असुविधा होती है। इस कारण से मजदूर काम पर आने में हिचकिचाता है। क्रेश प्रोग्राम मे कानून को और सरल करके डाइरेक्ट विभाग के द्वारा पैसा खर्च किया जाना चाहिए। यह मेरा निवेदन है।

जिस क्षेत्र से मैं आया हूं वहां की बेरोजगारी की समस्या के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। धौलपुर सब-डिविजन की समस्या बहुत ज्यादा है। सुबह खाने को है तो शाम को नहीं है। बहुत मुश्किल से अपना और अपने बच्चों का गुजारा कर पाते हैं। पहले वहां पर दो फैक्ट्रियां थीं—एक ग्लास फैक्ट्री और दूसरी हाइटेक। उनमें 1500 मजदूर काम करते थे। दुर्भाग्यवश उन दोनों के बन्द होने से 1500 मजदूर बेकार हो गये तो 7500 आदमी मुसीबत में आ गये। दूसरी हाइटेक फैक्ट्री है वह भी कभी कभी चलती है। अब उसमें मशीनें लग जाने के कारण पहले 300 मजदूर काम करते थे अब 150 मजदूर कार्य करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि धौलपुर में इस बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए सरकार को कोई न कोई प्रबन्ध करना चाहिये ताकि जो जनता भूखों मर रही है, उसको बचाया जा सके। भूतपूर्व मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने वहां की जनता को यह आश्वासन दिया था कि वहां पर एक कारखाना लगायेंगे। आज के मुख्य मंत्री भी वहां पर गये। इन्होंने भी आश्वासन दिये। लेकिन वह कहां गये इसका पता नहीं है। वैसे और जगहों पर कारखाने लगाये जाते हैं। अलवर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, लगाये जाते हैं। यह जो कुछ भी किया जा रहा है, राजनैतिक दृष्टि से किया जा रहा है। यह राजनैतिक दृष्टि से नहीं होना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि तेल शोधक कारखाना जो लगने को है, वह धौलपुर में लगाया जाना चाहिए। इसके लिये इस राजस्थान सरकार को, केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालना चाहिए। अगर सरकार ने इस पर जल्दी ही विचार नहीं किया तो बहुत ही दिक्कत हो जायेगी। दूसरे में शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि ये जो मिडिल स्कूल और प्राथमिक स्कूल खोले हैं, इससे जो ट्रेण्ड लोग बैठे थे उनको काफी सहारा मिलेगा। दूसरे शिक्षा के प्रति जो खर्चा किया जाता है और प्राइवेट संस्थाओं को

(श्री बनवारी लाल)

जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है, उसकी अक्सर यहां पर चर्चा होती है। इन प्राईवेट संस्थाओं को बन्द किया जाये। इन सारी संस्थाओं को सरकार लेले। 50 लाख जो उनको दिया जाता है और जगह जगह तनख्वाओं में घोटाला होता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार ऐसी संस्थाओं को बन्द करे। राज्य सरकार को अलग से स्कूल खोलने चाहिये। दूसरा मैं यह भी निवेदन करूंगा कि धौलपुर में पोस्ट ग्रेज्युएट कालेज खोलना चाहिए। इसके अलावा ला सैक्शन भी वहां पर खोलनी चाहिए। वहां पर लोगों को इसके लिए आगरा और मध्य प्रदेश की ओर जाना पड़ता है। शिक्षा के बारे में वहां पर लोगों को दूसरी जगहों पर जाता पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि धौलपुर में पोस्ट ग्रेजुएट और ला क्लासिज खोली जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगा, हालांकि जो बजट में टैक्स लगे हैं, वे किसानों के ऊपर ही लगे हैं। अगर ये टैक्स नहीं लगाये जाते तो सरकार ने औषधालयों और स्कूलों के लिए जो बजट रखा है, वह कहां से आता? कृषि को ऊंचा उठाने के लिए योजना स्वीकार की गई है। इसमें 9 प्रोजेक्ट खोले गये हैं कृषि को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे है। इसके साथ लैण्ड मार्गेज बैंक है, उसके बारे में भी निवेदन करूंगा कि वहां काश्तकारों को 6, 6 महिने तक ऋण नहीं मिलता है। कभी बी.डी.ओ. से सार्टिफिकेट लाने को कहा जाता है। कभी पटवारी से सार्टिफिकेट लाने को कहा जाता है। ग्राम सेवक से सार्टफिकेट लाना पड़ता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उन नियमों को सरल बनाया जाये ताकि किसान उनका उपयोग कर सकें। अभी वह उपयोग नहीं कर पाते हैं।

दूसरे उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने चम्बल के खारों को एकसा करने के लिए कुछ बजट रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि धौलपुर में चम्बल के काफी खार हैं। वहां डकैतों की भी समस्या है। वहां पर जो उबड़ खाबड़ जमीन है, उसको एकसा करके, वह जमीन लोगों को अलाट कर दी जाये। मैं वित्तमन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उन्होंने जो 400 नलकूप खोद कर उनको बेचने का जो नियम बनाया है, यह ठीक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि जो भी योजना या नियम बनायें वह एक से बनायें। एक तहसील में तो 50 ट्यूबवेल खोद कर सरकार रन करेंगी। और उसी से लगी हुई तहसील में गवर्नमेंट ट्यूबवेल खोदेगी और फिर लोगों को बेच रही है। ऐसी चीजें राजनैतिक दृष्टि से न होकर वास्तविक दृष्टि से होनी चाहिये। जहां पर सर्वे करा लिया गया हो, जहां पर पानी हो, जहां जरूरत हो- वहां पर ट्यूबवेल खोदना चाहिए। मेरे क्षेत्र में मालोनी ग्राम है, वहां काफी मात्रा में पानी उपलब्ध है। अभी उसको चालू नहीं किया गया है। वहां उसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं है। वैसा ही पड़ा है। अतः मेरा निवेदन है कि मालोनी ग्राम में जो ट्यूबवेल खोदा गया है, उसको चालू कराया जाये। मैं विद्युतिकरण के बारे में भी निवेदन करूंगा। 5 हजार बस्तियों को बिजली देने का प्रावधान रखा गया है।

(श्री बनवारी लाल)

मेरी राय में यह टारगेट बहुत कम है। इसके बारे में अगर कृषि को महत्व दे रहे हैं तो कृषि का इससे अधिक सम्बन्ध है। इसके बारे में ज्यादा टारगेट फिक्स किया जाये। मैं धौलपुर की योजना के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं, हालांकि राजस्थान सरकार खुद इ‌ संकल्प है। इसी उद्देश्य को लेकर 17 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा है। धौलपुर में पानी की योजना प्रारम्भ की गई है। दो वर्ष से विद्युत रखी गई है। वहां की समस्या को देखकर क्या कारण है कि धौलपुर की समस्या को पूरा नहीं किया?

श्री खेतसिंह (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, जब तक माननीय सदस्य अपनी स्पीज समाप्त न कर लें, तब तक के लिए सदन का समय ब‍ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है?।

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री बनवारी लाल : मैं निवेदन कर रहा था कि धौलपुर में जल की समस्या है इसलिए वहां जल प्रदाय योजना को शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाय लेकिन वहां पर कुछ दिक्कत आ रही है यह मैंने सुना है। मैं वहां वाटर वर्क्स के चीफ इंजीनियर से मिला। उन्होंने दिक्कतें बताई कि जो पाइप लाइन डालनी है वह केन्द्रीय सरकार के नेशनल हाई वे में है उसमें दिक्कत आ रही है, वह मदद नहीं दे रही है। इस वजह से जल प्रदाय योजना की तीन वर्ष से कोई प्रगति नहीं हुई है। वास्तव में यह दिक्कत है तो राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से विचार करके कुछ समाधान इसका निकालना चाहिये ताकि जल प्रदाय योजना जल्दी से जल्दी पूरी की जा सके और जनता का जल का संकट दूर किया जा सके।

ग्रामीण क्षेत्र में जल की समस्या के बारे में निवेदन है कि रेगिस्तान में पानी की विषम समस्या है। लेकिन धौलपुर सब डिवीजन की ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वहां पर गांवों में यह समस्या है कि वहां कुए नहीं है और कोई साधन नहीं है, इसलिए वहां से दो दो मिल दूर जाकर चम्बल नदी से एक दो फर्लांग घाटी में चढ़ कर पानी भर कर लाना पड़ता है। मोरली बीछिया, नगर के अन्दर ऐसे गांव हैं इन गांवों की जनता के सामने पीने के पानी की दिक्कत आती है और उनको कीचड जैसा पानी पीना पडता है।. इसके साथ ही चम्बल की घाटी में चढना पडता है, जहां से यदि नीचे गिर जाय तो सौ दो सौ फीट नीचे गिर जायं। इतना खतरा है। तो आज के समय दस करोड़ का प्रावधान ग्रामीण जल प्रदाय योजना के लिए रखा है तो इससे धौलपुर को वंचित नहीं रखा जाय और जल प्रदाय योजना वहां, इस समस्या को ध्यान में रख कर, चालू की जायं।

मैं निवेदन करूं, सड़कों के बारे में, अस्पतालों के बारे में। धौलपुर सब डिवीजन में वैसे तो इस साल नई सड़कों का प्रावधान इस बजट में नहीं रखा है, फिर भी मे निवेदन करूंगा कि आप भले ह

(श्री बनवारी लाल)

नई सड़कें न बनायें लेकिन जो पुरानी सड़कें बनी हुई हैं, उनकी हालत ऐसी होनी चाहिये कि आसानी से गाडी उन पर चल सके। एक तरफ आप टैक्स, रोड टैक्स बढा रहे हैं, पच्चीस से पैंतीस तक एक्सीड कर रहे हैं, इसमें मुझे एतराज नहीं है। मैं मानता हूं कि बढ़ना चाहिये लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार टैक्स बढाने की हकदार है, टैक्स वसूल करने की राज्य सरकार को जरूरत है, लेकिन उसके बाद में इतनी सुविधा दी जानी चाहिये कि जब रोड टैक्स लिया जाता है तो रोड की हालत अच्छी होनी चाहिये। धोलपुर से भरतपुर बाड़ी से सेवी सडक की हालत देखें, वहां पर लोगों का चलना मुश्किल है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आन-दी-होल धोलपुर सब डिवीजन की सडकों की हालत खराब है, उनकी रिपेअर कराकर उनकी जो दयनीय स्थिति है, उसको ठीक कराया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कम से कम मिनिस्टर्स और सरकार अपने उन आश्वासनों को पूरा करें जो उनके द्वारा पब्लिक में दिये जाते है या सदन में दिये जाते हैं। मैं आपका इस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि धोलपुर अस्पताल को अपग्रेड करने के बारे में कहा गया था। जब वहां भूतपूर्व मुख्यमंत्री पधारे थे तो वहां की जनता ने यह मांग की थी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने यह आश्वासन दिया था और अब के मुख्य मंत्री जी भी यह आश्वासन दे आये हैं कि धौलपुर अस्पताल को 'बी' ग्रेड में क्रमोन्नत कर दिया जायगा। जिस अवधि का आपने आश्वासन दिया था, उस अवधि को बीते हुए कई महीने हो गये हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि धौलपुर अस्पताल को अपग्रेड करने के बारे में मामला कहां अटका हुआ है इस पर ध्यान देकर इस आश्वासन को पूरा करना चाहिये।

मैं निवेदन करूं कि आज के समय में हर सरकार, राज्य सरकार, का फर्ज होता है कि प्रदेश की जनता को सस्ता न्याय दिला सके। मैं खास तौर से निवेदन करना चाहता हूं, मेरी समझ में नहीं आता है सरकार इसको प्रेस्टिज इश्यू क्यों बनाती है। सरकार की यह क्या परम्परा सी होती जा रही है कि यदि मांग वास्तव में जेनुआइन है, या गैर जेनुआइन है, किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका शांतिपूर्वक समाधान या सुलझाव पसन्द नहीं करती है। जब हिंसात्मक तरीके से अपनी समस्यायें रखी जाती हैं तब वह विचार करती है। इसी का परिणाम है कि आज जगह जगह हडताल हो रही हैं। सरकार की ऐसी परम्परा होती जा रही है। अभी मजदूरों और कर्मचारियों की हडताल हुई, उनकी मांगें आसानी से नहीं सुनी तो उन्होंने हडताल कर के काम करना बन्द कर दिया, तब सरकार ने उन पर गौर किया। इसी तरह से रोडवेज की हडताल हुई। इसी तरह से अभी

(श्री बनवारी लाल)
भंगियों की हडताल हुई। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वाजिब जो मांगें हैं और जिनके कारण लोग परेशान हैं तो उनको पूरा करने की ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और उनकी मांग को पूरा करना चाहिए। ऐसी परम्परा क्यों डाल रहे हैं कि वह हडताल करें और हिंसात्मक कार्यवाही पर उतारू हों तब ही उनकी मांग पूरी करें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हर जगह, हर प्रान्त में, न्याय सस्ता होने की आशा रहती है लेकिन इस प्रदेश में हाई कोर्ट को देखिये, अगर कोई न्याय लेना चाहें तो चार सौ, पांच सौ मील जाकर उसे न्याय लेना पड़ता है। हर प्रदेश में हाई कोर्ट की बेंच हैं, तो राजस्थान सरकार को जयपुर के शहर, जो इधर के जिलों में बीच में हैं, बेंच स्थापित करने में क्या आपत्ति आ रही है—मेरी समझ में नहीं आता है। हम जोधपुर की शोभा नहीं मिटाना चाहते, हम चाहते है कि जो हाई कोर्ट है वह वही रहे, लेकिन जयपुर के अन्दर उसकी बेंच आ जाय ताकि जो लोगों की परेशानी है, उसको हल कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस समस्या पर वास्तव में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर सरकार ने इसका शांतिपूर्वक हल नहीं निकाला तो यहां के लोगों को कुछ और सोचना पड़ेगा जिसके लिए मैं पहले से ही सरकार को निवेदन करना चाहता हूं।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूं, सिंचाई के बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कम से कम मंत्रियों को, सरकार को, इतना खयाल रखना चाहिए कि जो आश्वासन दिये जाते हैं, जो पत्थर खड़े किये जाते हैं जो फाउण्डेशन खड़ी की जाती है, उनका ध्यान रखें। भले ही विभाग बदल जाते हों, मंत्री नहीं रहते हों, तब भी दूसरे मंत्री का फर्ज हो जाता है कि मेरे से पूर्व मंत्री कोई पत्थर लगा आये हैं तो उस काम को पूरा कराना मेरा फर्ज है . .

श्री केदारनाथ : रिपेयर करवा दें।

श्री बनवारी लाल : किसकी ?

श्री केदारनाथ : नये मंत्री उसकी रिपेअर तो करवा दें, मेन्टेनेन्स करवा दें।

श्री बनवारी लाल : पत्थर की मेन्टैन्स ?

श्री केदारनाथ : और क्या ?

श्री चन्दमल बैद : मजा रहेगा ऐसा तो।

श्री बनवारीलाल : मैं निवेदन करूं कि रात के खार की योजना थी, उसका शिलान्यास भूतपूर्व सिंचाई मंत्री रामप्रसाद लड्ढा द्वारा किया गया था, वहां पर वह पत्थर खड़ा हुआ है और लड्ढा साहब के बारे में कई प्रकार की राय बन रही है। इस समय सदन में सिंचाई मंत्री हैं, उनका ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो स्कीमें अधूरी पड़ी हैं, उनको पूरा करने का बजट में प्रावधान रखें और उसके लिए फण्ड नियत करें।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं धौलपुर के बारे में हम ऐसी मांग करते

(श्री बनवारी लाल)

आये हैं कि धौलपुर को अलग से जिला घोषित किया जाय। लेकिन अलग से जिला नहीं किया जाता है। मुझे उम्मीद थी, वित्त मंत्री जी बजट भाषण में जिलों के पुर्नगठन के बारे में विचार प्रकट करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर उनकी ऐसी कौनसी जिद् है, अगर उनका वास्तव में किसी की जायज मांग है तो उसे पूरा करने में क्या आपत्ति है, चाहे कुछ कधिक खर्च करना पड़े। हम यह बात नहीं मानते हैं, जैसी कि उनकी विचारधारा है, कि धौलपुर को जिला बना दिया तो और जिले भी बनाने पड़ेंगे। मैं दुबारा निवेदन करना चाहता हूं कि हम नहीं कहते कि अकेले धौलपुर को ही जिला बनाया जाय, जहां भी जिला बनाना उपयुक्त है और बनाना जरूरी है, जो भी क्राइटेरिया हो उसके हिसाब से अगर जिलों का पुनर्गठन होता है तो वह बनाये जायं। धौलपुर का जो रूप है, उसके विशेष कारण हैं, इसलिये उसको अलग से जिला बनाया जाय उससे 150 डेढ सौ मील दूर जिला हैड क्वार्टर है तीन प्रदेशों की सीमा लगती हैं, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय में समाप्त कर रहा हूँ। तो दूसरे प्रदेश में जाकर हैड क्वार्टर पर जाना पडता है। जिला हैड क्वार्टर जाने के लिये दूसरे प्राविन्स में होकर जाना पड़ता है क्यों कि ऐसा रूट नहीं है जिससे वहां जाया जा सके। इससे जनता को परेशानी उठानी पड़ती है। मैं निवेदन करूंगा कि धौलपुर सब डिवीजन है, आज राजस्थान के कई जिलों से, चार पांच जिलों से, जनसंख्या वहां ज्यादा है, तहसील ज्यादा है, रैवेन्यू ज्यादा है। फिर क्या कारण है कि जिला नहीं बनाते हैं? मेरा खयाल यह है कि यह कारण है, राजनैतिक जबर्दस्ती नहीं होती है, राजनैतिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है जिसके कारण से यह नहीं बनता है, अदरवाइज क्या कारण है, चाहे जनसंख्या लें, चाहे आमदनी लें, चाहे तहसील लें-इसके हिसाब से जिला बना सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को वहां की जनता के साथ में न्याय करना चाहिए, यह वहां की जनता की वाजिब मांग है, इसे पूरा करना चाहिए यदि वास्तव में जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहते हैं। यही मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस पर गौर करें।

यह कह कर जो वित्त मन्त्री ने बजट सदन में प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण। सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल पांच बज कर दस मिनट पर शनिवार दिनांक 29-4-72 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 59 की सूची)

राजस्थान राज-पत्र

एकस्ट्रा आर्डिनरी

फाल्गुन 30, सोमवार, शक सम्वत् 1893-मार्च 20, 1972

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (क) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 10, 1972।

सं. प. 17 (1) गृ. (क)/72:--चूंकि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि गणेश चंद्र जोशी मन्वतर द्वारा लिखित और मन्वतर प्रकाशन संस्थान, "वन मानस (प्रथम खंड)" एवं "अशोक वासिनी, वन मानस (द्वितीय खंड) नामक पुस्तकों के निम्न सर्ग एवं पृष्टः—

(1) जनकजा वनमानस (प्रथम खन्ड):—

क्र. सं. 1	सर्ग 2	पृष्ठ संख्या 3
1	25	163
2	26	165
3	27	168
4	29	171–172
5	30	173–174
6	31	175–176
7	32	177–178
8	34	182–183
9	35	184–185
0	36	186–187
11	3?	188–189
12	38	191

Page No 120

1	2	3
13	39	192-193
14	40	196-197
15	41	199
16	42	201
17	43	202-203
18	44	204-205
19	45	207-208
20	46	209-210
21	47	211-212
22	48	213-214
23	49	215-216
24	50	217-218
25	51	219-220
26	52	221-222
27	69	261-262
28	70	263-264
29	71	266
30	74	271-272

(2) अशोक वासिनी वन मानव (द्वितीय खंड)

1	1	2
2	2	3
3	3	6-7-8
4	11	25-26
5	12	27-28
6	14	32-33
7	15	34-35-36
8	17	42
9	19	46-47-48
10	20	49-50
11	21	51-52

1	2	3
12	22	53-45
13	23	55-5 -57
14	24	58-59
15	25	61-62-63
16	26	64
17	28	68-99-70
18	29	71-72-73
19	30	74-75
20	31	76-77
21	32	80
22	39	97
23	40	98-99
24	41	101
25	42	104
26	44	108-109-110
27	49	120-121-122
28	53	135-136
29	65	161-162
30	67	165-166-167
31	69	169
32	71	173-174
33	72	178-179-180
34	77	192
35	80	198
36	82	202-203
37	85	208
38	86	209-210-211
39	88	214
40	89	216-217-218

पर आये पद्य घोर आपत्तिजनक और प्रकोपकारी हैं और उनमें ऐसी बातें हैं जनका आशय सनातनी हिन्दुओं के धर्म और धार्मिक विश्वासों का अनादर करके उक्त

Page No 122

वर्ग की धार्मिक भावनाओं को विमर्शतः और विद्वेशतः आहत करना और ऐसी सामग्री का प्रकाशन भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 295—क के अधीन दण्डनीय है ।

अतः अब दण्ड प्रक्रिया संहिता (1898 का. सं. 5) की धारा 99—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा 'जनकजा' वन मानव (प्रथम खण्ड) "एवं" अशोक वासिनी वन मानव (द्वितीय खण्ड)" नामक उक्त दोनों पुस्तकों की प्रत्येक प्रति को राजस्थान राज्य सरकार के लिये समपहृत घोषित करती है।

राज्यपाल के आदेश से
कुसुम प्रसाद,
उप शासन सचिव ।

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

जयपुर शहर के स्कूल

78. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जयपुर शहर में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, माध्यमिक पाठशाला, तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल कितने कितने और कहां कहां हैं ?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर नगर की जनसंख्या के अनुपात में ऐसे विद्यालयों का बहुत बड़ा अभाव है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कब और क्या करने का विचार कर रही है ?

(3) क्या यह सही है कि अधिकांश राजकीय विद्यालय बहुत ही पुराने जीर्ण-शीर्ण भवनों में चल रहे हैं ? यदि हां, तो कौन कौन से हैं ? इस सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करना चाहती है ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) यह सही है कि जयपुर शहर में विद्यालयों का अभाव है। नये विद्यालयों को खोलने का मामला सारे राज्य से संबंधित हैं। सारे राज्य से अलग केवल जयपुर शहर पर विचार संभव नहीं है।

(3) प्रश्न (1) के उत्तर में जो सूची प्रस्तुत की गई हैं उसमें यह सूचना निहित है। यह सही नहीं है कि अधिकांश भवनों की दशा ठीक नहीं है। राजकीय शाला भवनों की मरम्मत आदि का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है। वित्तीय साधनों की उपलब्धि के अनुसार ही मरम्मत का कार्य किया जा सकता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्कालय में रखी गई।)

बीकानेर में बुनकरों के भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र

79. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा): क्या नगर आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि बीकानेर शहर के औद्योगिक क्षेत्र गंगाशहर बाजार में अनुसूचित जाति के बुनकरों द्वारा बसने के लिए अल्प दर पर भूमि आवंटन करने के लिए यू. आई. टी. बीकानेर को प्रार्थना-पत्र दिए गए हैं ? अगर हां, तो कब तक इन अनुसूचित जाति के लोगों को बसने के लिए भू-खण्ड आवंटित कर दिए जावेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, 38 व्यक्तियों का एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 24-[illegible]-72 को प्राप्त हुआ है। क्षेत्र का प्लान बनाकर मुख्य नगर आयोजक, जयपुर को भेजा गया है,

(नगर आयोजन मंत्री)
मुख्य नगर आयोजक से मानचित्र प्राप्त होने पर न्यास की बैठक में विचारार्थ रखा जावेगा।

छबडा कस्बे में नल योजना का कार्य

80. **श्री जगमोहन सिंह** (छबडा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) छबडा कस्बे में नल योजना का कार्य अधूरा क्यों पडा है और इसे पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि छीपाबड़ोद जो कि 8000 की आबादी का कस्बा है वहां नल योजना चालू करने के लिये जनता की ओर से मांग की गई थी ? यदि हां, तो इसे स्वीकृत क्यों नहीं किया गया? अगर यह योजना स्वीकृत हो चुकी है तो इसका कार्य शुरू करने में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

उत्तर

(1) कार्य प्रगति में है केवल नल बिछाने का कार्य लगभग 20% को छोड़ कर समस्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है बाकी के कार्य को भी शीघ्र पूर्ण करवाने हेतु भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

(2) जी हां, योजना राज्य सरकार के विचाराधीन है। अभी तक पंचायत ने जन सहयोग की पूरी धन राशि जमा नहीं करवाई है।

चित्तौडगढ में पर्यटन के विकास की योजना

81. **श्रीमती निर्मला शक्तावत** (चित्तौड़गढ) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) ऐतिहासिक नगरी चित्तौडगढ़ में पर्यटन के विकास की क्या योजना है ?

(2) क्या यह सही है कि पर्यटन के विकास हेतु यहां गम्भीरी नदी पर ऐनीकट बनाने की योजना थी ? तथा वह शुरू तो हुई पर लम्बे समय से उसका काम पड़ा है यदि हां, तो क्यों ? इस योजना के पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

उत्तर

(1) पर्यटकों के ठहरने की सुविधा हेतु चित्तौड़गढ़ में एक पर्यटक विश्राम गृह के निर्माण की योजना वित्तीय वर्ष 1970-71 में चालू कर दी गई है। गवर्नमेण्ट सराय, चित्तौडगढ़ का निर्माण हो चुका है जिसमें तीन डबल कमरे व आठ सिंगल कमरे हैं। राज्य सरकार की ओर से यहां एक पर्यटक सूचना केन्द्र खोला हुआ है जो पर्यटकों को हर सम्भव जानकारी देने का प्रयास करता है। दर्शनीय स्थानों को देखने के लिए पर्यटकों की सुविधा हेतु राज्य सरकार की ओर से एक पर्यटक सब भी चालू है।

(2) गम्भीरी नदी पर ऐनीकट बनाने की पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत कोई योजना नहीं है।

भूमि वन्धक बैंक बालोतरा

82. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भूमि वन्धक बैंक, बालोतरा ने नवम्बर, 1971 से फरवरी, 1972 तक कितना रुपया जीप पर व्यय किया तथा यह जीप किसकी है ? कृपया माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बैंक ने नवम्बर, 1971 से फरवरी, 1972 की अवधि में कितना रुपया वितरित किया और कितना रुपया वसूल किया ? कृपया माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भूमि वन्धक बैंक, बालोतरा ने माह नवम्बर, 71 से फरवरी, 72 तक 8563–04 पैसे जीप पर व्यय किया गया है यह जीपें सर्वश्री यूसुफ अली गुलाम हुसैन एवं मोहम्मद खां, की थीं। इस खर्चे का माहवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर है।

(2) उक्त बैंक ने नवम्बर, 71 से फरवरी, 72 तक की अवधि में कुल 94050.00 रु. का ऋण वितरण किया है। और कुल रु. 87902.13 पैसे की रकम वसूल की है, उक्त अवधि में ऋण वितरण एवं ऋण वसूली का माहवार विवरण परिशिष्ट 'ख' पर है।

परिशिष्ट 'क'

जीपों का विवरण

क्र. सं. 1	माह 2	किराया 3	पेट्रोल आदि 4	योग 5	जीपों के मालिक 6
1.	नवम्बर 71	1320|–	1193.08	2513.08	सर्वश्री युसुफ अली
2.	दिसम्बर 71	1540|–	1167.06	2707.06	,, ,, गुलाब हुसैन
3.	जनवरी 72	1375|–	1387.90	2762.90	,, , मोहम्मद खां
4.	फरवरी 72	330|–	250.00	580.00	,, ,, ,, ,,
				8563.04	

परिशिष्ट 'ख'

क्र. सं.	ऋण वसूली			ऋण वितरण
	मूलधन	ब्याज	योग	
1–नवम्बर 71	14823–72	4699–20	19522–92	37800–00
2–दिसम्बर 71	7055–38	4219–69	11275–07	32000–00
3–जनवरी 72	13824–35	15542–04	29366–39	16250–00
4–फरवरी 72	11973–19	15764–56	27737–55	8,000–00
योग :–	47676–64	40225–49	87902–13	94050–00

काश्तकारों को खेती व इमारती कार्य के लिये लकडी

83. **श्री राजेन्द्रसिंह** (उनियारा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य सरकार द्वारा काश्तकारों को खेती व इमारती लकड़ी एक डिस्ट्रिक्ट के जंगलात से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में न ले जाने के आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यदि नहीं, तो उनको क्यों रोका जा रहा है ?

उत्तर

जी नहीं। एक जिले से दूसरे जिले में वन पैदावार के पारनयन (ट्रांजिट) को रोका नहीं जा रहा है। किन्तु वन पैदावार के इस प्रकार ट्रांजिट के लिए नियमानुसार ट्रांजिट पास लेना आवश्यक है।

सादडी, बाली, मुंडारा आदि ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

84. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सादड़ी, बाली, मुंडारा, फालना व बेडा मे पीने के पानी की व्यवस्था जल प्रदाय विभाग के जिम्मे है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों में पीने के पानी की अत्यन्त कमी के कारण ग्राम जनता में तीव्र असन्तोष है और आने वाले महीनों में इस समस्या के और अधिक गम्भीर हो जाने से जनता की कठिनाइयां बढ़ने की सम्भावना है ?

(3) राज्य सरकार इन ग्रामों में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हेतु क्या कदम उठा रही है और तत्काल राहत हेतु क्या व्यवस्था कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां, बाली, सादड़ी, मुंडारा में पेय जल की विकट समस्या है।

(3) उचित स्रोतों के लिये तलाश की जा रही है। गर्मियों में कुओं की सफाई करवाई जाती है व यथा संभव कुये गहरे भी करवाये जाते हैं।

रसीदपुर ग्राम में हायर सैकेन्डरी स्कूल

85. **श्री विश्वम्भर दयाल** (महुवा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) महुवा तहसील के रसीदपुर ग्राम का मिडिल स्कूल अभी तक हायर सेकेण्ड्री स्कूल में उन्नत क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह भी सही है कि वहां पर विद्यार्थियों की व पढ़े लिखे लोगों की सख्या काफी है, जबकि इससे छोटे ग्रामों के स्कूल जैसे कि टोडा भीम तहसील के करीरी को उन्नत कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार की नीति के अनुसार कोई भी विद्यालय मिडिल स्कूल से

(शिक्षा मंत्री)
हायर सैकण्ड्री स्तर में क्रमोन्नत नहीं किया जाता है।

(2) यह सही है क्षेत्र की आवश्यकता एवं गुणावगुण के आधार पर करीरी शाला को क्रमोन्नत किया गया था।

जंगल में आग लगने से क्षति

86. श्री **चिम्मनसिंह भाटी** (भीम): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले के रावलो रेंज व उससे लगते हुए पाली जिले के खोडिया रेन्ज के सहकारी जंगल में 15 मार्च, 1972 से 20 मार्च, 1972 के बीच में आग लगी थी? यदि हां, तो आग लगने का क्या कारण था? तथा इससे कितने एकड़ जंगल रावली का व कितने एकड़ खोडिया का जला और कुल कितने की हानि हुई?

(2) क्या रेन्ज ऑफीसर रावली (अजमेर) व रेन्ज ऑफीसर खोड़िया (पाली) ने मौके पर पहुँचकर इस दुर्घटना की सूचना क्रमशः मण्डल वन अधिकारी, अजमेर व मण्डल वन अधिकारी पाली को दी? यदि हां तो उन्होंने इस पर क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी हां, आग 20–3–72 को आकस्मिक लगी। आग से रावली रेन्ज के 384 हैक्टर तथा खोड़िया रेन्ज के लगभग 40 हैक्टर क्षेत्र में घास व छोटे सूखे व सूखी गिरी पड़ी लकड़ी जली। इस आग से लगभग 840/– रुपये की हानि हुई।

(2) जी हां। आग की सूचना रेन्ज अधिकारी रावली ने मण्डल वन अधिकारी को दी। रेन्ज अधिकारी अन्य स्टाफ सहित मौके पर पहुंच गए तथा स्थानीय ग्रामीणों को सहायता से आग पर नियंत्रण करने का प्रयत्न किया। तेज हवा के कारण प्रयत्न असफल होने पर सहायक वन संरक्षक, अजमेर ने उप खंड अधिकारी ब्यावर से संपर्क किया और स्वयं मौके पर गए। प्रयत्न करने पर आग 22–3–72 को पूर्ण नियंत्रण में आई। यह आग 22-3-72 को खोडिया रेन्ज में चली गई थी, जिसे स्थानीय स्टाफ ने 22–3–72 को ही शाम तक बुझा दिया।

सहकारी होल सेल भन्डार सीकर

87. **श्री गोरधन सिंह** (सीकर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या सीकर में कोई सहकारी होल सेल भण्डार है? कृपया उसकी जमा पूंजी, लेन दारी व देनदारी का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त भण्डार के संचालकों का चुनाव कब हुआ था? उसके बाद नियमानुसार चुनाव क्यों नहीं हुआ? अब चुनाव निश्चित रूप से कब तक करवा दिये जावेंगे?

(3) क्या इस भण्डार का कभी ऑडिट भी हुआ है? यदि हां, तो ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें?

(श्री गोरधनसिंह)

(4) क्या यह सही है कि इस भंडार के बहुत से सेल्समैन नौकरी छोड़कर चले गये हैं व उनमें भण्डार की बकाया है ? यदि हां, तो क्या वसूली के लिए इन सेल्समैन के खिलाफ कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(5) क्या उपरोक्त भण्डार ने अपने शेयर होल्डरों को कोई डिविडेन्ड भी दिया है?

उत्तर

(1) जी हां, सीकर में सीकर होलसेल सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि., सीकर नाम का भण्डार कार्यरत है। उसकी जमा पूंजी व लेनदारी व देनदारी का विवरण 30-6-70 का परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त भण्डार के संचालकों के चुनाव दिनांक 2–5–70 को हुआ था। संचालक मण्डल के कार्यकाल की अवधि 2 वर्ष है। अतः उक्त अवधि से पूर्व चुनाव कराने का प्रश्न ही नहीं उठता। अवधि समाप्त होने पर चुनाव करवा दिये जावेंगे।

(3) उक्त भण्डार का ऑडिट प्रतिवर्ष होता है। वर्ष 1968–69 तक का ऑडिट हो चुका है। ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां करवाने में अत्यधिक श्रम लगेगा अतः इन्हें सदन की मेज पर प्रस्तुत करना दुष्कर है। यदि विशेष सूचना अपेक्षित हो तो वह माननीय सदस्य को उपलब्ध करवाई जा सकती है।

(4) जी हां यह सही है कि इस भण्डार के 17 विक्रेता नौकरी छोड़कर चले गये हैं। इनमें भण्डार की रकम बकाया नहीं है। किन्तु भण्डार के इन कर्मचारियों द्वारा किये गये 50108.88 की राशि के गबन पाये गये हैं। जिसके लिए उचित कानूनी कार्यवाही करदी गई है।

(5) उपरोक्त भण्डार ने अपने शेयर होल्डरों को कोई डिविडेन्ड नहीं दिया है।

परिशिष्ट (अ)

सीकर होलसेल सहकारी उप-भोक्ता भण्डार लि., सीकर

सन्तुलन चित्र 30-6-70

पूंजी व दायित्व			सम्पति व विनियोग		
हिस्सा राशि					
क. राज्य सरकार	164000.00		1. रोकड हाथ में		56,565.39
ख. सहकारी समितियां	3750.00		2. रोकड बंक में		
ग. व्यक्तिगत सदस्य	84440.00		क. स्टेट बंक सीकर	2711.41	
		2,52,190.00	ख. स्टेट बंक लक्ष्मणगढ	69.72	
2. प्रवेश शुल्क		6,684.00	ग. फतेहपुर	132.02	
3. टेम्पो रिजर्व		2,818.15	घ. स्टेट बंक श्री माधोपुर	1171.99	
4. ऋण			ङ. चालू खाता स्टेट बंक सीकर	7589.70	
क. ऋण सरकार ट्रक खरीद	2000.00		च. ,, ,, ,, फतेहपुर	177.00	
ख. ऋण नगरपालिका नीम.	39900.00		छ. ,, सहकारी बंक सीकर	13.97	
ग. सीकर केन्द्रीय स. बंक	49449.58		ज. ,, ,, रामगढ	147.83	
घ. स्टेट बंक नीम का थाना	7499.13		झ. ,, ,, नीम का थाना	156.44	
ङ. खण्डेला कोआपरेटिव स्टोर	7500.00		य. ,, ,, श्रीमाधोपुर	100.00	
		1,25,348.71	त. बचत खाता सहकारी बंक सीकर	121.14	
5. अमानत		6,267.58	4.		12,391.22
			अग्रिम एडवान्सेज		
6. माल उधार खरीद		10,446.65	क. चीनी खरीद अग्रिम	18850.00	

7.	प्रतिभूति स्टाफ		13,373.37
8.	तहसील लक्ष्मणगढ		911.88
8.	तहसील लक्ष्मणगढ		
9.	विविध देनदारी		2,561.96
10.	देय दायित्व व प्रावधान		
क.	वेतन	1781.17	
ख.	किराया	1533.00	
ग.	ब्याज	25796.37	
घ.	बिजली व पानी	26.00	
ङ.	लीव सैलरी	3029.24	
च.	विधि सलाहकार	1400.00	
छ.	बोनस	8456.87	
ज.	आयकर	66-96	
झ.	समाचार पत्र व्यय	8-85	
			42,035-46
11.	अन्य देनदारियां		838-50
12.	शाखा समीकरण		2.085-61
13.	लाभ गत वर्ष		44,264-41

ख.	आयकर अग्रिम	10131.00	
ग.	फर्निचर अग्रिम	2400.00	
घ.	यात्रा भत्ता अग्रिम	1080.10	
ङ.	वेतन अग्रिम	29.11	
च.	अग्रिम व्यय तुलाई ढलाई	86.58	
छ.	उचन्त कर्मचारियों से	7723.71	
ज.	सेल्स टैक्स अग्रिम	1766.10	
			42,066.60
5.	अन्तिम स्टाक		1,57,629.57
6.	माल धरोहर		9,582.20
7.	टैम्पो	9225.42	
	बाद घिसावट	922.54	
			8,302.88
8.	स्थाई सामान बाद घिसावट	27363-19	
		2736-30	
9.	अन्य देनदारियां		24,626,89
क.	उधार बकाया	17740-50	
ख.	बिक्री बकाया	75907.50	
ग.	रोकड रामजीलाल	12591.38	
घ.	बारदाना बकाया सावरमल, श्याम सुन्दर	4026.02	
ङ.	बारदाना प्रस्तार	5568-50	
च.	तहसील नीम का थाना	3709-12	
छ.	राज्य सरकार	.51	

	ज.	माल चोरी	612.29	
	झ.	विविध लेनदारी	4056.99	
	य.	ब्याज	840.00	
				94,152.89
	10.	हानि 67-68		39,135.89
	11.	हानि 68-69		40,632.25
	12.	हानि वर्ष 69-70		13,155.43
	13.	बिक्री फर्क समतल		736.18
	14.	फर्क भूलचूक		103.89
5,09,026-28				5,09,026.28

Page No 132

बीकानेर जिले के देहाती क्षेत्र में पेय जल की समस्या

83. **श्री भीम सेन** (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के देहाती क्षेत्र में पेय जल की गम्भीर समस्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि ब्लाक कांग्रेस कमेटी, लूणकरणसर एवं क्षेत्रीय विधायक ने लूणकरणसर लिफ्ट केनाल एवं राजस्थान नहर के पास के गांवों को पाइपों द्वारा मीठा पानी उपलब्ध कराकर इस गंभीर समस्या के स्थायी हल की मांग की है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां, समस्या है।

(2) जी हां, क्षेत्रीय जल योजना बनाये जाने के लिये सर्वे कार्य किया जा रहा है।

सीकर हाउस की अवाप्ति

89. **श्री श्रीराम गोटेवाला**-(किशनपोल जयपुर)-क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर स्थित सीकर-हाउस की अवाप्ति की कार्यवाही किस तिथि को पूर्ण हुई ? वर्तमान में सीकर-हाउस पर किसका अधिकार है ?

(2) सीकर-हाउस का किस प्रयोग हेतु राज्य सरकार उपयोग करना चाहती है ?

(3) क्या यह सही कि सीकर-हाउस की अवाप्ति राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता से अधिक विलम्ब किया है ? यदि हां, तो इसका कौन दोषी है ?

उत्तर

1. जयपुर स्थित सीकर हाउस की अवाप्ति की कार्यवाही पूर्ण हुई। भूमि का आधिपत्य दिनांक 20-4-66 को न्यास को प्राप्त हुआ।

2. राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र की भूमि आवासीय एवं वाणिज्य गृह योजना के निर्माण हेतु अवाप्ति की गई है।

3. जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

नल कूप

90. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर)-क्या भू-जल मण्डल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में सन् 1971-72 में कितने नल कूप खोदे गये और मार्च, 1972 के अन्तिम सप्ताह तक कितने नल कूप खोदे गये ? अलग अलग विवरण देने की कृपा करें।

(2) बाड़मेर जिले में सन् 72-73 में कितने नल कूप खोदने का निश्चय किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान के विभिन्न जिलों में इस विभाग द्वारा सन् 19 1-7 में 101 नल-

(भूजल मंडल मंत्री)
कूप बनाए गये हैं, उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

सन् 1972-7 में बाड़मेर जिले में राजस्थान भू-जल मण्डल को अभी तक किसी विभाग द्वारा ट्यूब वैल खोदने के आदेश नहीं मिले हैं। बाड़मेर जिले की सिवाना पंचायत समिति में कलेक्टर, ट्यूब वैल योजना के अन्तर्गत 25 नलकूप खुदवाने का प्रस्ताव है जो कि सरकार के विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त पी. एच. इ. डी. तथा अन्य विभागों के आर्डर मिलने पर बाड़मेर में अन्य नलकूप बनाने का कार्य हाथ में लिया जा सकेगा।

नल कूपों की जिलेवार सूची (मार्च, 1972 तक)

क्रम संख्या	नाम जिला	नल कूप संख्या
1.	झुन्झुनू	1
2.	पाली	3
3.	गंगानगर	3
4.	झालावाड़	1
5.	चूरू	10
6.	बाड़मेर	2
7.	भरतपुर	8
8.	अलवर	24
9.	अजमेर	3
10.	जैसलमेर	6
11.	जोधपुर	6
12.	नागौर	21
13.	जालौर	2
14.	जयपुर	1
	योग :	101

नसीराबाद का बीड़ी उद्योग

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद)- क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार नसीराबाद की गरीब जनता जिसका कि आम धन्धा बीड़ी का है, वहां बीड़ी उद्योग की स्थापना कर उन्हें रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं।

(उद्योग मंत्री)

सरकार ने फिलहाल टोंक में ही बीड़ी उद्योग लगाने का निर्णय लिया है। इस उद्योग की प्रगति को देखकर ही अन्य स्थानों पर बीड़ी उद्योग लगाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

सार्वजनिक छात्रावास, सांचोर

92. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि सांचोर सार्वजनिक छात्रावास का पंजीयन नियमानुसार काफी अर्से पहले हो चुका है? अगर हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सत्य है कि गत तीन वर्षों में सांचोर सार्वजनिक छात्रावास के लिये सरकार ने कोई अनुदान नहीं दिया है, जबकि हर वर्ष अनुदान के लिये प्रार्थना-पत्र भेजे गए हैं? अगर हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावास को अनुदान शीघ्र ही देना उपयुक्त समझेगी? अगर हां, तो कितना अनुदान कब तक दे दिया जायेगा?

उत्तर

(1) सांचोर सार्वजनिक छात्रावास का रजिस्ट्रेशन 23-4-65 को हुआ था।

(2) यह सही नहीं है। उक्त छात्रावास को सत्र 69-70 में अनुदान रुपये 2000/- (दो हजार) स्वीकृत किये गये थे। 70-71 तथा 71-72 में धनाभाव के कारण कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जा सका।

(3) वित्तीय साधनों की उपलब्धि पर ही अनुदान के विषय पर विचार संभव हो सकेगा।

बीकानेर शहर में दुग्ध वितरण की योजना

93. **श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर)-क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले से हजारों लीटर दूध नित्य दुग्ध योजना दिल्ली व जयपुर को भेजा जाता है?

(2) क्या इस दूध को बीकानेर शहर के लोगों के लिये वितरण की योजना है?

(3) क्या सरकार की बीकानेर में दूध पर आधारित कोई उद्योग सरकारी क्षेत्र में खोलने को योजना है?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले से आजकल 14,000 लीटर दूध प्रतिदिन दिल्ली दुग्ध वितरण योजना को जाता है।

(2) इस समय बीकानेर शहर में कोई दुग्ध वितरण योजना नहीं है।

(3) बीकानेर जिले की खपत के ऊपर उस क्षेत्र में एक लाख लीटर प्रतिदिन दूध इकट्ठा किया जा सकता है और इस क्षमता के डेयरी उद्योग को बीकानेर में स्थापित करने की योजना है।

जल प्रदाय नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता को अधिकार

94. **श्री मोहनलाल छंगाणी** (फलोदी)-क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जल प्रदाय नियमों के अन्तर्गत उपभोक्ता को ऐसे अधिकार प्राप्त हैं कि

Page No 135

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

राजकीय दर से अधिक दर पर अन्य व्यक्तियों को जल का बेचान कर सके ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इसे उचित समझती है ? यदि यह उचित नहीं है तो क्या राज्य सरकार नियमों में आवश्यक संशोधन करने का विचार रखती है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने जल के उपभोग हेतु जल प्रदाय नियम बना रखे हैं ? यदि हां, तो उक्त नियम किस अधिनियम की कौन सी धारा के अन्तर्गत बने हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि जल उपभोग हेतु अभी तक राज्य सरकार द्वारा कोई भी विधेयक विधान सभा में पारित नहीं कराया गया है ?

(4) क्या यह भी सही है कि बिना विधेयक पारित हुए राज्य सरकार को ऐसे नियम बनाने का अधिकार प्राप्त नहीं है ?

(5) क्या यह सही है कि जयपुर नगर में ऐसे कई मकान मालिक हैं जो विभाग को निर्धारित दर पर जल की कीमत चुकाते हैं तथा अपने किरायेदारों को अलग अलग नलों के कनेक्शन देकर उनसे मनमाने पैसे वसूल करते हैं और अनुचित लाभ उठाते हैं ? यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं ऐसे कोई अधिकार उपभोक्ता को नहीं दिये गये हैं ।

(2) जी हां, जल प्रदाय नियम 1967 जन स्वास्थ्य अभि. विभाग की अधि सूचना सं. एफ. 4 (97) एम. पी. एच। 64, दिनांक 1-7-67 के अन्तर्गत राजस्थान सरकार द्वारा बनाये गये हैं । यह नियम प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाये गये हैं । अतः अधिनियम की धारा का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(3) जी हां ।

(4) जी नहीं । ये नियम विभागीय अनुदेश हैं ।

(5) विभाग द्वारा दिये गये बिलों का भुगतान उपभोक्ता से लिया जाता है । मकान मालिक द्वारा अपने किरायेदारों आदि से पानी का मूल्य अधिक वसूल किये जाने के मामले विभाग की जानकारी में नहीं हैं । अतः इसकी रोकथाम का प्रश्न नहीं है ।

प्रतापगढ़ कालेज का भवन

95. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ कालेज भवन में वर्षाकाल के समय पानी टपकता है ? और इससे सारा सामान आदि भी खराब होता है ? यदि हां, तो इसका जिम्मेदार कौन है और क्या ठेकेदार से इस प्रकार का एग्रीमेण्ट भी था कि अमुक समय के अन्दर अगर भवन में कोई कमी पाई गई तो उसकी पूर्ति ठेकेदार द्वारा की जायगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि कालेज भवन के साथ साथ बाउन्ड्री वाल बनाना भी

(श्री हरलाल मीणा)

शामिल था? यदि हां, तो बाउन्ड्री वाल आज तक क्यों नहीं बनाई गई?

उत्तर

(1) यह सही है कि कालेज भवन में पानी टपकता था। परन्तु विगत वर्ष में छत की मरम्मत हो चुकी है और पानी के टपकने की तथा सामान खराब होने की सम्भावना नहीं रही है। कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था और एग्रीमेन्ट के सम्बन्ध में उन्हीं से जानकारी प्राप्त हो सकती है।

(2) जी नहीं, ठेकेदार के कार्य में बाउन्ड्री वाल के निर्माण का दायित्व नहीं था। अभी तक केवल एक तरफ की बाउण्ड्री वाल का निर्माण हुआ है। शेष कार्य के लिये विभाग के अन्य निर्माण कार्यक्रमों के प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार कर लिया जायेगा।

चूरू जिले में अकाल राहत कार्य

96. **श्री मोहर सिंह (चूरू)** : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) चूरू जिले में 1971–72 में अकाल पीड़ित गांव कितने थे? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त गांवों में अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत क्या–क्या सहायता उपलब्ध कराई गई है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि चूरू जिले के अकाल पीड़ित क्षेत्र में न तो कोई सहायता दी गई है और न पीने के पानी की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो क्यों तथा अब सरकार कब तक इसके लिये उचित व्यवस्था करेगी?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जिले में अकाल प्रभावित क्षेत्रीय कार्यक्रम एवं क्रेश योजना के अन्तर्गत चल रहे कार्य तथा बीकानेर जिले में राजस्थान नहर परियोजना पर उपलब्ध रोजगार को देखते हुए कोई सहायता कार्य नहीं चलाये गये। अतः सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जिले में पेय जल की स्थिति मार्च–अप्रेल तक सामान्य होने की सूचना होने के कारण फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मई और जून के महीने में जहां आवश्यकता हो राज्य सरकार सम्बन्ध में व्यवस्था करेगी।

तहसीलवार अभावग्रस्त घोषित गांवों की सूची

क्र. स.	नाम तहसील	अभावग्रस्त गांव
1.	चूरू	38
2.	सरदार शहर	106
3.	रतनगढ़	20
4.	तारा नगर	29
	योग:–	193

ग्राम खाटू बडी की जल प्रदाय योजना

97. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जायल तहसील, जिला नागौर के ग्राम खाटू बड़ी की ग्रामीण जल प्रदाय योजना में इस ग्राम के बांस कचरास, हीरासणी, बीजपुरा, रेल्वे स्टेशन बास, खीया का बास, राईकों की ढाणी व पाली वालों की ढाणी वालों को शामिल किया गया है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक यहीं पीने का पानी उपलब्ध करा दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) ग्राम बड़ी खाटू में वहां की जनता के लिये पीने की व्यवस्था गांव के दो गवाई कुओं में पम्पिग मशीनरी लगाकर व्यवस्था की गई थी। लेकिन उपरोक्त कुओं में पानी की मात्रा कम हो जाने के कारण योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की जा सकी इसलिये सांजू ट्यूबवेल से पानी दिये जाने हेतु एक स्कीम स्वीकृत की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत बड़ी खाटू छोटी खाटू के अलावा सांजू और खाटू के बीच इस लाइन पर आने वाले निम्नलिखित गांवों को भी पानी देने का प्रावधान है । दो तीन चोडियां, मीवांसी, टांकी, फिरोजपुरा

कचरास, हीरासणी, पीजपुरा, रेल्वे स्टेशन बास, खीया का बास, राईयों की ढाणी शामिल नहीं किये गये थे। क्योंकि यह उपरोक्त पाइप लाइन पर नहीं आते। उपरोक्त बांसो में जल की व्यवस्था करने हेतु पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त होने पर अलग से योजना बनाई जावेगी।

तेल शोधक कारखाने के लिए ज्ञापन

68. श्री मीठालाल (लालसोट)
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :-क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार ने राज्य में एक तेल शोधक कारखाना सवाईमाधोपुर में स्थापित करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन दिया है ?

(2) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

(3) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

(4) यदि नहीं, तो राज्य सरकार इस संबंध मे क्या नये कदम उठाने जा रही है ?

उत्तर

(1) यद्यपि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया गया किन्तु तत्कालीन तथा वर्तमान मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इस बाबत भारत सरकार व प्रधान मंत्री को सरकारी व अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते रहे हैं।

(2) इन पत्रों में तेलशोधक कारखाना राजस्थान में स्थापित किए जाने हेतु बल दिया गया है।

(3) उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी इस बाबत कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

(4) राज्य सरकार अभी भी प्रयत्नशील है कि यह कारखाना राजस्थान में स्थापित हो।

परिशिष्ट 3

(प्र. प्र. सं. 27 की सूची)

शहरी जल प्रदाय योजनायें

	पूर्ण की गई जल प्रदाय योजना की सूची			निर्माणाधीन योजनायें					स्वीकृत योजनायें जहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ है		
	योजना का नाम	स्वीकृत राशि लाखों में	व्यय की गई राशि लाख रु.	योजना का नाम	स्वीकृत राशि	स्वीकृत वर्ष संभावित 71-72 तक	व्यय की गई राशि लाख रुपयों में	पूर्ण किये जाने का वर्ष	योजना का नाम	अनुमानित लागत	व्यय की गई राशि
1.	नागौर	10.00	11.57	डीडवाना (संशोधित)	14.46	29-8-70	12.81	1971-72	—	—	—
2.	लाडनू	7.31	7.43	कुचामन सिटी	7.70	10-9-68	7.50	1971-72			
3.	डीडवाना	—									
4.	मेड़ता सिटी	5.70	4.72								
5.	कुचामन रोड	8.50	6.23								
6.	परबतसर	2.84	2.12								
7.	कुचामन सिटी	7.70	5.16	ग्रामीण जल प्रदाय योजना							
8.	जसवन्त गढ़	4.96	4.21	धोलेराव धांधलाख क्षेत्रीय योजना	4.95	7-7-70	4.97	1971-72			
9.	निनोद	0.08	1.16	क्षेत्रीय योजना डेगाना	2.95	9-2-70	3.76	1971-72			
10.	पांचोरी	0.69	0.76	क्षेत्रीय योजना रेण	6.36	9-7-70	8.35	1971-72			
11.	डांगावास	1.40	0.88	क्षेत्रीय योजना केराप-रतसीसर	13.12	7-7-70	14.13	1971-72			

12.	शेखा वासनी	0.84	0.05	मूर्डवा	3.13	9-2-70	3.25	1971-72
13.	निम्बी जोधा	2.91	2.66	क्षेत्रीय योजना बांकापटी	55.74	29-4-70	53.87	1972-73
14.	गोटन	2.35	3.46	सांजू	0.44	2-6-70	0.48	1971-72
15.	खुनखुना	1.20	1.49	बाडू	1.10	8-6-70	1.10	1972-73
16.	चान्दारुण	1.00	1.43	बनवाल	0.54	1971	0.45	1971-72
17.	जायल	1.48	1.21	कुसुम्बी	1.07	9-11-71	1.10	1971-72
18.	बालिया	0.14	0.39	निम्बीजोधा (संशोधित)	5.41	5-2-71	4.36	1971-72
19.	मोलासर	0.60	0.55	मीठडी	1.30	27-4-71	0.80	1971-72
20.	बोरावर	1.90	2.12	फिखासी मोठडी क्षेत्रीय योजना	10.45	28-4-70	10.54	1972-73
21.	डेह	1.20	1.55	घाटवा	1.92	2-6-70	0.80	1971-72
22.	मेडता रोड	1.95	2.09	छोटी खाटू बडी खाटू क्षेत्रीय योजना	12.22	1-9-71	1.50	1972-73
23.	श्री बालाजी	1.00	1.05	दौलतपुरा क्षेत्रीय योजना	12.70	1-9-71	2.75	1972-73
24.	कोलिया	1.12	1.63	ज्वाला मरिना क्षेत्रीय योजना	1.99	18-11-71	0.20	1972-73
25.	कुचेरा	1.31	1.31					
26.	अलाय	1.38	1.61					
27.	दौलतपुरा	0.59	0.65	हरसोरा	1.61	26-10-71	0.40	1972-73
28.	लेडी एवं दावरी	0.61	1.21	हरखोका	1.33	2-6-71	0.60	1972-73
29.	रताऊ	0.97	0.85	रियांबडी	2.08	21-6-71	0.80	1972-73
30.	मारोठ	1.60	1.92					

परिशिष्ट 4

(अ. प्र. सं. 35 की सूची)

राज्य में म्यूनिसिपल टाउन (1961 सेनसस) जहां हायर सैकेण्ड्री स्कूल (राजकीय) नहीं है। जिलेवार सूचना

जिले का नाम	म्यूनिसिपल टाउन जहां उ मा. वि. (राजकीय) नहीं है।
1. गंगानगर	(1) हनुमानगढ़ (2) रायसिंहनगर (3) संगरिया (4) अनूपगढ़
2. बीकानेर	(1) गंगाशहर (2) मीनाशहर
3. चूरू	(1) सरदारशहर (2) रतन नगर (3) रतनगढ़ (4) राजलदेसर (5) बीदासर (6) छापर
4. झुंझुनूं	(1) बगड़ (2) मंडावा (3) पिलानी (4) विद्या विहार (5) सूरजगढ़ (6) नवलगढ़ (7) मुकुन्दगढ़ (8) चिड़ावा
5. अलवर	(1) खेरली
6. जयपुर	(1) कोटपूतली (2) आमेर (3) फुलेरा (4) दौसा (5) चाकसू
7. सीकर	(1) रामगढ़ (2) फतेहपुर (3) लक्ष्मणगढ़ (4) नीम का थाना (5) खण्डेला
8. नागौर	(1) डीडवाना
9. सिरोही	(1) शिवगंज
10. चित्तौड़गढ़	(1) छोटी सादड़ी
11. बूंदी	(1) नैनवा (2) केशोरायपाटन
12. कोटा	(1) इन्द्रगढ़ (2) रामगंजमंडी (3) छाबड़ा
13. झालावाड़	(1) झालरापाटन (2) सुनेल

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रेल, 1972)

स्तम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	11	आयोजना	आयोजन।
2	15	श्री चन्दनमल बेद	श्री चन्दनमल बैद
3	9	आश्बासन	आश्वासन
4	19	कुये	कुए
5	10	यह है दोसाल से	यह है कि दोसाल से
6	1	श्री मूलचन्द समरिया	श्री मूलचन्द सांमरिया
,, अन्तिम से	15	बृहंत	बृहत्
,, ,,	6	रीलीफ	रिलीफ
7	13	लोर्लिक	मौखिक
,,	14	दिया है,	दिया है, तो
,, अन्तिम से	8	प्राथमिकता दी	प्राथमिकता दी जाय
,, ,,	4	मैं नहीं जानना	मैं ये ही जानना
8 ,,	1	उन	उस
9 ,,	16	श्री परसराम मदेरणा खेरवाड़ा	श्री परसराम मदेरणा भीलवाड़ा
,, ,,	2	फेमिन	फेमीन
10 ,,	3	उसी अनुपालन में	उसी के अनुपालन में
11 ,,	10	(क)	(1)
,, ,,	8	पुस्तकों को पुस्तक	पुस्तकों को स्वीकृत पुस्तक
,, ,,	6	स्वीकृति सूची में	सूचि में
,, ,,	3	(ख)	(2)
12	1	(ग)	(3)
,,	3	(घ)	(4)
,,	6	(ङ)	(5)
,,	11	(क)	(1)
,,	13	(ख)	(2)
,,	13	200-200	200-300
,,	16	(ग)	(3)
,,	19	(घ)	(4)

Page No 142

1	2	3	4
12	23	(ङ)	(5)
14	9	सूची को	सूची में
,,	15	हास्पीटल	हास्पिटल
15	2	आया था	आई थी
,,	15	गयी ?	गई ?
,, अन्तिम से	14	इस	उस
,, ,,	8	श्री गुमानमल लोढा	श्री गुमानमल लोढ़ा
16	3	प्रासी क्यूशन	प्रोसी क्यूशन
,,	5	उनके खिलाफ	dt.
19 अन्तिम से	9	जितने	जितना
20 ,,	6	श्री अध्यक्ष	dt.
22	2	नोट्ट	नॉट
23	11	श्री अध्यक्ष	dt.
24 अन्तिम से	11	श्री गिरधारीलाल भार्गव	dt.
30 ,,	1	श्री बिट्ठल	श्री विट्ठल
31	4	क्मा	क्या
34	11	श्री लमणसिंह	श्री लक्षमणसिंह
35 अन्तिम से	12	को	की
41	10	श्री मा ाराम	श्री मालाराम
43 अन्तिम से	9	श्री प्रध्युम्रसिंह	श्री प्रद्युम्नसिंह
50 ,,	3	ब्योवर	ब्यावर
54	4	श्री रमान्द अग्रवाल	श्री रामानन्द अग्रवाल
,,	13	श्री मती	श्रीमती
66 अन्तिम से	10	संपा	संख्या
71	12	श्री निरंजननाथ अचार्य	श्री निरंजननाथ आचार्य
,, अन्तिम से	6	श्रीनती	श्रीमती
73	शीर्ष	अतारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन प्रस्तावों पर 28 अप्रेल, 1972-अध्यक्षीय व्यवस्था
74	,,	,,	,,
75	,,	,,	,,
76	,,	,,	,,
77	,,	,,	,,

1	2	3	4
78	शीर्ष ·	अतारांकित प्रश्नोत्तर	स्थगन प्रस्तावों पर 28 अप्रेल, 1972—अध्यक्षीय व्यवस्था
79	,,	,,	,,
80	,,	,,	,,
81	,,	,,	,,
82	,,	,,	,,
83	,,	,,	,,
84	,,	,,	,,
85	,,	,,	,,
86	,,	,,	,,
87	,,	,,	,,
88	,,	,,	,,
89	,,	,,	,,
90	,,	,,	,,
94 अन्तिम से	8	जनताकी ह	जनता की यह
95	11	चाय	
98	18	मजद्दूर	मजदूर
100	9	निमंशरण	निमंत्रण
126	7	may	it may
130	3	मानयीय	माननीय
131 अन्तिम से	1	महनत	मेहनत
132	2	यमुना के त	यमुना के तट
136	4	रिपर्ट	रिपोर्ट
138 अन्तिम से	6	आत्म निर्भता	आत्म निर्भरता
142 अन्तिमं से	9	किसानों वे सरकार से	किसानों से सरकार ने
145	9	महोदय	महोदय
,,	10	वित मंश्रीजी	वित्त मंत्रीजी
147	3	नर्हीं	नहीं
152	17	निकती	निकलती
156	4	ो	को
157 अन्तिम से	157	पुनर्जीवि	पुनर्जीवित
161	13	भाईवन्द	भाईबन्ध

4

1	2	3	4
167 अन्तिम से	7	श्रा माधोपुर	श्री माधोपुर
169 ,,	•	पर	dt.
170 ,,	5	क्यूसिक	क्यूसिक
,, ,,	1	स्टोम्स नहा	स्टोर्म्स नहीं
171 ,,	4	कैनालस	कैनाल्स
172 ,,	18	बढ़ता	वढ़ती
175 ,,	13	फरुंगा	करूंगा
193 अन्तिम से	11	ऐशो	ऐसे
194	1	देवकूफ	बेवकूफ
203	3	बिड़लामील	बिड़लामिल
211	15	दे	देता
123	2	जहोदय	महोदय
229	17	स्पीज	स्पीच
2·0 अन्तिम से	1	भले ह	भले हैं
231	4	आतानी	आसानी
235 अन्तिम से	1	जिससे	जिससे
2?9 ,,	1	जनका	जिनका
241	शीर्ष	नरिशिष्ट	परिशिष्ट
242	3	श्रीमतो निर्मला शक्तात्र	श्रीमती निर्मला शक्तावत
258	3	सैनसस	सैन्सस्